राजकीय प्रयोगार्थ

जिला आपदा प्रबन्ध योजना

जनपद – बागपत

वर्ष 2016–17

(डी0पी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
बागपत

(हृदय शंकर तिवारी)
जिलाधिकारी
बागपत

विषयानुक्रमाणिका

क0 सं0	विषय	पृष्ठ
01	बैंचजमत 1. प्दजतवकनबजपवद–ः अध्याय –प्रस्तावना	01–02
02	बैंचजमत. 2. भ्रंतक टनसदमतंइपसपजलए ब्ंचंबपजल ंदक त्पेा ।मेेउमदज अध्याय –खतरा जोखिम, क्षमता एवं जोखिम–	03–31
03	बैंचजमत.3. प्देजपजनजपवदंस ।ततंदहमउमदजे वित क्ड अध्यायः– 3–जिलाधिकारी के लिए संस्थागत व्यवस्था	32–34
04	बैंचजमत–4– च्तमअमदजपवद ंदक डपजपहंजपवद उमेंनतमे अध्याय ः–4 –रोकथाम एवं शमन उपायों	35–58
05	बैंचजमत.5 .च्तमचंतमकदमे डमेंनतमे अध्यायः– 5 –तैयारियों के उपाय	59–67
06	ब्भ्।च्ज्म्त् .6 ब्ंचंबपजल ठनपसकपदह ंदक ज्तंपदपदह डमेंनतमे अध्याय–6ः– क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के उपाय	68–68
07	ब्भ्।च्ज्म्त्–7ः–त्मेचवदेम ंदक त्मसपमि उमेंनतमे– अध्याय–7 आपदा प्रतिक्रिया	69–69
08	ब्भ्।च्ज्म्त्–8 त्मबवदेजतनबजपवद एत्मींइपसपजंजपवद ंदक त्मबवअमतल डमेंनतमे अध्याय–8 पुननिर्माण, पुर्नवास ओर रिकवरी के उपाय	70–70
09	बैंचजमत.9 थ्पदंदबपंस त्मेवनतबमे वित पउचसमउमदजंजपवद व िक्क्डच अध्याय–9 –जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन	71–71
10	बैंचजमत.10 च्तवबमकनतम ंदक उमजीवकवसवहल वित उवदपजवतपदह मअमसनंजपवदएनचकंजपवद ंदक उंपदजमदंदबम व िक्क्डच अध्याय.10ः–प्रक्रिया और निगरानी पद्धति, मूल्यांकन, अपडेशन और क्क्डच के रख–रखाव	72–73
11	बैंचजमत .11 ब्ववतकपदंजपवद डमबींदपेउ वित पउचसमउमदजंजपवद व िक्क्डच अध्याय.11ः–क्क्डच कार्यान्वियन के लिए समन्वय तंत्र	74–76
12	बैंचजमत 12ैजंदकमतक व्चमतंजपदह च्तवबमकनतमे ̧वच्े ंदक बीमबासपेज अध्याय.12ः–मानक संचालन प्रक्रिया और जॉच सूची	77–84
13	।ददमगनतमरू. जनपद में आपदा का इतिहास	85–88
14	जनपद के समस्त विभागो के अधिकारियों की दूरभाष नम्बर	89–94
15	स्पेज व िच्ब्ब् कमजंपस वित क्पेंजमत डंदंहमउमदज ं	95–101
16	डंचे	102–106

जिला आपदा प्रबन्धन योजना

अध्याय–1

बिंचजमत 1. प्दजतवकनबजपवद–: प्रस्तावनाः–

सामान्य तौर पर आपदा का तात्पर्य किसी ऐसी दुर्घटना से लगाया जाता है जिसका सामना करने के लिए कोई व्यक्ति या समूह अपने आप में तैयार एवं समर्थ न हो। राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम –2005 में आपदा को दैवी,मानवजनित,दुर्घटना अथवा लापरवाही से हुई किसी ऐसी बड़ी दुर्घटना के रूप में परिभाषित किया गया है। जिसमें व्यापक जन –धन की हानि, पर्यावरण की क्षति कारित हों तथा प्रभावित क्षेत्र के लोग उसका सामना करने में असमर्थ हों । परम्परागत रूप से दैवी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकाण्ड,आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि आदि के उपरान्त पीड़ितो को राहत सहायता उपलब्ध कराना राज्यों का मुख्य कार्य होता रहा है। नई परिस्थितियों में अनेक मानवजनित दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो सकती है जिनका असर दैवी आपदाओं के बराबर या उससे अधिक हो। इसी कारण आपदा की वर्तमान अवधारणा में दैवी आपदाओं के साथ ही मानव जनित कारको को भी शामिल किया गया है तथा आपदा प्रबन्धन में पूर्व तैयारी एवं पुनर्वास का राष्ट्रीय नेटवर्क, राहत वितरण के साथ ही शामिल किया गया है। वर्तमान में आपदा प्रबन्धन का उद्देश्य इस तरह की घटनाओं को यथा सम्भव रोकना, आपदा के प्रभाव को कम करना, आपदा के दौराना सीधे मदद पहुॅचाना, प्रभावितो को आपदा से उबारने में मदद एवं उनका पुनर्वास करना है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधि0–2005 के अन्तर्गत राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्य स्तर पर राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण का गठन किया गया है। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण गठन का उद्देश्य राष्ट्रीय/राज्य स्तर से बनायी गयी नीतियों का अनुपालन एवं अनुश्रवण, जिला स्तर पर विभिन्न विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं, पंचायतीराज संस्थाओं में बेहतर ताल मेल स्थापित कर आपदा की पूर्व तैयारी, आपदा की दशा में त्वरित कार्यवाही तथा राहत एवं पुनर्वास कार्यो का बेहतर संचालन करना है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के अध्यक्ष पदेन जिलाधिकारी सहित कुल 07 सदस्य हैः–

जिलाधिकारी बागपत	जिला पंचायत अध्यक्ष	पुलिस अधीक्षक	अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	अधिशासी अभियन्ता लो0नि0 वि0 खण्ड	अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड
पदेन अध्यक्ष	पदेन सह अध्यक्ष	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य/ सचिव	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य	पदेन सदस्य

जनपद बागपत में परम्परागत रूप से बाढ़, सूखा की अलग–अलग प्रबन्ध योजना बनती रही है जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के गठन के बाद उसकी देख रेख में एकीकृत प्रबन्ध योजना बनायी जा रही है।

बागपत की आपदा प्रबन्धन को चार भागो में बॉटा गया है। सुविधा के लिये प्रत्येक भाग में कुछ अध्याय बनाये गये है। प्रथम भाग में ऐसे विषयो को रखा गया है जो विभिन्न आपदाओ की तैयारी एवं जोखिम न्यूनीकरण की योजना बनाने तथा उन्हे लागू करने,क्षमता विकास आदि से सम्बन्धित है । तृतीय भाग में योजनाओ के क्रियान्वयन का फीड बैक,रिर्पोटिंग व्यवस्था आदि विषय है। चतुर्थ भाग में महत्वपूर्ण शासनादेश, महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर जिले का नक्शा आदि है।

बागपत जिला यमुना नदी के बायें किनारे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगभग 35 किमी. की दूरी पर स्थित है। यमुना, हिण्डन, कृष्णा तीन मुख्य नदियॉ है। जनपद में कुल 315 राजस्व ग्राम 03 तहसील 06 विकास खण्ड 10 थाने 06 नगर पालिका तथा 02 नगर पंचायत 06 डाकबंगले 10 डाकघर एवं 02 मुख्य डाकघर है। चिकित्सा की दृष्टि से जनपद स्तर पर 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व 23 प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र है।

जीविकोपार्जन का मुख्य साधन कृषि है। रबी की मुख्य फसल गेंहू तथा खरीफ की मुख्य फसल धान है। जिला राजनैतिक दृष्टि से संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण है। 01 लोकसभा तथा 03 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है।

2011 में सम्पन्न जनगणना के अनन्तिम आकंडे जनपद की स्थिति को और स्पष्ट करते है।

जनगणना

	कुल	पुरूष	स्त्री	लिंगानुपात
ग्रामीण	1028023	553807	474216	
नगरीय	275025	146263	128762	
योगः	1303048	700070	602978	

साक्षरता

	कुल	पुरूष	स्त्री	साक्षरता दर
ग्रामीण	626257	388481	237776	
नगरीय	171713	101377	70336	
योगः	797970	489858	308112	72.01

बैंचजमत. 2.   श्रंतक टनसदमतंइपसपजलए ब्वंबपजल ंदक त्पो ोमेउमदज

खतरा जोखिम, क्षमता एवं जोखिम–

जनपद बागपत में बाढ,सूखा,अग्निकाण्ड, ऑधी तूफान, ओलावृष्टि शीत लहरी जैसी परम्परागत दैवी आपदाये आती रही है।

बागपत जिला यमुना नदी के बायें किनारे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगभग 35 किमी. की दूरी पर स्थित है। बागपत की अधिकांश आबादी यमुना नदी के बायें किनारे एवं दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच बसी हुई है। जनपद बागपत में वर्षवार आपदाएं हुई है जिनका विवरण निम्न हैः–

अनावृष्टि के कारण वर्ष 2004 व 2005 में जनपद सूखाग्रस्त घोषित हुआ एवं अवर्षण के कारण वर्ष 2014 एवं 2015 में जनपद सूखाग्रस्त घोषित किया गया। सूखे के कारण अब तक ऐसी स्थिति नही आयी है , जिसमें किसी गॉव की आबादी या पशुओ को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा हो अथवा टैंकर से जलापूर्ति करनी पडी हो। भुखमरी की स्थिति भी अब तक पैदा नही हुयी है।

अग्निकाण्ड का जनपद बागपत का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है, क्योकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनो की पहचान एवं मानसिक तैयारी , खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायो की जानकारी से इस प्रकार के खतरो से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी से यदा कदा धन एवं जन की हानि होती रही है। ऑधी तूफान से भी जन धन की हानि हुई है किन्तु ओलावृष्टि,शीतलहरी, ऑधी तूफान से किसी बडी घटना का इतिहास इस जनपद का नही है।

भूकम्प एवं साईक्लोन का जनपद बागपत का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है, क्योकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनो की पहचान एवं मानसिक तैयारी , खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायो की जानकारी से इस प्रकार के खतरो से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

वर्ष 2010–11 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ के कारण 05 जन हानि तथा 01 पशुहानि 816 कृषकों की फसलों को क्षति एवं 205 कृषको की भूमि का कटान तथा 466 मकानो को क्षति हुई प्रभावित व्यक्तियों को दैवी आपदा मद से अंकन 27,45,093 की धनराशि वितरण की गयी। बाढ़ के कारण 07 सडक क्षति ग्रस्त हुई थी जिनकी मरम्मत हेतु अंकन 1,54,99,642 रू0 की धनराशि खर्च की गयी।

वर्ष 2011–12 मे अतिवृष्टि के कारण 02 जनहानि एवं 34 मकानो को क्षति हुई प्रभावित व्यक्तियों को दैवी आपदा मद से अंकन 2,63,500 रू0 की धनराशि वितरित की गयी।

वर्ष 2012–13 में कोई बड़ी आपदा नही हुई।

वर्ष 2013–14 मे अतिवृष्टि एवं आकाशीय विद्युत के कारण 04 जनहानि 02 पशुहानि 05 मकानों को क्षति हुई प्रभावित व्यक्तियों को अंकन 6,74,200 की धनराशि वितरित की गयी।

वर्ष 2014–15 में अतिवृष्टि के कारण 02 जनहानि 01 पशुहानि, अग्निकाण्ड से 21 व्यक्ति घायल हुए तथा 22 मकान क्षतिग्रस्त हुए प्रभावित व्यक्तियों को 7,50,550 रू0 की धनराशि वितरित की गयी।

वर्ष 2015–16 में अतिवृष्टि के कारण 02 जनहानि 02 पशुहानि तथा 95 मकानो को क्षति हुई प्रभावित व्यक्तियों को 15,68,800 की धनराशि वितरित की गयी।

इसके अतिरिक्त माह फरवरी,मार्च एवं अप्रैल, 2015 में जनपद में चक्रवाती तुफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण 18096 किसानों की फसलों को क्षति हुई है। प्रभावित व्यक्तियों को 4,89,76,000 रू0 की धनराशि वितरित की गयी।

इसके अतिरिक्त माह फरवरी,मार्च एवं अप्रैल, 2015 में जनपद में चक्रवाती तुफान के फलस्वरूप ओलावृष्टि एवं अतिवृष्टि के कारण 18096 किसानों की फसलों को क्षति हुई है।

बाढ चौकियॉः–

बाढ चौकियो की सार्वजनिक जानकारी उप जिलाधिकारियों, खण्ड विकास अधिकारियों व जिला सूचना अधिकारी के माध्यम से कराई जायगी। बाढ चौकियॉ निम्नवत् है–

तहसील बडौत

क्र0 सं0	बाढ चौकी मुख्यालय	नदी का नाम	राहत स्थल	बाढ चौकी से सम्बन्धित ग्राम
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1	थाना बिनौली	हिन्डन नदी	प्रा0 पाठशाला फखरपुर शेखपुरा	फखरपुर शेखपुरा,मवीकला, गल्हैता जैनुदीन पुर चिरचिटा, दादरी
2	पुलिस चौकी बामनौली	हिन्डन नदी	इण्टर कालेज बामनौली	बामनौली ,रन्छाड, मौ0बाद नांगल हिम्मतपुर , सुजती ,इदरीशपुर , गांगनौली
3	थाना छपरौली	यमुना नदी	इण्टर कालेज छपरौली	छपरौली , टाण्डा , नांगल ,कुर्डी ,बदरखा ककौर
4	प्रा0पा0 जागोस	यमुना नदी	प्रा0 पा0 जागोस	शबगा , जागोस , अकबर पुर ठसका , खेडी प्रधान
5	पुलिस चौकी बरनावा	हिन्डन नदी	प्रा0 पा0 व विधालय बरनावा	बरनावा , खपराना , मिलाना ,झुण्डपुर, सरोरा , तमेलागढी , शाहपुर बाढगंगा ,रहतना
6	पंचायत चौपाल कोताना	यमुना नदी	पंचायती चौपाल कोताना	कोताना

तहसील खेकडा

क0सं0	बाढ चौकी मुख्यालय	नदी का नाम	राहत स्थल	बाढ चौकी से सम्बन्धित ग्राम
1	2	3	4	5
01	पुलिस चौकी पाठशाला खेकडा	यमुना नदी	तहसील मुख्यालय खेकडा	काठा ,नंगला बहलोलपुर,मवीकला,साकरौद सुभानपुर,नूरपुर खालसा, अब्दुलपुर
02	पुलिस चौकी रटौल	हिण्डन नदी	सेन्टमैरी इण्टर कालेज रटौल	ललियाना,शहवानपुर,गौना,शरफाबाद,फुलैरा पूरनपुर नवादा,गढी कलंजरी

तहसील बागपत

क0सं0	बाढ चौकी मुख्यालय	नदी का नाम	राहत स्थल	बाढ चौकी से सम्बन्धित ग्राम
1	2	3	4	5
01	तहसील –बागपत	यमुना नदी	यमुना इण्टर कालिज बागपत	1–बागपत 2–पाली 3–सिसाना 4– निवाडा 5–गौरीपुर जवाहरनगर 6– नैथला 7– फैजुल्लापुर 8– फैजपुर निनाना 9– खेडा इस्लामपुर 10– राजपुर खामपुर 11–सु0पु0 हटाना
02	थाना बालैनी	हिण्डन नदी	श्रीकृष्ण इण्टर कालिज अमीपुर बालैनी	1– अमीपुर बालैनी 2–पुरा 3– हरियाखेडा 4–बाखरपुर बालैनी 5–मवीखुर्द
03	थाना चॉदीनगर	हिण्डन नदी	हाईस्कूल चमरावल	1–चमरावल 2–हरसिया 3–मुकारी 4–घाटौली

बाढ चेतावनी

जनपद बागपत में यमुना नदी के खतरे का बिन्दु 209.00 मीटर तथा यमुना नदी का खतरे का बिन्दु 210.50 मीटर है। इन दोनों नदियों में बाढ़ आने की सूचना बाढ़ नियन्त्रण कक्ष (सिचांई विभाग) डौला द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त विभाग एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा सभी सम्बन्धित अधिकारियों को प्रातः नौ बजे एवं सायंकाल चार बजे जल स्तर की सूचना उपलब्ध कराई जायेगी तथा जैसे ही जल स्तर 209.00 मीटर तक पहुचेगा तो उक्त विभागों द्वारा प्रतिदिन दो–दो घण्टे के अन्तराल में सभी सम्बन्धित अधिकारियों एव जिलाधिकारी को नियमित रूप से जल स्तर की सूचना दी जायेगी। जिला मुख्यालय पर कार्यरत कन्टोल रूम का फोन नम्बर 0121–2220520 है। मुख्यालय के अतिरिक्त जनपद की तहसीलों में भी एक–एक उप बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापित किया जायेगा। बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के माध्यम से बाढ़ की चेतावनी जारी करना निर्देशों एवं आदेशो का प्रेषण एवं सूचनाओं के संकलन का कार्य सम्पादित किया जायेगा। नदियों के जल स्तर चेतावनी बिन्दु पर पहुंचने की सूचना प्राप्त होते ही तहसीलदार लेखपालों के माध्यम से सम्बन्धित चौकियों/ग्रामों को सूचना भेजेंगे। जनपद बागपत नगर निवासियों को बाढ़ आने की सूचना लाऊड स्पीकर द्वारा प्रसारित कराकर दी जायेगी। इस कार्य हेतु तहसीलदार पहले ही लाऊड स्पीकर की उपलब्धता सुनिश्चित कर लेंगे। बाढ़ के समबन्ध में सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित उप जिलाधिकारी/ तहसीलदार का आर0टी0 सेट एवं विशेष वाहक द्वारा सूचित किया जायेगा। जनपद के सभी थानों में आर0टी0 सेट उपलब्ध है, जिनका उपयोग बाढ़ सम्बन्धी सूचनाओं के प्रेषण हेतु किया जायेगा। इस प्रकार उपजिलाधिकारी/तहसीलदार अन्य ड्यिूटी पर तैनात कर्मचारियों को भी आर0टी0 सेट के माध्यम से मुख्यालय के बाढ़ सम्बन्धी सूचनाये भेज सकेंगे। पुलिस अधीक्षक से यह अपेक्षा की गई है कि वे सभी थानाध्यक्षों को आर0टी0 सेट के माध्यम से मुख्यालय को बाढ़ सम्बन्धी सूचनायें भिजवाने हेतु समुचित निर्देश जारी कर देगें। आलोच्य वर्ष में जिला आपातकालीन सहायता परामर्शदात्री की बैठक के माध्यम से यह निर्णय लिया गया कि जलमग्न क्षेत्रों में वर्षा के पानी को निकालने हेतु पम्पिंग सेटों की व्यवस्था अधिशासी अभियन्ता जल निगम/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बागपत द्वारा की जायेगी। इसके अतिरिक्त अस्थाई रूप से बाढ़ के समय आर0टी0 सेट भी स्थापित किये जायेगे। उक्त पम्पिंग सेटों का बाढ़ से पूर्व ट्रायल करा लें। प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा को निर्देशित किया गया कि ज्यों ही अन्य जिलाधिकारियो अथवा अन्य अधिकृत श्रोतों से हथनी कुण्ड बैराज का पानी छोड़े जाने की सूचना प्राप्त हो तथा जल स्तर बढ़ने की. सम्भावना हो तो राहत कार्य हेतु समस्त उपजिलाधिकारियों/ तहसीलदारों के साथ ही साथ अन्य सभी सम्बन्धित अधिकारियों को सूचित कराया जाना सुनिश्चित करें। ऐसा ना हो कि समय से चेतावनी प्राप्त न होने की दिशा में लोग अकस्मात बाढ़ की चपेट में आ जाये।

अतः चेतावनी के कार्य को अधिक महत्व दिया जाये। उप जिलाधिकारी/तहसीलदार यह सुनिश्चित करेंगे कि कितने जल स्तर पर कौन–कौन गांव प्रभावित होते है। उनमें से ऐसे ग्रामों के निवासियों को समय से सचेत करना आवश्यक होगा ताकि आवश्यकता न पड़ने पर उन्हें खाली कराकर के निवासियों का वैकल्पिक शरण स्थलों मे पहुंचाया जा सके। इस कार्य हेतु अस्थाई शरण स्थलो का चयन पहले से ही कर लिया गया है। वहा पर बाढ़ पीड़ितों के ठहरने पर समुचित आवास भोजन एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु समुचित व्यवस्था की जाये गी। उचित होगा कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों को तीन भागों में विभाजित कर दिया जाये–

1– निम्न बाढ़ स्तर से प्रभावित ग्राम एवं तद्विषयक व्यवस्था।
2– मध्य बाढ़ स्तर से प्रभावित ग्राम एवं तद्विषयक व्यवस्था।
3– उच्च बाढ़ स्तर से प्रभावित ग्राम एवं तद्विषयक व्यवस्था।
यमुना नदियों में जल स्तर बढ़ने पर बाढ़ की पूर्ण चेतावनी दिये जाने हेतु वर्षा के दौरान तत्काल प्रभाव 30 सितम्बर तक के लिये लोक निर्माण विभाग का यह दायित्व होगा कि वे उक्त अवधि में यमुना नदी के पुल स्थल पर कर्मचारियों की तैनाती करेगे जो प्रतिदिन प्रातः 8 बजे से जल स्तर की सूचना तब तक देते रहेंगे जब तक कि जल स्तर 100 मीटर से नीचे न हो जाये। जैसे ही उक्त नदियों का जल स्तर 209.00 मीटर से 211.10 मीटर पहुंचना प्रारम्भ हो तो प्रतिदिन 8:00 बजे प्रातः एवं सायं 6:00 बजे जल स्तर की सूचना सभी सम्बन्धित अधिकारियो ं को पहुंचना सुनिचत करें। उक्त सूचना की एक प्रति बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के साथ तहसील बागपत के उप बाढ़ नियन्त्रण को भी दी जायेंगी। सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित अधिकारी बाढ़ सुरक्षा योजना के अनुसार त्वरित कार्यवाही प्रारम्भ कर देंगे। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, प्रान्तीय खण्ड बागपत इस कार्य को सम्यक रूपेण नियत समय पर सुनिश्चित करायेगें।
जिला मुख्यालय से तहसीलों की दूरीः–
1. तहसील बागपत जिला बागपत के मध्य में स्थित है।
2. तहसील बडौत मुख्यालय से 15 किमी0 दूर है।
3. तहसील खेकडा मुख्यालय से 14 किमी0 दूर है।

जिला परार्मशदात्री आपातकालीन सहायता समिति का चयन

बाढ़ के समय सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु पुलिस अधीक्षक बागपत से आवश्यकता अनुसार अस्थाई आर0टी0 सेटों की व्यवस्था हेतु अनुरोध कर व्यवस्था कराई जा सकेंगी।
जिला परमर्शदात्री का समिति का गठन शासनादेश सं0–641/411/2/82.दिनांक–28.02.1983 मे ं प्रदत्त निर्दशो के अनुसार कर लिया गया है तथा समिति के अध्यक्ष सांसद/विधायक वर्णमाला के क्रमानुसार होंगे। बाढ़ के सम्बन्ध में प्रभारी अधिकारी समय–समय पर समिति की बैठक बुलायेंगे।

बाढ़ के अनुश्रवण हेतु स्टीयरिंग ग्रुप का गठनः–

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति को निरन्तर अनुश्रवण हेतु शासन के निर्देशानुसार निम्नवत स्टियरिंग ग्रुप का गठन किया गया है। यदि इस ग्रुप में नामित अधिकारी किसी कारणवश बैठक में भाग नहीं ले सकते हैं तो उनकी अनुपस्थिति में कोई अधिकारी उत्तरदायी होगा। विभाग द्वारा प्रभारी अधिकारी दैवी आपदा/अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)–बागपत को सूचित किया जायेगा। ग्रुप का गठन निम्न प्रकार किया गया हैः–
01– जिलाधिकारी अध्यक्ष

02– अधिशाषी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बागपत सचिव
03– पुलिस अधीक्षक, बागपत सदस्य।
04– अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बागपत सदस्य।
05– मुख्य विकास अधिकारी, बागपत सदस्य।
06– जिला कृषि अधिकारी, बागपत सदस्य।
07– जिला पूर्ति अधिकारी, बागपत सदस्य।
08– अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई बागपत सदस्य।
09– अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, बागपत सदस्य।
10– अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बागपत सदस्य।
11– अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, बागपत सदस्य।
12– अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, बागपत सदस्य।

जिला बाढ नियन्त्रण कक्ष

जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की स्थापना का उद्देश्य यह है कि बाढ़ के पूर्व बाढ़ के आगमन की सूचना जैसे ही उपलब्ध हो उसे शीघ्र उप बाढ़ नियन्त्रण कक्षों एवं बाढ़ चौकियों को पहुंचाया जा सके तथा बाढ़ आने की दशा में बाढ़ पीड़ित परिवार को त्वरित सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष का तहसीलों में स्थित उप बाढ़ नियन्त्रण कक्षों से समन्वय बना रहे और समुचित राहत एवं सहायता कार्य समय से उपलब्ध कराया जा सकें। जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष की स्थापना कलेक्टेंट भवन बागपत में की गयी है। जिसके प्रभारी अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बागपत प्रभारी अधिकारी (बाढ़) रहेंगें। नियन्त्रण कक्ष में ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि डिप्टी कलेक्टर स्तर अथवा जिला स्तरीय अधिकारी चार–चार घन्टें उपलब्ध रहेंगे। समस्त जिला स्तरीय जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में चौबीसों घण्टों की ड्यूटी के लिये अपने विभागों के कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की सूची प्रभारी अधिकारी (सम्मिलित कार्यालय) कलेक्ट्रेट के पास भेजेंगे जो आवश्यकतानुसार उनकी बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में चौबीसों घण्टे की ड्यूटी लगायेगें। उक्त अधिकारियों की सहायता के लिये कलेक्ट्रेट जिला स्तर के कार्यालयों के दो कर्मचारी एवं चपरासियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगें।इसी प्रकार की व्यवस्था उप बाढ़ नियन्त्रण कक्षों में भी की जायेगी। उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये यह आवश्यक होगा कि बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में उपलब्ध आंकड़ों एवं पत्रावलियों से भली भांति अवगत होंगे ताकि किसी भी अप्रत्याशित बाढ़ की सूचना प्राप्त होने पर तुरन्त समुचित एवं कारगर ढंग से कार्यवाही कर सकें।

उप बाढ़ नियन्त्रण कक्ष

जिला बाढ़ नियन्त्रण कक्ष के अनुसार प्रत्येक तहसील में एक उप बाढ़ नियन्त्रण कक्ष स्थापना की जायेगी। जिसके प्रभारी अधिकारी उप जिलाधिकारी स्वयं होंगे। उप बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में चौबीसों घण्टों की ऐसी व्यवस्था की जायेगी कि नायब तहसीलदार स्तर का एक अधिकारी अवश्य उपलब्ध रहे उक्त केन्द्र में प्राप्त सूचनाओं एवं शिकायतो ं का एक रजिस्टर रखा जायेगा तथा उस पर कुल की गई कार्यवाही अंकित की जायेगी यह रजिस्टर अधिकारियों को सदैव उपलब्ध कराया जायेगा। उस बाढ़ नियन्त्रण कक्ष में यह सुनिश्चत सूचनायें सहायता चौकी में पहुंचायी जा सके। उप बाढ़ नियन्त्रण कक्ष का एक साईनबोर्ड उपयुक्त स्थान पर लगाया जायेगा।

बाढ़ चौकीः–

प्रत्येक तहसीलदार/प्रभारी नायब तहसीलदार/भूलेख निरीक्षक माह जून में बाढ़ चौकियों का निरीक्षण कर लेंगे और यदि किसी प्रकार की व्यवस्था आदि का संशोधन अपेक्षित हो तो तदानुसार उप जिलाधिकारी का अवगत करायेगें। बाढ़ चौकियों की स्थापना का उद्देश्य बाढ़ आने पर प्रभावित ग्रामों/नगरों के निवासियों पशुओं एवं उनके सामान को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाये जाने तथा राहत सामग्री वितरण हेतु है। जनसंख्या एवं यातायात की सुविधा के अनुसार बाढ़ प्रभावित ग्रामों को इन चौकियो ं से सम्बद्ध किया गया है। प्रत्येक बाढ़ चौकी के लिये सहायक विकास अधिकारी स्तर के अधिकारी को चौकी प्रभारी बनाया गया है। सम्बन्धित क्षेत्रीय लेखपाल एवं ग्राम विकास अधिकारी भी बाढ़ चौकी से सम्बन्धित साधन सहकारी समिति अथवा नियंत्रित मूल्य की दुकान में जीवनोपयोगी वस्तु पहले से सुरक्षित कर ली जायेगी। जिला पूर्ति अधिकारी अपने कर्मचारियों के माध्यम से इस हेतु व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित करायेगें।

नांवों की उपलब्धताः–

बाढ़ के समय नदियों के पानी से घिरे प्रभावित परिवारों कों निकालने एवं सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिये नांवों की आवश्यकता होती है। नांवों की उपलब्धता का सर्वेक्षण कराकर उसे संकलित रूप से संलग्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। सम्बन्धित तहसीलदार नदियों के जल स्तर बढ़ने पर वहां और जितनी नांवों की आवश्यकता होगी उपजिलाधिकारी के परामर्श के बाद तैनाती करेंगे। प्रत्येक नांवों एवं मल्लाहों का मस्टररोल नियमानुसार तैयार करके बाढ़ चौकी इन्चार्ज द्वारा उपस्थित अंकित जायेगी। उपजिलाधिकारी नांवों का किराया एवं मल्लाहों की मजदूरी का भुगतान आवश्यक जांचोरान्त करायेंगे। इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखा जाये कि जहां जितनी नांवों की अवश्यकता आवश्यक लगायी जायें। किन्तु किसी भी दशा में आवश्कता से अधिक नांवें प्रयोग में नही लायी जाये। नांवों की तैनाती करने पर उसका उल्लेख दैनिक बाढ़ सूचना रिपोर्ट में भी अंकित किया जायेगा। नांवों का अतिरिक्त आवश्यकता पड़ने पर जनपद में उपलब्धता न होने की दशा में नांवों गढमुक्तेश्वर जिला हापुड़ सें मगायी जायेगी। इसके लिये तहसीलदार सदर जिम्मेदार होंगे। गढमुक्तेश्वर जाकर वहां राजस्व विभाग के अधिकारियों से सम्पर्क कर अतिरिक्त नांवों की उपलब्धता सुनिश्चित करायेगें। यातायात हेतु ट्रको के किराये का भुगतान सम्बन्धित तहसीलदार तत्काल सुनिश्चित करेंगे। जहां पर नांव प्राप्त करन ेमें कठिनाई हो, अधिग्रहीत करने का संशोधित अधिनियम 1944 धारा 195 का प्रयोग करेंगे।

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिये आवागमन के मार्गों का रख–रखावः–

जिला मुख्यालय एवं तहसील में बाढ़ चौकियों में पहुंचने के लिये कच्चे व पक्के मार्गों का विशेष महत्व है क्योंकि इन्हीं मार्गों से बाढ़ चौकियों को आवश्यक राहत सहायता पहुंचाई जाती है। लोक निर्माण विभाग का यह पूर्ण दायित्व होगा कि वह बाढ़ के समय बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के आवागमन मार्गों एवं जनपद के मुख्य मार्गों की समुचित देखभाल एवं तत्काल मरम्मत की व्यवस्था सुनिश्चित रखेंगे।

भारी व हल्के वाहनों की उपलब्धताः–

बाढ़ के समय जनपद के समस्त राजकीय भारी एवं हल्के वाहनों का प्रयोग आवश्यकतानुसार प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा। इस कार्य हेतु जनपद के समस्त विभागाध्यक्षों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने वाहनों को उक्त कार्य हेतु पूर्ण रूप से तैयार रखेंगे। यदि किसी प्रकार की मरम्मत की आवश्यकता हो तो बाढ़ आने के पूर्व ही करा ली जाये ताकि आवश्यकता पड़ने पर वाहन तुरन्त उपलब्ध हो सके एवं उसे प्रयोग में लाया जा सके। विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की गयी है कि वह यह भी सुनिश्चित करें कि वाहन के साथ उनके चालक भी रात दिन हर समय उपलब्ध रहे।

राहत सामग्री की अपूर्तिः–

साधारण आवश्यकता के लिये आवश्यक जीवनापयोगी सामग्री साधन सहकारी समिति की दुकानों/नियन्त्रित मूल्य की दुकानों में उपलब्ध रहेगी किन्तु बाढ़ की भीषण परिस्थितियों में सामग्री की आपूर्ति व्यवस्था निम्न प्रकार रहेगीः– भारतीय खाद्य निगम में चावल एवं गेहूं उपलब्ध है जिलापूर्ति अधिकारी यदि उप जिलाधिकारी की मांग होती है मार्केटिंग विभाग से सम्पर्क कर गेहू चावल भारतीय खाद्य निगम से उठवाने का प्रबंध करेंगे और वह उसे उपजिलाधिकारियों द्वारा निर्धारित आपूर्ति केन्द्रो पर पहुंचाने की व्यवस्था करेंगें। टंकों का भुगतान तहसीलदार तुरन्त करेंगे। ट्रको का भुगतान निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध अथवा मार्केटिंग विभाग द्वारा निर्धारित दरों पर किया जायेगा नायब तहसीलदारों के स्तर के अधिकारियों के द्वारा इस सामग्री को प्राप्त कर तद् विषयक प्रविष्टि स्टाक रजिस्टर मे की जायेगी और इस सामग्री को यथेष्ट साधनों द्वारा प्रभावित ग्रामों/बाढ़ चौकियां तक पहुंचाने की व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक बाढ़ चौकी में भी एक स्टाक रजिस्टर होगा जिसमें सामग्री की प्राप्ति का विवरण अंकित किया जायेगा। न्यूनतम 300 कुन्टल चने का स्टाक मार्केटिंग विभाग द्वारा विभिन्न बाजारों में आरक्षित करा लिया जायेगा ओर आवश्यकतानुसार उचित मूल्य पर तहसीलदारों को उपलब्ध कराया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में स्थानीय बाजार से चना एवं माचिस खरीदी जा सकती है। किन्तु गेहूं व चावल केवल भारतीय खाद्य निगम से ही लिया जायेगा। जिला पूर्ति अधिकारी अपने समस्त पूर्ति निरीक्षक लिपिकों से यह कार्य इस प्रकार करायेंगे कि उप जिलाधिकारी को उनकी मांग की पूर्ति उसी दिन हो जाये। बाढ़ के समय मिट्टी के तेल की आवश्यकता की पूर्ति न्यूनतम 50000 लीटर मिट्टी का तेल सुरक्षित किया जायेगा जिला पूर्ति अधिकारी विभिन्न बाजारों में थोक व्यापारियों के पास 200 किलो नमक तथा 500 दर्जन माचिस का न्यूनतम स्टाक बनाये रखेंगे और तदानुसार उपजिलाधिकारी को भी सूचित करेंगें। उपजिलाधिकारी, तहसीलदार आवश्यकता पड़ने पर अपने स्तर से नमक व दियासलाई की खरीद स्वयं भी कर सकें।

संचार व्यवस्था :–

बाढ़ की स्थिति में टेलीफोन की उपयोगिता का विशेष महत्व रहता है। बाढ. के समय सम्पर्क मार्ग का सम्बन्ध टूटने पर टेलीफोन की उपयोगिता और बढ़ जाती है। अतएव जनपद के टेलीफोन विभाग से यह अपेक्षा की जाती है कि वे जनपद के समस्त कार्यालयों एवं अधिकारियों के आवास तथा विशिष्ट व्यक्तियों के आवास के टेलीफोन की संचार व्यवस्था सही बनाये रखेंगे। बाढ़ के समय मनुष्यों एवं पशुओं की जीवन रक्षा का प्राथमिक उत्तरदायित्व होता है और ऐसे मौकों पर टेलीफोन विभाग का दायित्व और भी बढ़ जाता है। यह अत्यन्त आवश्यक होगा कि बाढ़ के समय एक्सचेन्ज पर ड्यूटिया तत्परता पूर्वक की जाये। प्रमुख आवश्यकता टेलीफोन नम्बरों की सूची संलग्न तालिका में प्रदर्शित की जा रही है।
टेलीफोन के साथ ही साथ आर0टी0 सेट भी बाढ़ सुरक्षा का अभिन्न अंग है। पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया गया ह ै कि वे बाढ. की समय समस्त आर0टी0 सेट को सही स्थित में बनाये रखने तथा बाढ़ सम्बन्धी सूचनायें तुरन्त टांन्सिमिट करने के संबंध में उक्त कार्यो हेतु नियुक्त कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश निर्गत कर दें ताकि इनका बाढ़ के समय समुचित प्रयोग किया जा सके।

बाढ़ सहायता कार्य हेतु पी0ए0सी0 (प्रशिक्षित) एवं सेना बुलाया जाना

बाढ़ की स्थिति जिला प्रशासन के नियंत्रण से बाहर होने की स्थिति उत्पन्न हो जाने पर आयुक्त महोदय के माध्यम स ं पी0ए0सी0 की सहायता मांगी जायेगी जिसकी सूचना शासन के राजस्व विभाग तथा गृह विभाग को भी दी जायेगी। पी0ए0सी0 उपलब्धता प्रशिक्षित कम्पनी 6ठीं वाहिनी पी.ए.सी., मेरठ (उ0प्र) जो मेरठ में उपलब्ध है। बाढ़ की अधिक गम्भीर होने पर स्थानीय प्रशासन एवं पी0ए0सी0 उस पर नियन्त्रण रखने में सफल न हो सके तो जिला प्रशासन को सहायता हेतु सेना से अनुरोध करना होगा।
जिला मुख्यालय पर थल सेना के कमाण्डर का स्वागत करेंगे और उससे मिलकर ठहरने के स्थान तथा प्रभावित क्षेत्रों जहां सेना को राहत कार्य करना है उसके बारे में अधिकारियो को जानकारी देंगे। बड़ौत के अतिरिक्त अन्य तहसील में सम्भवतः सेना की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रभारी अधिकारी (बाढ) द्वारा सैन्य अधिकारियों को उनके द्वारा मांगी गयी बाढ़ सम्बन्धी सूचनाएं समय से उपलब्ध कराई जायेगी। उपजिलाधिकारी/तहसीलदार बडौत प्रभावित क्षेत्रों में सेना के लिये कार्य स्थल उसके ठहरने के स्थान आने जाने का मार्ग पहले से ही निर्धारित कर लेंगे। इस प्रकार का एक नक्शा तैयार रखेंगे जो सैन्य अधिकारियों को तुरन्त उपलब्ध करा दिया जायेगा। ताकि उन्हे कार्य सम्पादन में कोई कठिनाई न हो। सैन्य अधिकारियों को मार्ग की जानकारी देने हेतु उनके साथ रूट गाइड के रूप में क्षेत्रीय लेखपाल,संग्रह अमीन की तैनाती की जायेगी। यद्यपि सेना के पास स्वयं उनकी खाद्य सामग्री रहती है किन्तु सम्बंधित सैन्य अधिकारियो से मांग पत्र प्राप्त होने पर उन्हे आवश्यक सामग्री उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था करेंगे। सेना के पास शक्ति चालित नांवें उपलब्ध होती हैं जो साधरणतया नदी की मुख्य व तेजबहने वाली धारा से हटकर चलती है और कम से कम छः फीट गहरे पानी मे ं चल सकती है। जिन सीनों पर नावों का प्रयोग किया जाना है वहां उपरोक्त शर्तों के परिपेक्ष में पूर्ववत् जानकारी कर ली जाये तथा सम्बन्धित सैन्य अधिकारियों अथवा जवानों को पहले से ही अवगत करा दिया जाये। सेना की मोटर बोटों का उपयोग सामान्य तौर पर दिन में ही हो

पाता है राहत कार्यपूर्ण होने पर यथाशीघ्र अवमुक्त किया जाना आवश्यक है तथा सेना के बुलाने एवं वापस भेजने सम्बंधी अभिलेख उन्हे तत्काल वाहन उपलब्ध करा दिये जाये।सेना की सहायता की मांग शासन से आयुक्त के माध्यम से ही की जानी चाहिये किन्तु अत्यन्त गम्भीर परिस्थितियों में जन जीवन की सुरक्षा हेतु सीधे भी सहायता मांगी जा सकती है किन्तु ऐसी परिस्थितियों में शासन को भी अवगत कराया जाना आवश्यक होगा। यद्यपि विगत कई वर्षो से सेना की आवश्यकता नहीं पड़ती किन्तु यदि भविष्य में आवयकता पड़ती है तो तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

बाढ़ राहत कार्य

वस्तुतः बाढ़ व्यवस्था तीन चरणो ं की जायेगी।

1. बाढ़ आने के पूर्व ही जाने पर की जाने वाली व्यवस्था।
2. बाढ़ की समस्या उत्पन्न होने पर की जाने वाली व्यवस्था।
3. बाढ़ के बाद की जाने वाली व्यवस्था।

प्रथम चरण में जनपद के जिला एवं बाढ़ कक्ष में तथा बाढ़ चौकियो ं पर बाढ़ से निपटने के लिये समस्त पूर्व व्यवस्थायें सुनिश्चित की जायेंगी ताकि प्रत्येक विभाग अपने–अपने सम्बन्धित कार्य को सम्पादित करने के लिये पूर्णरूपेण तैयार रहे। इसी क्रम में यह भी आवश्यक होगा कि पशु चारे आदि की समुचित व्यवस्था के लिए पहले से ही बाढ़ चौकियों के निकटस्थ दुकानदारों से सम्पर्क करें सामग्री तत्काल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाये। इस प्रकार पशुओं के चारे के लिये निकटस्थ श्रोतों पहले से ही पता रखा जाये जहां से चारा कब क्रय किया जाता रहा है। शासनादेश संख्या–4520/14–13–19/82 वन अनुभाग दिनांक–28.07.1983 द्वारा सभी प्रभागीय वनाधिकारी को यह निर्देश दिये जा चुके है कि बाढ़ ग्रस्त ग्रामों के व्यक्तियों के पशुओं को निःशुल्क चराये जाने की सुविधा वन क्षेत्रों मे ं प्रदान की जायेगी।

अतः जिला वनराज अधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों के पशुओं को चराई सम्बंधी कोई असुविधा उत्पन्न न हों। प्रत्येक बाढ़ सुरक्षा चौकी पर सस्ते गल्ले की दुकानो ं पर खाद्य सामग्री तथा आवश्यक सामग्री में भुना चना, मिट्टी का तेल, माचिस, नमक, आटा, गेंहू, गुड़ आदि की व्यवस्था होगी। जहां से बाढ़ चौकी पर आवश्यकतानुसार सामग्री दुकानदारों से लेकर बाढ़ पीड़ितों का वितरित करेगें। संलग्न तालिका में दुकानदारों का नाम अंकित किया गया हैं। प्रत्येक बाढ चौकी मे ं पहले से यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इन्हे ं नावे कहां से उपलब्ध होगी तथा उपलब्ध होने वाली नांव में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है और यह पूरी तरह से प्रयोग योग्य है। इसके लिये यह भी आवश्यक होगा कि नांव मालिका के नाम तथा नाव पर कार्य करने वाले मल्लाहो के नाम आदि की जानकारी तथा उनसे सम्पर्क रखा जाये। बाढ़ चौकी पर नियुक्त अधिकारी/कर्मचारी नदियों के जल स्तर पर बराबर दृष्टि रखे और आवश्यकता पड़ने पर तुरन्त राहत कार्य प्रारम्भ कर देंगे। प्रत्येक उपजिलाधिकारी/तहसीलदार ऐसी व्यवस्थाओं के प्रति पूर्ण रूप से अश्वस्त होने

तथा जिला नियन्त्रण कक्ष को अवगत करायें कि प्रथम चरण की समस्त व्यवस्थायें पूर्ण कर ली गयी है। यदि वे किसी मामले में जिला स्तर से सहायता व निर्देशों की अपेक्षा करते हो तो समय से पूर्ण प्राप्त कर लें।

बाढ़ आने की सूचना प्राप्त होते ही द्वितीय चरण की कार्यवाही के लिये बाढ़ चौकी तैनात अधिकारी/कर्मचारी को तुरन्त सजग कर देना चाहिये। बाढ़ आने पर पानी से घिरे अथवा प्रभावित परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने तथा उसे चना, गुड़ माचिस, लाई, नमक, आटा तथा आलू आवश्यकतानुसार वितरित कराने की कार्यवाही करें। ऐसे समय पर बाढ़ पीड़ित परिवारों को सुरक्षा प्रदान किये जाने की अत्यन्त आवश्यकता होती है। प्रभारी अधिकारी (दैवी आपदा) पहले से ही पुलिस अधीक्षक को पत्र लिख कर अनुरोध करेंगे कि वे सम्बंधित थानाध्यक्षों को ऐसी व्यवस्था के सम्बंध में समुचित निर्देश जारी कर दें। चूंकि ऐसे समय पर मनुष्यों एवं पशुओं की बीमारी फैलने का भय बना रहता है। अतः स्वास्थ्य विभाग की निरोधात्मक कार्यवाही हेतु पहले से ही तैयार रहना चाहिये। बाढ़ चौकी के प्रभारी अधिकारी एवं नियुक्त कर्मचारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह बाढ़ चौकी में अपनी उपलब्धता चौबीस घण्टे बनाये रखे ं। वितरण की गई सामग्री का क्रय एवं वितरण इत्यादि का लेखा जोखा नियमानुसार रखा जाये तथा बाढ़ चौकियों से सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा भ्रमणउपजिलाधिकारी/तहसीलदार के निर्देशोनुसार जायेंगे ताकि समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं बाढ़ चौकियों से आपस का समन्वय बना रहे। जहां आवश्यक हो अहैतुक सहायता का वितरण उप जिलाधिकारी/तहसीलदार द्वारा किया जायेगा।

बाढ़ की समाप्ति पर तृतीय चरण में बीमारियां फैलने के कारण अत्याधिक खतरा रहता है, अतः परिस्थितियों में स्वास्थ्य विभाग को सर्तकता एवं सक्रिय योगदान की नितान्त आवश्यकता है उपयोगिता रहती है इसके लिये आवश्यक होगा कि जनपद का स्वास्थ्य विभाग अपने को पूर्ण रूपेण तैयार रखे और दवाओं का छिड़काव कराने तथा संक्रमक रोगों का मुकाबला करने विषयक आवश्यक चिकित्सा कार्य तत्काल प्रारभ्म कर देगें। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियो की ड्यूटी पहले से ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रो ंमे ंलगाकर उनके दायित्व उन्हें निर्दिष्ट कर दिये गये है। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद बागपत का यह दायित्व होगा कि बाढ़ के समय नगर की सफाई की विशेष व्यवस्था युद्ध स्तर पर सुनिश्चित करा लें। इस अवधि में बाढ़/अतिवृष्टि से गिरे हुये मकानों का सर्वेक्षण करा लेना आवश्यक होगा ताकि पात्र व्यक्तियों को ग्रह अनुदान का वितरण पात्रता सूचिया तैयार कराकर शीघ्रता से कराया जा सके। ऐसी सूचियों की तैयारी एवं जांच एक सप्ताह की अवधि में करा लेना आवश्यक होगा। समय–समय पर प्राप्त शासनादेशो ं के अनुसार राहत सामग्री अहैतुक सहायता एवं ग्रह अनुदान के लिये तैयार कराई जा रही पात्रता की सूची में यह सुनिश्चित किया जाये कि पात्र व्यक्ति का नाम छूट न जाये। इन सूचियों का सत्यापनार्थ हेतु खण्ड विकास अधिकारी की सहायता प्राप्त की जा सकती है तथा प्राप्त सूचियों में कुछ प्रतिशत का सत्यापन उपजिलाधिकारी द्वारा भी किया जायेगा। बाढ़ के बाद राजस्व अधिकारी क्षति का पूर्ण विवरण तैयार करेंगे। तदानुसार कृषि देय के स्थगन एव ं छूट सम्बन्धी प्रस्ताव उपलब्ध करायेगें। बाढ़ समाप्त होने पर विद्युत विभाग का दायित्व होगा कि वह विद्युत की क्षतिग्रस्त लाइनों एवं खम्भों को तत्काल मरम्मत कराकर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें। लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गों को तत्काल मरम्मत का कार्य कराया जायेगा। इसी प्रकार पुलिस को भी पीड़ित

व्यक्तियों की सम्पत्ति एवं सुरक्षा का दायित्व होगा। जिला कृषि अधिकारी आगमी फसल के लिये रसायनिक खादो ं एव ं बीजों की व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। बाढ़ के पूर्व, बाढ़ के समय एवं बाढ़ के उपरान्त हो कार्य जिस विभाग द्वारा सम्पादित किया जाना है उसका विवरण संलग्न तालिका में दर्शाया गया है।

बाढ़ सम्बन्धी अधिनियम

गृह विहीन व्यक्तियों को अन्यत्र बसाने एवं अन्य सहायताओं विषयक विशेष अधिनियम पहले से ही बने हुये है। जिनके प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोगकर समस्याओं का शीघ्रता से निराकरण कर प्रभावित व्यक्तियों को राहत पहुंचाई जा सकती है। आपकी सुविधा के लिये इन अधिनियमों जिनका उल्लेख फ्लड ए अन्डर नेचुरल कैलामिटीज मैनुअल के रूप में उद्घृत भी है। संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :–

1. उत्तर प्रदेश सम्पत्ति हस्तगत करने के अधिनियम 1952 द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश सम्पत्ति के हस्तगत करने का (बाढ़ सहायता अस्थाई) अधिकार अधिनियम 1948 इसमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बाढ़ पीड़ितों को सहायता एवं आवास प्रदान किये गये है।
2. उत्तर प्रदेश बाढ़ सम्बन्धी आपात कालीन अधिकारी खाली कराने एवं अधिग्रहीत करने का(अधिनियम 1961 इसमें जन जीवन की सुरक्षा के लिये नांवों को अधिग्रहीत करने एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को पूर्ण अथवा आंशिक रूप से खाली कराने के अधिकार दिये गये है।

3. यू0पी0 रूल्स डेवलेपमेन्ट रिक्यूजीशनिंग आफ एक्ट 1984 की धारा–3 तथा शासनादेश संख्या–181 आर0आई0एस0 दिनांक 29 जनवरी 1951 यदि जलप्लावित क्षेत्रो ंसे पानी की निकासी के लिये कोई नालियां आदि खोदनी हो और उसके लिये भूमि अधिग्रहीत कराना आवश्यक हो तो उपरोक्त प्राविधानों के अनुसार तत्परता से कार्यवाही की जा सकती है।

4. उत्तर प्रदेश गृह स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) अस्थाई अधिकार अधिनियम 1957 बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में यदि उत्तर प्रदेश गृह स्थल (बाढ़ पीड़ित क्षेत्र) अस्थाई अधिकारी अधिनियम 1957 के दिये गये अधिकारों का प्रयोग करना आवश्यक हो तो उक्त अधिनियम के परिच्छेद के अन्तर्गत अधिसूचना जारी करने के लिये शासन से सम्पर्क स्थापित किया जाना चाहिये।

जन सहयोग

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि जिले के अधिकारी की जन सहयोग प्राप्त हो उपजिलाधिकारी अपने तहसीलों से जन प्रतिनिधियों की समितियों का गठन सुनिश्चित करेंगे। बाढ़ क्षेत्रो मे ं पीड़ितों का सहायता तथा शीघ्र दी जाये। सहायता वितरण के लिये तिथियां निर्धारित कर उसका प्रचार किया जना चाहिये। जिससे बाढ़ पीड़ित को पूर्ण जानकारी हो सके। तथा उसकी सूचना स्थानीय सहायता विधायकों एवं ब्लांक प्रमुखों को भी दी जाये। जिससे यदि वे चाहें तो अनुदान व सहायता वितरण के समय स्वयं उपस्थित रह सकें। दैवी आपदा के कारण हुये क्षति के सम्बंध में ऐसी तात्कालिक सहायता दी जाये जिससे प्रभावित व्यक्ति आपत्ति का सामना कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। समुचित व्यवस्था के लिये धनराशि की आवश्यकता की पूर्ति जिला दैवी आपदा कोष से भी की जा सकती है। अतः जिले के दैवी आपदा कोष में स्वैछिक दान व रुपया जमा कराने के

प्रयास किये जाये और तहसील स्तर पर समितियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये। बाढ़ पीड़ितों को भी भोजन वस्त्र, बर्तन आदि की व्यवस्था करने के लिये समाज सेवी संस्थाओं से भी सहयोग लिया जाये। जनपद बागपत की बाढ़ सुरक्षा के अन्तर्गत तहसील स्तर पर इस योजना नियन्त्रक एवं संचालक उपजिलाधिकारी होंगे तथा योजना की सत्यता उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।

जिला परामर्शदात्री सहायता समिति का गठन

01. विधायक (वर्णमाला के क्रमानुसार) अध्यक्ष
02. जिलाधिकारी, बागपत उपाध्यक्ष
03. पुलिस अधीक्षक, बागपत सदस्य
04. मुख्य विकास अधिकारी, बागपत सदस्य
05. मुख्य चिकित्साधिकारी, बागपत सदस्य
06. जिला विकास अधिकारी, बागपत सदस्य
07. अपर जिलाधिकारी, (वि0/रा0) सदस्य
08. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, बागपत सदस्य
09. अधिशासी अभियन्ता, पम्प कैनाल, बागपत सदस्य
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई प्रखण्ड बागपत सदस्य
11. अधिशासी अभियन्ता, जल निगम बागपत सदस्य
12. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप प्रखण्ड, बागपत सदस्य
13. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बागपत सदस्य
14. अधिशासी अभियन्ता, लोकनिर्माण लोक निर्माण विभाग, बागपत सदस्य
15. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, बागपत सदस्य
16. जिला सूचना अधिकारी, बागपत सदस्य
17. जिला पूर्ति अधिकारी, बागपत सदस्य
18. जिला कृषि अधिकारी, बागपत सदस्य
19. मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, बागपत सदस्य
20. समस्त उपजिलाधिकारी, बागपत सदस्य
21. प्रभागीय वनाधिकारी, बागपत सदस्य
22. उप कृषि निदेशक बागपत सदस्य
23. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद बागपत सदस्य
24. अध्यक्ष, जिला परिषद बागपत सदस्य
25. स्वयं सेवी संस्थाओं के तीन प्रतिनिधि सदस्य
26. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के तीन प्रतिनिधि सदस्य
27. जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत एक डिप्टी कलेक्टर सदस्य

बाढ़ की अवधि

बाढ़ का समय निश्चित होता है। हमारे क्षेत्र में बाढ़ का समय जून से सितम्बर तक माना जाता है। जब वर्षा ऋतु होती है। बाढ़ से सुरक्षाः–

बाढ़ के पूर्वः–

01. अपने परिवार व गाँव के लिए एक आपदा प्रबन्ध योजना बनाएं। समय–समय पर इसका पूर्वाभ्यास भी करें।
02. बारिश के समय/मौसम में रेडियो या टी0वी0 से प्रसारित सूचना व चेतावनी सुनें और उनका अनुपालन करें।
03. अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं।
04. अपना आपदा सहायता किट तैयार रखें।
05. आवश्यक सामग्री एवं मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दें।
06. नाव की मरम्मत करवा लें।
07. मवेशियों के लिए चारा इकट्ठा कर लें।

बाढ़ के दौरान–

01. उबला पानी पियें।
02. भोजन ढककर रखें।
03. बच्चों को भूखा न रहने दें।
04. ब्लीचिंग पाउडर से आसपास की जगह साफ रखें।
05. राहत सामग्री वितरित करने में प्रशासन/संस्थाओं का सहयोग करें।
06. अगर घर खाली करना होा तो अपना आपदा सहायता किट अवश्य साथ ले जायें।
07. घर खाली करने से पूर्व कीमती वस्तुएं व जरूरी कागज को प्लास्टिक की थैली में लपेटकर ऊँचे स्थान पर रखें।
08. नंगे पाँव बाहर न निकलें, बच्चों को नंगे पाँव न निकलने दें।
09. घर खाली करते समय लैटरिन में बालू से भरी बोरियां डाल दें। और किसी भी प्रकार के छेद या नाली को बन्द कर दें।
10. यदि पानी की गहराई पता न हो तो उसे पार करने की कोशिश न करें। यदि पार करना आवश्यक हो तो एक डण्डा साथ रखें। जिससे गहराई की जानकारी हो सके।
11. बच्चों को बाढ़ के पानी में मत खेलने दें।
12. सांपों से बचकर रहें।

.स्थानीय संसाधनों से बाढ़ के दौरान खोज–बचाव का निर्माण

यदि हम अपने आसपास की मामूली वस्तुओं पर ध्यान दें तो पायेंगे कि बहुत सारी चीजें हमारे किसी न किसी उपयोग की हो सकती हैं। बस हम थोड़ा सोच–विचार कर उन्हें संशोधित कर उन्हें संशोधित कर लें या जोड़ लें तो उनका उपयोग उनके कार्यों में किया जा सकता है। खोज व बचाव कार्य में काम आ सकने वाली बहुत सी वस्तुएं हमारे घर में ही होती हैं, पर उनका प्रयोग अलग–अलग तरीकों से करने में हम प्रशिक्षित नहीं होते। इसी कारण हम बच सकने वाली दुर्घटनाओं में भी घायल हो जाते हैं या भाग नहीं पाते

- गाड़ियों के एक–दो पुराने टायर–ट्यूब मरम्मत कराकर घर में रखें रहे तो बाढ़ के समय पानी से सुरक्षित बाहर निकला जा सकता है। चार ट्यूब आपस में बाँधकर नाव का भी

काम लिया जा सकता है।

- पानी या कोल्ड डिंक की बड़ी (2 लीटर वाली) बोतलों को ढक्कन से बन्द कर दें और टेपसे उसे सील कर दें फिर उसको शर्ट में पीठ की ओर चार बोतलों को कसकर बाँध दें पर बोतल पिचके नहीं। ये लाइफ जैकेट तैयार हो गया। इसे पहनकर पानी में तैरने का पूर्वाभ्यास कर लेना चाहिए।
- पुराने कम्बल के दो किनारों को आपस में सिलकर पाइप की तरह बना लें फिर इस पाइप के अन्दर दो डण्डे डालकर दोनों डाण्डों को बाहर की ओर खींचे जिससे पाइप एकदम पतला हो जाए। अब डण्डों को किनारें–किनारें पर बाँध लें। यह फोल्डिंग स्ट्रेंचर तैयार हो गया है।
- लाठी अपने आप में ही बचाव का एक अच्छा उपकरण है। बाढ़ के पानी में जाना यदि आवश्यक हो तो जाते समय लाठी साथ ले लेनी चाहिए। इससे पानी की गहराई का अन्दाजा तो होता ही है, साथ ही कीड़े–मकोड़ों और जानवरों से भी सुरक्षा होती है। पुरानी धोतियों को आपस में जोड़कर उमेठकर रस्सी का काम लिया जा सकता है।

जनपद बागपत में हुई वर्षा का तीन वर्षो का तुलनात्मक विवरण अक्टूबर 2016 तक (मि0मि0) में:–

माह	सामान्य	वर्ष 2014	वर्ष 2015	वर्ष 2016
जनवरी	25.40	42.10	23.65	0.00
फरवरी	25.60	64.81	2.00	0.42
मार्च	15.20	17.17	118.27	30.42
अप्रैल	10.50	10.66	28.94	0.00
मई	13.30	50.31	33.12	29.81
जून	70.10	103.43	49.27	14.90
जौलाई	200.30	76.95	135.72	207.00
अगस्त	190.00	75.39	128.88	124.4
सितम्बर	136.90	107.84	12.74	31.38
अक्टूबर	19.90	0.00	0.85	00.00
नवम्बर	2.10	0.00	2.69	
दिसम्बर	9.50	5.38	0.0	

सूखा

जनपद बागपत में अधिकांशतः सामान्य से कम वर्षा होने के कारण सूखे की स्थिति बनी रहती है। जनपद बागपत में विगत 10 वर्षों के दौरान वर्ष 2002–2003 तथा 2004–05, 2014–15 एव ं 2015–16 सूखे से प्रभावित रहा है। ग्रीष्म ऋतु में जनपद बागपत का अधिकतम तापमान सामान्यतः 46.2 डिग्री से0 तक अधिकतम तथा न्यूनतम 32.2 डिग्री से0 रहता है। जिसके कारण जनपद में गर्मी का व्यापक असर रहता है। जनपद में पेयजल आपूर्ति की ग्रीष्म ऋतु मे ं अक्सर समस्या पैदा हो जाती है। जिसकी व्यवस्था टैंकरों द्वारा सम्बन्धित क्षेत्रो में जलापूर्ति कराकर की जाती है। जनपद मुख्य रूप से कृषि प्रधान है। इसकी अधिकांश आबादी कृषि पर निर्भर है। खेती की सिंचाई हेतु जनपद में उपलब्ध संसाधनों का विवरण इस प्रकार हैः–

1.कृषि योग्य भूमि (हे0 में) :– 1.09
2.शुद्ध सिंचित (हे0 में) :– 83617
3.शुद्ध असिंचित (हे0 मे) :– 25383
4.जनपद के सरकारी चालू नलकूपों की संख्या :– 256
5.जनपद में कुल टेलों की संख्या :– 37
6.जनपद में कुल पम्प कैनालों की संख्या :– शून्य
तहसीलवार सूखे से प्रभावित ग्रामों का विवरण

सूखा आपदा प्रबन्धन हेतु

इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए ैजंदकंतक व्चतंजपवदैलेजमउ ;व्द्ध इस प्रकार है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्र0 सं0	अधिकारी/संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास।आवश्यक आधुनिक उपकरणो/संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना।रासायनिक पदार्था के भण्डारण परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्रित करना	खोज,बचाव एवं राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी,शरणालय /राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार सैन्य/अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव

				निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों कोविसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत शिविरो / शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी (वि0 / रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो / पीडितो / मृतको आदि कीसूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	पीडित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो / पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।

			के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	
7	विधुत विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपने विधुत केन्द्रो पर अवांछनीय व्यक्तियों के प्रवेश से रोके तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस के दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विधुत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिवरों में विधुत आपूर्ति	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुननिर्माण
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

सूखे की समस्या के निदान हेतु विभागों को जारी किये गये दिशा–निर्देश

जनपद में कम वर्षा के कारण अवर्षण की स्थिति होने पर सूखे की समस्याओं के समाधान हेतु निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही किए जाने की सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिए गए है ं।

1. फसल चक्र में फसलों का बदलाव तथा उन्नत बीजों का उपयोग किये जाने हेतु सूखे की समस्या उत्पन्न होने पर कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जा रही है।
2.फसलों में फव्वारा पद्धति का विकास करके जल संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जा रही है।
3.कृषि के साथ अन्य प्रकार के रोजगारों व परम्परागत उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कार्यवाही कृषि विभाग द्वारा की जा रही है।
4.वैकल्पिक फसलों के साथ खाद्य एवं बीज के प्रबन्ध की व्यवस्था उद्यान एवं कृषि विभाग से सूखे की समस्या उत्पन्न होने पर तत्काल प्रभाव से की जाएगी।
5.फसलों में रोग बचाव हेतु कीटनाशक दवाओं की समुचित व्यवस्था की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग द्वारा सुनिश्चित की गई है।
6.पेयजल की सभी स्रोतों/संसाधनों की उचित मरम्मत एवं पूर्ण उपयोग जाने हेतु प्रशासन द्वारा हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।
7.खराब नलकूपों को समय से मरम्मत किये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता नलकूप खण्ड द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।
8.पशुओं के पेयजल हेतु सिंचाई विभाग की नहरों/नलकूपों/निजी नलकूपों के माध्यम से तालाब एवं पोखरों के भरवानें की व्यवस्था अधिशासी अभियन्ता सिंचाई नोडल अधिकारी सिंचाई द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। वर्तमान समय में सिंचाई की कोई समस्या नहीं है।
9.खेतिहर मजदूरों एवं अन्य जरूरतमंद लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाती है तथा यह प्रयास किया जाता है कि प्रत्येक राजस्व गांव में सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत नियमानुसार कम से कम एक कार्य प्रतिदिन अवश्य होता रहे।
10.सूखे के प्रभाव को कम करने के लिए सरकारी योजनाओं यथा–मनरेगा आदि का क्रियान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों निर्देशित किया गया है।
11.खराब टांसफार्मर निर्धारित अवधि में बदलने की व्यवस्था विद्युत विभाग द्वारा सुनिश्चित की जाती है।
12.रोस्टर के अनुसार निर्धारित समय में निर्बाध रूप से विद्युत आपूर्ति हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने का प्रयास किया जा रहा है। स्थानीय खराबी को शीघ्रताशीघ्र ठीक कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।
13.सिंचाई के सभी संसाधनों/सरकारी नलकूपों को चालू स्थिति में रखने का यथा संभवप्रयास किया जाता है।
14.नहरों के रोस्टर के अनुसार चलाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की गयी है।

15.मनुष्यों को लू, संक्रामक रोगों एवं महामारियों से बचाने के लिए आवश्यक निषेधात्मक व्यवस्था एवं सघन चिकित्सीय व्यवस्था को बेहतर बनाये जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित किया गया है।
16.महामारियों के नियंत्रण हेतु वांछित दवाओं की व्यवस्था किए जाने हेतु समस्त सम्बन्धितों को निर्देशित किया गया है।.

<u>सम्भावित सूखे को देखते हुए चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से सम्बन्धित निम्नवत् तैयारियां की गयी हैंः–</u>

(क)–स्टाफ की उपलब्धताः–जनपद के जिला चिकित्सालय पुरुष एवं महिला तथा पुलिस चिकित्सालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपलब्धता के अनुसार चिकित्सालयों में चिकित्सा अधिकारियों/कर्मचारियों से कार्य लिया जा रहा है। जिससे कार्य सुचारू रूप से चल सके।

(ख)–दवाओं की उपलब्धताः–जनपद के जिला चिकित्सालय पुरुष एवं महिला तथा पुलिस चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जीवन रक्षक औषधियां सहित सभी औषधियां उपलब्ध हैं।

(ग)–शैया की उपलब्धताः–जिला चिकित्सालय पुरुष एवं महिला में शैया की उपलब्धता मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

(घ)–गंभीर बीमारियों के लिए अलग शैयाओं की व्यवस्थाः–किसी तरह की आकस्मिकता आने पर प्रत्येक प्रत्येक सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 एवं जिला चिकित्सालय में अतिरिक्त शैयाओं की व्यवस्था कर ली जाएगी।

(ड.)–पेयजल आपूर्ति की व्यवस्थाः–जनपद के सभी चिकित्सालयों में जलापूर्ति हेतु ओवर हेड टैंक की स्थापना है तथा सभी चिकित्सालयों में हैण्डपम्प भी स्थापित है।

(च)–विद्युत आपूर्ति की व्यवस्थाः–रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति होती है तथा जिला पुरुष/महिला चिकित्सालय एवं सी0एच0सी0/पी0एच0सी0 कुरारा, मौदहा, मुस्करा, नौरंगा, राठ, सरीला, सुमेरपुर, गोहाण्ड में जनरेटर एवं इनर्वटर उपलब्ध हैं।

(छ)–संक्रामक एवं महामारी से सम्बन्धित सूचनाः–जनपद मं मुख्यालय सहित सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संक्रामक रोग नियन्त्रण टीमों का गठन कर लिया गया है जो जनपद में किसी भी स्तर से सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित स्थान पर जाकर टीम उपचारात्मक एवं निरोधात्मक कार्यवाही की जाती है। अभी तक जनपद में किसी भी संक्रामक/महामारी की सूचना नहीं है।

(ज)–एम्बुलेन्स की उपलब्धताः–आकस्मिक चिकित्सा व्यवस्था हेतु जनपद में 108 एम्बुलेन्स सेवा तत्काल उपलब्धता स्वास्थ्य विभाग द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
वर्तमान समय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में सूखे से सम्बन्धित कोई समस्या नहीं है। फिर भी सूखे को देखते हुए सभी तैयारियाँ कर ली गयी हैं।

सम्भावित सूखे से निपटने हेतु पशुपालन विभाग बागपत की तैयारियों का विवरणः–

17. पशुओं के चारे के अभाव की स्थिति में निपटने हेतु कार्य योजना तैयार कर ली गयी है। सूखेकी समस्या उत्पन्न होने पर तात्कालिक प्रभाव से चारे की व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतुमुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित भी किया गया है।

वर्तमान समय में एक सप्ताह से मानसून सक्रिय हो जाने के कारण जनपद में सूखे जैस स्थिति की सम्भावना प्रतीत नहीं हो रही है। फिर भी विभाग द्वारा पूर्व में ही सूखे से निपटने हेतु सभी आवश्यक तैयारियाँ पूर्ण कर ली गयी हैं। जनपद में पशुओं के लिए वर्तमान में चारे की कोई कममी नहीं है। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर विभागीय प्रक्षेत्रों एवं स्थानीय स्तर पर भूसे की व्यवस्था सुनिश्चित कराने के लिए पूर्व में ही दिशा–निर्देश दिए जा चुके हैं। जनपद में 35 सूखा राहत केन्द्र प्रस्तावित किए गए हैं, जिसमें 60 कुन्टल भूसा की व्यवस्था प्रस्तावित है।

पशुओं के पेयजल की व्यवस्था हेतु हैण्डपम्प, नहरें, पोखर एवं विशेष परिस्थिति में टैंकरों द्वारा पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सूखे की विषम परिस्थितियों में पशु सुरक्षा हेतु 400 बड़े तथा 180 छोटे पशु संक्षित कर 30 से अधिकतम 90 दिनों तक निःशुल्क भूसा, सूखा चारा, चिकित्सा एवं टीकाकरण जैसी सुविधाएं प्रदत्त की जाएंगी। टीकाकरण तथा पशु चिकित्सा का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है तथा वर्तमान समय में जनपद में पशुओं में कोई बीमारी नहीं है। पशुओं में बीमारी से रोकथाम हेतु विभाग के पास प्रत्येक चिकित्सालयों में पर्याप्त मात्रा में टीके तथा औषधियाँ उपलब्ध हैं। विभाग में प्रत्येक पशु चिकित्सालय के तहसील स्तर पर 01 उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी तथा ब्लाक स्तर पर एक–एक पशु चिकित्साधिकारी कार्यरत हैं। सूखे की स्थिति से निपटने हेतु अधिकारियों के साथ–साथ स्टाफ पूर्णतया तैयार है, जिसके लिए मुख्यालय तथा ब्लाक स्तर पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना की गयी है जो कि सूखे की स्थिति में 24 घण्टे कार्यरत रहेगा।

18. पशु चिकित्सालयों में पशुओं के उपचार के संसाधन एवं दवाओं की समुचित व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की गयी है। इसके लिए समस्त सम्बन्धितों को पूर्व में ही निर्देश निर्गत किए जा चुके हैं।

19 .आकस्मिकता हेतु आवश्यक खाद्यान्न एवं उपभोक्ता वस्तुओं की व्यवस्था। वर्तमान समय में खाद्यान्न की कोई समस्या नहीं है। डीजल आदि पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

20. कुपोषण की स्थिति से निपटने हेतु सभी तैयारियां सम्बन्धित विभाग द्वारा की गयी हैं।

21. सूखे की अवधि में अग्निकाण्ड की स्थिति उत्पन्न होने पर अग्नि–शमन सेवाओं का तत्काल उपयोग किया जाएगा। वर्तमान समय में अग्निशमन की गाड़ियां जनपद में पर्याप्त मात्रा मेंउपलब्ध नहीं हैं।

22. आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत उपलब्ध करायी जाती है।

23. सूखे के संबंध में उत्पन्न स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत वांछित कार्यवाही। वर्तमान समय में सूखे से सम्बन्धित कोई गम्भीर समस्या नहीं है। मुख्य रूप से पेयजल की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसका प्रमुख कारण जल स्तर का गिर जाने से हैण्डपम्प कार्य नहीं करते हैं। फिर भी पेयजल की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाये रखने हेतु सभी सार्थक

प्रयास प्रशासन द्वारा किए जा रहे हैं।सामान्यता सूखे की स्थिति उत्पन्न होने पर जनपद में मानव पेयजल, पशु पेयजल की समस्या उत्पन्न होती है जिसके लिए अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, जल संस्थान को पेयजल आपूर्ति चालू रखने हेतु समुचित दिशा–निर्देश भी निर्गत किए गए हैं। पशुओं के पेयजल हेतु अधिक से अधिक तालाब/पोखर एवं गड्ढे भराये जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई नोडल अधिकारी सिंचाई को निर्देशित किया गया है। कृषि विभाग को कम वर्षा में बोई जाने वाली फसलों के बारे में जनपद के किसानों का जागरूक किए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। मनरेगा के अन्तर्गत अधिक से अधिक कार्य कराये जाने को प्राथमिकता प्रदान किए जाने की अपेक्षा की गई है। मानव एवं पशुओं के रोगों से बचाव हेतु मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को भी सतर्कता बरतने व जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता बनाये रखने हेतु निर्देशित किया गया है। पशुओं के लिए पर्याप्त चारे की व्यवस्था हेतु मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए गए हैं।

1– मानसूनी वर्षा समय से हाने के बाद बीच में अवर्षण होने की दशा में :–

कभी–कभी खरीफ में वर्षा समय से प्रारम्भ होने के बाद बीच में रूक जाती है और यदि अवर्षण की स्थिति 10–15 दिन से अधिक होती है तो बोयी गई फसलें सूखने लगती है । अतएव ऐसी स्थिति में :–

क– फसलों को बचाने के लिये सुरक्षात्मक सिंचाई की व्यवस्था परम आवश्यक है इसके लिये

1– समस्त राजकीय नलकूपों को चालू हालत में रखा जायेगा ।

2– खराब होने वाले नलकूपो को त्वरित मरम्मत का प्रबन्ध किया जायेगा ।

3– डीजल/बिधुत की नियमित एवं निर्वाध आपूर्ति करायी जायेगी।

4– नहरों का संचालन।

इस प्रकार से सिचाई के उपलब्ध समस्त साधनों का उपयोग करते हुये फसलों की क्षति को बचाने के प्रयास किये जायेगे। आवश्यक होगा कि विभिन्न स्तरो पर उपरोक्त संसाधनों के सुचारू रूप से चलते रहने की समय–समय पर समीक्षा की जायेगी।

क– यदि बीच में अवर्षण की स्थिति के कारण कुछ खेतो में फसलें सूख जाती है तो बाद में वर्षा होने की दशा में कम समय में तैयार होने वाली संकर बाजरा, उर्द, मूँग तथा तिल फसलों की बुबाई कराने के प्रयास किये जायेगें।

ख– खडी फसलों वाले खेतों में भूमि में नमी संरक्षण रखने हेतु फसलों में इण्टर कल्चर एवं मल्चिंग क्रियाओं के लिये किसानों को प्रोत्साहित करने के प्रयास किये जायेगें, क्योकि निराई, गुडाई करके फसलों को खरपतवारों से मुक्त रखने से भूमि की नमी फसलों को ही मिलेगी तथा खेतो में नमी का संरक्षण भी होगा।

ग– यदि अवर्षण की स्थिति अगस्त के तीसरे सप्ताह में बनी रहती है तो उस दशा में उर्द, मूँग, तथा तिल की बुबाई की जायेगी तथा सितम्बर माह के प्रथम पखवारे में अगेती राई/सरसों एवं तोरिया की बुबाई करायी जायेगी ।

.2. मानसून वर्षा समय से पहले समाप्त होने की दशा में :–

जनपद में वर्षा समान्यतः 20 जून से प्रारम्भ होकर सितम्बर माह तक होती है और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में भी छिटपुट वर्षा हो जाती है। कभी कभी यह मानसूनी वर्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह या सितम्बर माह में ही समाप्त हो जाती है इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होने से जनपद में खरीफ की प्रमुख फसलों को भारी क्षति होती है । इस सम्भावित क्षति को रोकने/कम करने के लिये :–

क– मध्य में अवर्षण की स्थिति के लिये लिखित बिन्दुओं–2 क एवं 2 ग के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेगी।

ख– वर्षा का जो पानी संचय बन्धियों में उपलब्ध है। उससे फसलों के बचाने हेतु सुरक्षात्मक सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जायेगा।

ग– खेतों में जुताई ढाल के बिपरीत करायी जायेगी, तथा किसानों को इस बात के लिये भी प्रेरित किया जायेगा कि वे खेतों में जुताई सायंकाल करके अगली प्रातः पाटा लगायें जिससे रात्रि में पड़ी ओस की नमी के रूप में भूमि में अधिकतम संचय हो सके।

वर्ष 2015 में सूखा राहत कार्यक्रम के अर्न्तगत के अर्न्तगत आवश्यक कार्यो का विवरण

अधिषासी अभियन्ता उ0प्र0 जल निगम, बागपत द्वारा सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरीय क्षेत्रों हेतु आवष्यक कार्यो का विवरण प्रस्तुत किया है, जो निम्नवत् है–

वर्ष 2015 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत आवष्यक कार्यो का विवरण

क0सं0	जनपद का नाम	क्षेत्र	प्रस्तावित कार्य			अतिरिक्त वितरण प्रणाली	कुल धनराशि	टिप्पणी
			नये हैण्डपम्प	पुर्नस्थापना योग्य हैण्डपम्प	पुर्नस्थापना योग्य हैण्डपम्प			
1.	बागपत	ग्रामीण क्षेत्र	0	890	4	54	1176.740	
		नगरीय क्षेत्र	27	18	0	—	28.413	
	योग						1205.153	

ग्रामीणक्षेत्रः–
(धनराषि लाख रू0 में)

क	विकास खण्ड का नाम	प्रस्तावित नये हैण्डपम्प				प्रस्तावित पुर्नस्थापना योग्य हैण्डपम्प		प्रस्तावित पुर्नस्थापना योग्य नलकूप			प्रस्तावित अतिरिक्त वितरण प्रणाली			धनराषि
		मात्रा	दर प्रति हैण्डपम्प	आवश्यक धनराषि	मात्रा	दर प्रति हैण्डपम्प	आवश्यक धनराषि	मात्रा	दर प्रति हैण्डपम्प	आवश्यक धनराषि	मात्रा	दर प्रति नलकूप	आवश्यक धनराशि	
1	बागपत	0	0	0	145	0.566	82.070	0	0	0	2	12.000	24.000	106.070
2	बडौत	0	0	0	183	0.566	103.578	0	0	0	20	12.000	240.000	343.578
3	खेकडा	0	0	0	104	0.566	58.864	0	0	0	2	12.000	24.000	82.864
4	छपरौली	0	0	0	118	0.566	66.788	0	0	0	4	12.000	48.000	114.788
5	पिलाना	0	0	0	147	0.566	83.202	0	0	0	18	12.000	216.000	299.202
6	बिनौली	0	0	0	193	0.566	109.238	4	25.000	100.000	8	12.000	96.000	230.238
	योग				**890**		**503.740**	**4**		**100.00**	**54**		**648.00**	**1176.740**

नगरीय क्षेत्र :– (धनराषि लाख रू0 में)

क्र0सं0	जनपद	नगर का नाम	प्रस्तावित नये हैण्डपम्प			प्रस्तावित पुर्नस्थापना योग्य हैण्डपम्प			प्रस्तावित पुर्नस्थापना योग्य नलकूप			धनराषि
			मात्रा	दर प्रति हैण्डपम्प	आवश्यक धनराषि	मात्रा	दर प्रति हैण्डपम्प	आवश्यक धनराषि	मात्रा	दर प्रति हैण्डपम्प	आवश्यक धनराषि	
1.	बागपत	बागपत	5	0.675	3.375	3	0.566	1.698	0	0	0	5.073
		बडौत	5	0.675	3.375	5	0.566	2.83	0	0	0	6.205
		खेकडा	3	0.675	2.025	2	0.566	1.132	0	0	0	3.157
		छपरौली	3	0.675	2.025	2	0.566	1.132	0	0	0	3.157
		दोघट	3	0.675	2.025	2	0.566	1.132	0	0	0	3.157
		टीकरी	3	0.675	2.025	2	0.566	1.132	0	0	0	3.157
		अग्रवाल मण्डी	3	0.675	2.025	2	0.566	1.132	0	0	0	3.157

		टटीरी										
		अमीनगर सराय	2	0.675	1.35	0	0.566	0	0	0	0	1.350
योग			**27**		**18.225**	**18**		**10.188**	**0**	**0**	**0**	**28.413**

भाग–3
अग्निकाण्ड

जनपद बागपत के विभिन्न भागों में अग्निकाण्ड से प्रतिवर्ष व्यापक नुकसान होता है। अग्निकाण्ड की घटनाएं प्रायः मार्च से जून के महीने में होती है। प्रत्येक वर्ष लगभग 10 से 20 से अग्किाण्ड की छोटी–बड़ी घटनाएं घटित होती हैं। जनहानि की घटनाएं प्रायः बहुत की कम होती हैं। किन्तु मकानों की क्षति, पशुशाला में काफी क्षति के प्रकरण संज्ञान में आते हैं। प्रकरण दैवीय आपदा के अन्तर्गत आने पर नियमानुसार राहत सहायता भी प्रदान की जाती है। फायर बिग्रेड के पास पर्याप्त संसाधनों का अभाव है। इस दिशा मे निम्न कार्यवाही कार्य योजना में शामिल की जानी आवश्यक है। सभी तहसील एवं विकासखण्ड मुख्यालय में अग्निशमन केन्द्र (फायर स्टेशन) की स्थापना की जानी अत्यन्त आवश्यक है। आवश्यकता पड़ने पर बड़ौत आदि फायर स्टेशनों से अग्निकाण्ड के दौरान मदद ली जाती है।

आगः–आग एक रसायनिक प्रक्रिया है जो त्रिभुज के आधार पर कार्य करती है ताप, ईंधन एवं वायु (ऑक्सीजन) इनमे से किसी एक के न होने पर आग नहीं जल सकती।

आग के प्रकारः–

1. प्रथम श्रेणी की आगः– सामान्य ज्वलनशील पदार्थ की आग जैसे कोयला, लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि की आग। इसे पानी डालकर बुझाया जा सकता है।

2. द्वितीय श्रेणी की आगः– ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग जैसे पेटोल, वार्निस, मिट्टी का तेल आदि। इसे बुझाने के लिए आक्सीजन रोकना आवश्यक है।

3. तृतीय श्रेणी की आगः– ज्वलनशील गैसों की आग जैसे एल.पी.जी., सी.एन.जी. आदि। इसे बुझाने के लिए गैस अथवा पाउडर का प्रयोग किया जाता है।

4. चतुर्थ श्रेणी की आगः– ठोस पदार्थों या धातुओं की आग जैसे मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, लोहा आदि। इसे रासानियक क्रियाओं के द्वारा बुझाया जाता है।

5. पंचम श्रेणी की आगः– जो आग बिजली के द्वारा लगतती है, वह इस श्रेणी में आती है।

इसे विद्युत आपूर्ति बन्द करके बुझाया जाता है।

आग बुझाने के सिद्धान्तः–जिस प्रकार आग लगने के लिए तीन सामग्री आवश्यक है, उसी प्रकार आग बुझाने के लिए इन्हीं तीन सामग्री में से एक को हटाकर या रोककर आग बुझाया जाता है।

1–स्टारवेशन मेथडः– इसका अर्थ है आग को भूखा मारना। आग से यदि उसका भोजन ईंधन आदि हटा दिया जाए तो आग बुझाई जाएगी। इसे निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

;पद्ध ज्वलनशील वस्तु को आग के पास से हटाकर

;पपद्ध आग को ज्वलनशील वस्तु से पास से हटाकर

;पपपद्ध जलने वाली वस्तु को छोटे–छोटे टुकड़ों में बांटकर

2–कूलिंग मेथडः– इसका अर्थ है ताप को कम करना। यदि आग का ताप कम कर दिया जाये तो आग बुझ जायेगी। इसे निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

;पद्धजलने वाली वस्तु को पानी में डालकर

;पपद्ध जलने वाली वस्तु को ठण्डा करके

3–स्मोदरिंग मेथडः–इसका अर्थ है हवा (आक्सीजन) को आग से दूर करना। यदि आग का हवा से सम्पर्क काट दिया जाये तो आग स्वतः बुझ जायेगी। इसे निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

;पद्ध आग के चारों ओर बालू, मिट्टी, कीचड़, कम्बल आदि का आवरण बनाकर

;पपद्ध भवन में लगी आग के लिए सभी खिड़कियों, दरवाजे, रोशनदान आदि बंद करके जलती हुई वस्तु के चारों ओर झाग बनाकर

;पपपद्ध आग पर डांई पाउडर डालकर

<u>अग्निकाण्ड से बचाव हेतु क्या करें:–</u>

1. अपने मकान/स्थान को खाली करने की पूर्व योजना दिमाग में रखें तथा पूर्वाभ्यास भीकरें।
2. मकान/स्थान से निकलने के दो मार्ग सोचकर रखें।
3. फायर एक्सटिंग्युसर लगवाएं तथा चलाना भी जानें।
4. आग/कार्बनमोने ऑक्साइड एलार्म लगवाए तथा उसे ठीक दशा में रखें।
5. मकान/स्थान के बाहर किसी खुली जगह मे ं मिलने का स्थान भी सोचकर रखें।
6. मकान में एल0पी0जी0 गैस की पाइप खराब होने से पहले बदल दें।
7. बच्चों को ज्वलनशील पदार्थ से दूर खें।

क्या करें अग्निकाण्ड के दौरानः–

1–आग/कार्बनमोने ऑक्साइड की सूचना पर शान्ति से किन्तु जल्दी मकान/स्थान खाली करें।

2. काई वस्तु/दरवाजा छूने से पहले समझ ले कि वह बहुत गर्म न हो।
3. धुएं की स्थिति में जमीन/फर्श से सटकर रहें क्योंकि धुआं ऊपर उठता है।
4. फायर/पुलिस से सम्पर्क करें।
5. पेटोल से लगी आग पर पानी काम नहीं करता तथा विद्युत से लगी आग में पानी डालने पर करंट फैलने का खतरा रहता है। अतः पेटोल से लगी आग में मिट्टी/बालू का इस्तेमाल करें तथा बिजीली से लगी आग में विद्युत कनेक्षन काटने के बाद पानी डालें।

क्या करें अग्निकाण्ड के उपरान्तः–

1.घायलों को खुले एवं ठण्डे स्थान पर रखें तथा निकटतम चिकित्सालय पर ले जाए।

क्या न करेंः–

1. जलती मोमबत्ती, अगरबत्ती, गैस, मिट्टी के तेल का उपयोग, अलाव, चूल्हे व बीड़ी या सिगरेट न छोड़े।
2. घर में अनावश्यक एवं अधिक मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ न रखें।
3. घटना के घबराये नहीं।
4. बिजली के तार पर कपड़े न फैलायें।
5. सड़क पर बिजली विभाग के गिरे तारों की उपेक्षा न करके तत्काल विद्युत विभाग को सूचित करें।
6. फसलों मे ं मौसम में खेतों के पास आग न जलाए।

अग्नि सुरक्षा के उपायः–

1. घर में बीड़ी, सिगरेट आदि का प्रयोग न करें।
2. बच्चों की पहुंच से माचिस, स्टोव, पटाखे, तेजाब आदि दूर रखें।
3. भोजन बनाते समय सूती एवं फिट कपड़े पहनें।
4. जलते हुए लालटेन या स्टोव में मिट्टी का तेल न भरें।
5. पहने हुए कपड़ों का प्रयोग, चूल्हे से बरतन उतरने के लिए न करें।
6. भोजन बनाने के बाद चूल्हे, स्टोव व अंगीठीं को तत्काल बुझा दें।
7. गैस सिलेण्डर को सदैव खड़ा रखे ं तथा रात मे ं सोने के पूर्व रेगुलेटर अवश्य बन्द करें।
8. गैस के रबर पाइप को नियमित समय पर बदलें।
9. गैस में लीकेज का आभास होने पर सभी आग बुझा दे ं। सभी खिड़की, दरवाजे खोल दें व गैस एजेन्सी को तत्काल सूचित करें।
10. यदि कपड ों में आग लग जाएतो भागे नहीं। जमीन पर लेटकर या शरीर पर कम्बल लपेटकर आग बुझाने की कोशिश करें।
11. घर के बाहर मार्ग को खुला रखें जिससे आवागमन बाधित न हो।
12. यदि सम्भव हो तो घर में फायर एलार्म या घरेलू अग्निशमन यन्त्र लगवाएं।
13. एक ही साकेट में कई विद्युत उपकरण न लगाए ं।
14. घर की आपदा प्रबन्ध योजना बनाएं तथा समय–समय पर उसका पूर्वाभ्यास करें।
15. घर में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें।
16. रसोई की छत को यदि फूस से बनाएं तो उस पर अन्दर से मिट्टी का लेप करें।
17. गाँव के तालाब या कुए ं तक फायर बिग्रेड के पहुंचने का मार्ग बनाए रखें।
18. यदि किसी आयोजन के लिए पण्डाल लगाएं तो उसके चारो ओर कम से कम 5 मीटर खुला स्थान छोड़ें।
19. पण्डाल की ऊँचाई 3 मीटर से अधिक रखें।
20. पण्डाल से बाहर निकलने के लिए 5 मीटर या उससे चौड ा रास्ता रखें।
21. पण्डाल में कुर्सियां बहुत कम मात्रा में व व्यवस्थित ढंग से लगाए ं।

22. पण्डाल के पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
23. अस्थाई रसोईघर को पण्डाल से 200 मीटर से दूर बनाएं।
24. विद्युत टांसफार्मर, रेलवे लाइन व खलिहान के आसपास आग न जलाएं।
25. बिजली के उपकरणों में आग लगने पर उसे पानी से बुझाने का प्रयास न करें।
26. बिना प्लग के तार बिजली के साकेट में न लगाएं।

आपात कालीन सहायता

- पुलिस 100
- अग्निशमन सहायता 101
- एम्बुलेन्स 102
- समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंन्स 108
- आपदा नियन्त्रण कक्ष 1077
- ट्रैंफिक कन्टोल 1073
- महिला हेल्प लाइन 1090

फोन पर सूचना देते समय घटना स्थल का सही पता बतायें व घटना स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है या नहीं जानकारी दें।

भूकम्प से बचाव हेतु बरती जाने वाली सावधानियाँ

1. पहले झटके बाद और झटकों के लिए तैयार रहें। हालांकि दूसरा, तीसरा झटका उतना प्रभावशाली नहीं होता है, पर फिर भी टूटी इमारत को क्षति पहुंचती है। बाद के झटके कभी भी आ सकते हैं। घंटों, दिनों, हफ्तों, या महीनों बाद, कभी भी।
2. यदि आप ऊंची इमारत में हो तो लिफ्ट का प्रयोग न करें, सीढ़ियो ं का इस्तेमाल करें।
3. टूटे हुए घर में दोबारा प्रवेश न करें और किसी भी क्षतिग्रस्त इमारत से दूर रहें।
4. कांच, खिड़कियों व गिरने तथा टूटने वाले सामनों से दूर रहें।
5. यदि घर के बाहर हैं तो शीघ्र खुले म ैदान अथवा सुरक्षित स्थल पर चले जाये ं।
6. भूकम्प के दौरान ऐसी जगह न खड़े हो जहॉ बिजली के खम्भे, मोबाइल टावर, वाटर टैंक, बिजली के टांसफार्मर इत्यादि हों।
7. यदि आप वाहन चला रहे हों तो सड़क की बायीं ओर हो जाए ं और रुक जाए ं।
8. भूकम्प के दौरान पुल से कभी न जाए ं, क्योंकि हो सकता है पुल आगे टूटा हो।
9. घबराएं नहीं धैर्य बनाये रखें।
10. न तो अफवाह फैलाए ं और न ही अफवाहो ं पर विश्वास करें।
11. अपने रेडियो अथवा टी0वी0 सेट से भूकम्प सम्बन्धी नवीनतम सूचना/बुलेटिन व प्रसारित की जाने वाली पूर्व चेतावनी पर ध्यान दें।
12. पीने का पानी, खाने का समान, जरूरी दवाएं एवं आवश्यक अभिलेख आदि व्यवस्थित कर लें।
13. यदि गैस की महक आये तो खिड़कियां खोल दें तथा गैस बन्द कर दें ओर बाहर निकल आये ं।

14. मोमबत्ती, लालटेन की जगह टार्च का प्रयोग करें। अग्निदुर्घटना की आशका होने पर एहतियात बरतें।
15. यदि तार जलने की बू आये या कोई चिंगारी दिखे, तो मेन स्विच बन्द कर दें। बिजली के स्विचों को कतई मच छुएं।
16. घायलों, विशेषकर बच्चों, बूढ़ों व विकलांगों की मदद करना न भूलें। बुरी तरह से घायल को न हिलाएं, जब तक कि अति आवश्यक न हो। मदद के लिए आवाज दे।

बिंचजमत.3. प्देजपजनजपवदंस ।ततंदहमउमदजे वित क्ड

अध्यायः– 3–जिलाधिकारी के लिए संस्थागत व्यवस्था

जनपद मे ं निर्मल स्वच्छ भारत अभियान के अन्तर्गत सभी नगर वासियो ं से यह अपील की जाती है किः–वह जन्म मृत्यु का पंजीयन कार्यालय मे ं स्वयं कराये, नगर के सर्वांगीण विकास हेतु अपनेसुझाव व सहयोग प्रदान करें, नाला व नालियों एवं सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण न करें। सड़को ं ककिनारे गोबर व कूड़ा आदि एकत्र न करें, नालियों में कूड़ा न डाले, कूड़ेदान का प्रयोग करें।

ग्राम स्तर पर गठित समितिः–

ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य व प्रधान ग्राम में भूमि प्रबन्धकसमिति होती है। जिसका अध्यक्ष प्रधान होता है व मंत्री लेखपाल तथा सभी निर्वाचितसदस्य भूमि प्रबन्धक समिति के सदस्य होते हैं। इस समिति का सहयोग आपदा के समयलिया जाता है।

आपदा प्रबन्धन में राजस्व अधिकारियों/कर्मियों की जिम्मेदारीः–

आपदा से घटना घटित होने पर क्षेत्रीय लेखपालों द्वारा आकार पत्र प–20 पर प्रारम्भिक सूचना मौके पर सर्वे करके रजिस्टंार कानूनगो कार्यालय में दी जाती है। सूचना प्राप्त होने पर रजिस्टंार कानूनगो द्वारा जॉच हेतु घटना की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक या नायब तहसीलदार को दी जाती है। जिसकी एक प्रति सूचनार्थ दैवी आपदा कार्यालय व उपजिलाधिकारी को भी दी जाती है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक व नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर स्थलीय निरीक्षण करके घटना के सम्बन्ध में प्रभावित व्यक्तियों को शासनादेशानुसार निर्धारित दर पर सहायता दिये जाने हेतु आख्या प्रदान की जाती है। आख्या प्राप्त होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा राहत सहायता प्रदान किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा सम्बन्धित लाभार्थी के खाते में जनपदीय कोषगार के माध्यम से ई–पेमेन्ट द्वारा लाभार्थी के खाते में सीधे धनराशि स्थानान्तरित की जाती है। मृत्यु का कारण स्पष्ट करने के

लिए शव विच्छेदन आख्या प्राप्त की जाती है। दैवी आपदान्तर्गत जनहानि होने पर स्वीकृति उपजिलाधिकारीस्तर पर की जाती है। पशुहानि होने पर सम्बन्धित क्षेत्रीय पशु चिकित्साधिकारी से शव विच्छेदन आख्या प्राप्त की जाती है।वर्तमान शासनादेशानुसर कृषि फसलों में आपदा से प्रभावित होने पर 33प्रतिशत से अधिक फसलों की क्षति होने पर क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक द्वारा नियमानुसार आंकलन प्रस्ताव तैयार कराकर शासन स्तर पर प्रेषित किया जाता है। जिसका धनावण्टन प्राप्त होने पर वितरण का कार्य सम्पन्न किया जाता है।

कलैक्ट्रेट पर स्थापित (इमरजेन्सी रिस्पोन्स सेन्टर)का विवरण

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	कर्तव्य
01	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) बागपत	9454417633	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसरधनो को एकत्रित कर उसका उपयोग कराना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियाशील कराना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खुलवाना राहत शिविरो की व्यवस्था आदि कराना।
02	मुख्य चिकित्साधिकारी बागपत	9628962615	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड, डाक्टर, दवाओं , एम्बुलेन्स आदि की व्यवस्था करना।
03	जल निगम बागपत	9473942599	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना।
04	विधुत विभाग बागपत	9412749242	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विधुत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिवरों में विधुत आपूर्ति
05	परिवहन विभाग बागपत	8005441056	मॉग अनुसार अतिशिघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना।

06	रसद एवं आपुर्ति विभाग बागपत	9410482444	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।
07	फायर ब्रिगेड बागपत	9454418752	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणो /संसाधनो के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।
08	सूचना विभाग बागपत	9453005427	मीडिया से समन्वय
09	पशु चिकित्सा विभाग बागपत	9412701388	पशुओ क इलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।
10	दूर संचार विभाग बागपत	9412205900	आपात कालीन स्थिति में वायरलैस सैट स्थापित कराना एवं संदेशो के माध्यम से जनमानस को सूचित करना।

तहसील पर स्थापित (इमरजेन्सी आपरेशन सेन्टर)का विवरण

क0 सं0	अधिकारी का नाम	मोबाईल नम्बर	कर्तव्य
01	उपजिलाधिकारी बागपत	9454416713	मुख्य चिकित्साधिकारी, जल निगम, विधुत विभाग परिवहन विभाग,रसद एवं आपूर्ति विभाग,फायर ब्रिगेड सूचना विभाग, दूर संचार विभाग पशु चिकित्सा विभाग से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।
02	उपजिलाधिकारी बडौत	9454416714	मुख्य चिकित्साधिकारी, जल निगम, विधुत विभाग परिवहन विभाग, रसद एवं आपूर्ति विभाग,फायर ब्रिगेड सूचना विभाग, दूर संचार विभाग पशु चिकित्सा विभाग से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।
03	उपजिलाधिकारी खेकडा	9454416715	मुख्य चिकित्साधिकारी, जल निगम, विधुत विभाग परिवहन विभाग,रसद एवं आपूर्ति विभाग,फायर ब्रिगेड सूचना विभाग, दूर संचार विभाग पशु चिकित्सा विभाग से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।
04	तहसीलदार बागपत	9454416716	मुख्य चिकित्साधिकारी, जल निगम, विधुत विभाग परिवहन विभाग,रसद एवं आपूर्ति विभाग,फायर ब्रिगेड सूचना विभाग, दूर संचार विभाग पशु चिकित्सा विभाग से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।
05	तहसीलदार	9454416717	मुख्य चिकित्साधिकारी, जल निगम, विधुत विभाग परिवहन

	बडौत		विभाग,रसद एवं आपूर्ति विभाग,फायर ब्रिगेड सूचना विभाग, दूर संचार विभाग पशु चिकित्सा विभाग से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।
06	तहसीलदार खेकडा	9454416718	मुख्य चिकित्साधिकारी, जल निगम, विधुतविभाग परिवहन विभाग,रसद एवं आपूर्ति विभाग,फायर ब्रिगेड सूचना विभाग, दूर संचार विभाग पशु चिकित्सा विभाग से सम्पर्क स्थापित कर प्रभावित क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना।

बेंचजमत–4– च्तमअमदजपवद ंदक डपजपहंजपवद उमेंनतमे

अध्याय :–4 –रोकथाम एवं शमन उपायों

आपदा प्रबन्धन में विकास कार्यो की भूमिका

आपदाये व्यापक पैमाने पर जन–धन को क्षति पहुॅचाती है । ओर इसका सीधा नुकसान इस क्षेत्र के विकास कार्यो को पहुॅचाता है। विकास की स्थिरता एवं निरन्तरता के लिये विकास के विभिन्न पहलुओं को आपदा प्रबन्धन से जोड़ने में है जिससे क्षति कम से कम हो और क्षति की भरपाई शीघ्रता से हो सकें। इस तथ्य को स्वीकार करते हुए इस पर बल देने के लिए दसवीं पंचवर्षीय योजना में आपदा प्रबन्धन पर पृथक से एक अध्याय दिया गया है इसका उद्देश्य विकास योजनाओं से आपदा प्रबन्धन को जोड़ना है।

जिले स्तर पर बाढ़, सूखा,सिंचाई, पेयजल,शिक्षा,निर्माण आदि क्षेत्रों में गतिमान कई योजनाओं को विकास योजनाओं से सम्बद्ध किया जा सकता है। कार्यक्रमों एवं उनसे जुड़े विभागो, अधिकारियों के कुछ उदाहरण निम्नवत समझे जा सकते है।

नोडल अधिकारी	कार्यक्रम	कार्य कौन करेगा/कब करेगा
कलक्टर/जिलाधिकारी	विभिन्न विभागो के रोजगार कार्यक्रमों, जिला योजना, प्रदुषण नियन्त्रण, निर्माण आदि की निगरानी	विभागीय अधिकारी योजनाओं के क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के समय
मुख्य विकास अधिकारी	ग्राम्य विकास के कार्यक्रम जैसे रोजगार गारन्टी योजना	सूखा,बाढ़, भूकम्प की स्थिति में खण्ड विकास अधिकारियों के माध्यम से रोजगार सृजन
अधिशासी अभियन्ता जल निगम	ग्रामीण पेयजल योजना	सूखा,बाढ़, भूकम्प आदि के समय स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। अपनी पाईप लाईनो का रख रखाव आदि।

जिला पंचायत राज अधिकारी	ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम	सफाई/पंचायत कर्मचारियों के माध्यम से स्वच्छता एवं जागरूकता सुनिशिचित कराना।
बेसिक शिक्षा अधिकारी	सर्व शिक्षा अभियान,मध्यान्ह भोजन आदि अन्य विभागीय योजनायें।	1–विधायलय को भुकम्प रोधी बनाना। 2–विधालयो का रख रखाव इस हिसाब से करना कि उसका उपयोग शरणालय के रूप में भी हो सके। 3–छात्रो एवं शिक्षको के माध्यम से आपदा प्रबन्धन की प्रति सम्बेदनशीलता एवं जागरूकता पैदा करना।
जिला कृषि अधिकारी	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	बाढ के समय नष्ट हुई फसलो की भरपाई हेतु देर से बोई जाने वाली प्रजातियों की उपलब्धता एवं जागरूकता । इसी प्रकार सूखे की स्थिति में कम पानी वाली फसलो के बीजो की उपलब्धता एवं जागरूकता।
पशु चिकित्सा अधिकारी	टीकाकरण आदि विभागीय कार्यक्रम	आपदा प्रभावित क्षेत्रो में पशुओ का टीकाकरण ,घायलो का इलाज एवं मृत पशुओ के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी	ग्रामीण स्वास्थ मिशन एवं अन्य विभागीय कार्यक्रम	आपदा प्रभावित क्षेत्रो में टीकाकरण , घायलो का इलाज एवं शवो के उचित निस्तारण की व्यवस्था।
आवास एवं नगर विकास	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	बिल्डिंग सम्बन्धी प्रतिबन्धो का कडाई से अनुपालन ,भुकम्प रोधी भवनो का निमार्ण सम्बन्धी विधियो का अनुपालन।
अधिशासी अभियन्ता बाढ खण्ड।	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम	डूब क्षेत्रो का पर्यवेक्षण ,बॉधो का समुचित रख रखाव एवं सुरक्षा।
अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड	विभिन्न विभागीय कार्यक्रम/योजनाये।	सूखे के समय नहरो में पर्याप्त पानी की उपलब्धता सुनिश्चित

		करना।

संक्षेप में कहा जाये तो अपने विभागीय दिशा निर्देशों के अधीन विकास से सम्बन्धित सभी विभाग अपनी योजनाओ को बनाने एवं क्रियान्वयन में आपदा प्रबन्धन से जुडे विभिन्न पहलुओ का ध्यान रखें,तो एक ओर स्थिर विकास की अवधारणा सफल होगी। दूसरी ओर आपदा प्रबन्धन से हाने वाली क्षति भी कम होगी।

तैयारी एंव सटीक प्रतिक्रिया

इस अध्याय में आपदा की तैयारी के सिलसिले में निम्न बिन्दुओ पर चर्चा की जानी है।

1–उपलब्ध संसाधन

2–समुदाय आधरित आपदा प्रबन्धन

3–प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पुर्वाभ्यास ।

4–इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम।

5–आपात कालीन केन्द्र।

1–उपलब्ध संसाधन– जनपद में सरकारी कर्मचारी विभिन्न विभागो में कार्यरत है । सिविल पुलिस ,होमगार्ड के जवान भी आपदा कार्यो हेतु लगाये जा सकते है। एन0सी0सी0 तथा एन0एस0ए0 के स्वयं सेवको की सेवाये भी ली जा सकती है। उपलब्ध संसाधनो की सूची संलग्नक–1 पर प्रदर्शित है।

2–समुदाय आधरित आपदा प्रबन्धन :– सामुदायिक योजना बनाने का मुख्य कारण यह होता है कि व्यक्तियो ओर समुदाय की असुरक्षा कम की जाय ओर आपदाओ की विकारी असर को सहन करने की उनकी क्षमता बढाई जाय । अतः आवश्यक सामुदायिक योजना बनाने में लोगो की सहभागिता आवश्यक होती है। क्योकि जवाबी कार्यवाही करने में सबसे पहले आगे आते है । आपदा की हालत में वही लोग सफल एवं उपयोगी होते है, जिनके पास चिकित्सा या अन्य आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण होता है। आपदा से पहले तथा तथा उसके पश्चात के कुछ घण्टे लोगो के प्राण बचाने में बाहरी सहायता आने में वक्त लग जाता है। ऐसे हालात में समुदाय के प्रशिक्षित सदस्य जीवन रक्षक सम्पदा के रूप में काम करते है। इसके अतिरिक्त खतरे को कम करने की दिशा में समुदाय एक विशेष भुमिका निभाते है।

समुदाय की शिक्षा ओर सहयोग के बिना आपदा प्रबन्धन की कोई योजना पूरी नही हो सकेगी।

इस बाढ प्रबन्ध योजना में समुदाय के प्रशिक्षण एवं जागरूकता सुनिश्चित करने के महत्व को रेखांकित करते हुये ग्राम स्तर तक की कार्ययोजना बनाने तथा उनके प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आदि की योजना रखी गया है। ग्राम स्तरीय कार्य योजना बनाने के लिये चैक लिस्ट अनुसंलग्नक–1 के रूप में भाग–4 में संलग्न है।

3–<u>प्रशिक्षण, जागरूकता एवं पुर्वाभ्यास</u> :– इस क्षेत्र में अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास के साथ ही ग्राम स्तरीय आपदा योजना बनानी होगी। प्रशिक्षण का कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है। :–

<u>समग्र प्रशिक्षण /जागरूकता कार्यक्रमः–</u>

स्तर	मुख्य आयोजक	प्रतिभागियो का विवरण	कार्यक्रम का विवरण
जिला	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)	जिला स्तरीय विभिन्न विभागीय अधिकारी , जनप्रतिनिधि मीडियाएवं स्वयं सेवी संस्थाओ से जुडे लोग	1– प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्याक्रम दो भागो में चलाया जायेगा । प्रथम भाग में आवश्यक सूचनायें दी जायेगी। द्वितीय भाग में पूर्वाभ्यास करके व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया जायेगा। 2– सभी स्तरो पर सम्बन्धित अधिकारियों संस्थाओ , जनप्रतिनिधियों एवं मीडिया दायित्वो पर भी चर्चा की जायेगी।
तहसील	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय अधिकारी,जनप्रतिनिधि ,मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओ से जुडे लोग	
ब्लाक	खण्ड विकास अधिकारी	खण्ड विकास स्तरीय अधिकारी ,जनप्रतिनिधि मीडिया एवं स्वयं सेवी संस्थाओ से जुडे लोग।	
ग्राम	लेखपाल ग्राम पंचायत अधिकारी	ग्राम स्तरीय अधिकारी ,ग्राम प्रधान क्षेत्र पंचायत समिति सदस्य ग्राम पंचायत सदस्य आदि	

<u>4–इन्सीडेण्ट कमाण्ड सिस्टम</u> :– किसी दुर्घटना की स्थिति में अफरा तफरी से बचने एवं त्वरित कार्यवाही हेतु एकीकृत नियन्त्रण प्रणाली उपयोगी है। इस प्रणाली के मुख्य नियन्त्रक जिला मजिस्ट्रेट है। भिन्न आपदाओ के प्रकृति के हिसाब से भिन्न इन्सीडेन्ट कमाण्डर बनाये गये है। मानव जनित आपदाओ जैसे जैव,परमाणु तथा रसायन हमले की स्थिति में पुलिस अधीक्षक इन्सीडेण्ट कमाण्डर है। बाढ,सूख,भूकम्प आदि परम्परागत दैवी आपदाओ के लिये अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) इन्सीडेण्ट कमाण्डर है।

<u>इन्सीडेण्ट कमाण्डर के मुख्य कार्य</u>

1–आपात स्थिति में संचार की समन्वित व्यवस्था।

2–त्वरित राहत/बचाव एवं खोज बलो को मौके पर भेजना एवं उनको आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराना।

3–विस्थापन कार्य का मूल्यांकन एवं क्रियान्वयन

4–उपलब्ध संसाधनो की अपर्याप्तता की दशा में बाहरी सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया अपनाना।

5–आपात कालीन केन्द्र :– राजस्व कन्ट्रोल रूम से भिन्न प्रर्याप्त मानव संसाधन एवं आधुनिक संचार सुविधाओ/ उपकरणो से युक्त एक आपात कालीन केन्द्र कलैक्ट्रेट बागपत में स्थापित किया जायेगा। उपजिलाधिकारी स्तर से अधिकारी इसके प्रभारी होंगें। सामान्य दिनो में यह केन्द्र आपदा के प्रशिक्षण ,जनजागरूकता एवं पूर्वाभ्यास से सम्बन्धित कार्य देखेगा तथा सैन्य एवं अर्थ सैनिक बलो में समन्वय रखेगा।यह केन्द्र केन्द्रीय जल आयोग, मौसम विभाग आदि से प्राप्त पूर्व चेतावनियों का अभिलेखीकरण करेगा तथ सर्व समबिन्धत को सूचित भी करेगा । शासन को भेजे जाने वाली रिपोर्टो को संकलित एवं तैयार करने का कार्य भी करेगा

रसायनिक हथियारो/पदार्थो से सम्बन्धित आपदा

अनेक प्रकार के रसायनिक पदार्थ/जहरीली गैस ,द्रव या ठोस रूप में भयानक आपदाये पैदा कर सकती है , जो मनुष्यों ,पशुओ,फसलो, आदि के लिये खतरनाक हो सकती है। इनमें से अधिकांश जलन ,आन्तरिक अथवा वाहृय चोट अथवा अपंगता पैदा कर सकते है।हवा के माध्यम सें ये फैलकर ऑख,फेफडा,चमडी आदि पर घातक असर डालते है। संक्रमित खाद्य पदार्थो के सेवन से पाचन क्रिया पर कुप्रभाव पडता है। भूमि, जल एवं वायु पर भी इसका दुष्प्रभाव पडता है। इनकी गम्भीरता रसायन के प्रकार एवं मात्रा पर निर्भर करती है। इस प्रकार की आपदाये दुर्घटनावश भी हो सकती है, और आसान उपलब्धता के कारण आतंकवादी भी इसका दुरूपयोग भी कर सकते है।

इस प्रकार के रसायनो का वर्गीकरण ,उपयोग के विष की श्रेणी के आधार पर किया गया है

1– उपयोग के आधार पर कुछ रसायन केवल सैन्य उपयोग के लिये है, इन्हे केमिकल वारफेयर बू कहा जाता है। ज्ंइनद;ळ।द्धऐंतपद;ळठद्धैवउंद;ळक्द्धएटग्यैनसमित डनेजमत ;भ्क्द्धस्मूपेपजम;स्द्ध भ्लकतवहमद ब्लंदपकम ;।ब्द्धबैसवतपदम आदि इसके उदहारण है।

2. दोहरे उपयोग वाले कुछ रसायनो का प्रयोग सैन्य तथा औधोगिक इकाईयो में किया जाता है ।

3. बैसवतवमजींदवसए।उउवदपनउ ठपसिनतपकम ।तेमदपब ज्तपबसवतपकमएठमद्रपसपब ।ब्क

4– कई औधोगिक रसायन भी जहरीले होते है। ।उउवदपंए।तेपदमएबैसवतपदम ैनसमित क्पवगपकम भ्लकतवहमद ठतवउपकम आदि इसके उदहारण है।

5– कीटनाशको ;च्मेजपबपकमद्ध जैसे कुछ रसायनो का प्रयोग जैसे कृषि कार्यो में भी होता है। भ्मतइपबपके सीधे फसलो को क्षति पहुॅचाते है।

बागपत में कोई इतिहास आतंकवादी घटना का नही है । पैट्रोल टैकर ,एल0पी0जी0 टैंकर आदि का उपयोग भी आतंकवादी इस प्रकार की घटनाओं के लिये कर सकते है।

सम्भावित स्थल

1–भीड़–भाड़ वाले इलाके।
2–टेलीफोन एक्स्चेन्ज
3–पुलिस लाईन
4–विधुत उपकेन्द्र बागपत।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्न टीमें गठित कर कार्य निर्धारण किया जायेगा।

1–जॉच दल–इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा । यह दल संक्रमण /खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनो की जॉच एवं परिक्षण हेतु कार्यावाही भी करेगा।

2–विसंक्रमण दल–यह दल संक्रमण /खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों /उपकरणो एवं क्षेत्र का विसंक्रमण /सफाई भी करेगा।

3–बचाव दल–यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगो को समस्याओ के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलो को अस्पताल पहुॅचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।

4–चिकित्सा दल–दुर्घटना स्थल पर यथा संभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यो का सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।

5–सुरक्षा अधिकारी–सुरक्षा एवं सूचनाओ के आदान प्रदान के लिये अधिकारी होना चाहिये जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखे अतिरिक्त संसाधनो की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा। जैसे जेनरेटर,पेयजल व्यवस्था ,एम्बूलेन्स,वाहन ,मानव श्रम।

लघु, मध्यम एवं दीघ्र अवधि की कार्य योजना

लघु समय (0–3वर्ष) में निम्न कार्य करने हैः–

1–सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान प्रतिबंधो का पूर्व अनुपालन किया जाना
2–अभिसूचना तंत्र का कुशल उपयोग
3–खतरे और संवेदनशीलता के विश्लेषण का तंत्र विकसित करना,
4–प्रयोगशालाओं एवं अन्य संसाधनो का विकास /सचल प्रयोगशालााओ का भी प्रयोग

5–फण्ड की उपलब्धता
6–मेडिकल टीमो का प्रशिक्षण एवं उपकरण
7–जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण
8–स्वास्थ्य सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (0–5 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैः–

इस अवधि में मुख्य रूप से प्रथम चरण के कार्यो की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है।

दीर्घ काल (0–8 वर्ष) में निम्न कार्य करने हैः–

इसमें सारे कार्य का उपयोग देखना है तथा नयी परिवर्तनो के अनुसार उसमें परिवर्तन /संशोधन करना है । इस अवधि तक निम्न बिन्दुओ पर कार्य करने होंगे।
1–एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राइवेट सभी अस्पतालो पर लागू किया जायेगा।
2–सम्पूर्ण सूचना तंत्र विकसित करना जिसमें अस्पताल परिवहन ,पुलिस फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओ मे संचार सम्बन्ध हो।
3–सभी प्रकार के खतरो को शामिल करने वाला प्रयोगशालाओं का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाना।

क्या करे – क्या न करे

क्या करेंः–

1– प्रभावित क्षेत्र खाली करे तथा आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष के टेलीफोन पर तथा पुलिस/अस्पताल को तत्काल सूचित करे।
2– जहरीली गैसो के प्रभाव से यदि पक्षी मरते एवं गिरते दिखाई पड़े तो मकान अथवा कार्यालय जैसे बन्द ढ़ाचे के अन्दर शरण लें तथा दरवाजे, खिडकियां ,पंखे, एयर कण्डीशनर बन्द कर दे।
3– रेडियों,टी0वी की घोषणाएं सुने एवं जब कहा जाये तब बाहर निकले।
4– बाहर से घर आने पर तत्काल स्नान करे एवं कपड़े प्लास्टिक के बैग में अलग रख दे।
5– यदि खुले में हो तो मुॅह व नाक गीले कपड़े से बन्द रखें।
6– संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों /पदार्थो से दूर रहे।
7– 100 मीटर के दायरे को बन्द किया जाये।
8– हवा की दिशा में 500 मीटर तक तत्काल खाली किया जाये।
9– पुलिस/अस्पताल को तत्काल सजग किया जाये।
10– जीतमम ब्वसवनत क्मजमबजवत चंचमत ;जबकद्ध चंचमत और त्टठ.त्मेपकनंस अंचमनत क्मबमजपवद ापज का प्रयोग करें बीमउपबंस ंहमदज की खोज करना।
11– बैमउपबंस ंरमदज उवदपजमत ंच2ध्ब्।ड का प्रयोग कर दमतअमध्हसपेजमत ंहमदज का पता करना यदि दमतअम ंहमदज है तो विष रोधी दवाओ हेतु ंनजवरमज पदरमबजवत ;रपद्ध का प्रयोग करना । यदि हमसपेजमत ंहमदज है तो चर्म संक्रमण हटाने हेतु च्क्ज्ञ . च्मतेवदां क्मबवदजंउपदंजपवद ापज का प्रयोग करना।
12– स्पेक्ट्रोस्कोपी (चमबजतवेबवचल) आधारित ब्।ड का प्रयोग कर संक्रमित क्षेत्र का चिन्हीकरण या फ्लेम फोटोमेट्री आधारित मानीटर ।च्2ब का प्रयोग ।
13– विसंक्रामक सूट पहनकर क्षेत्र की सफाई सचल विसंक्रामक उपकरण तथा विसंक्रमण

से करना।

14– प्रभावित व्यक्तियों को हटाने के लिए बेंनसजल बैग का प्रयोग करना।

15– व्यक्तिगत सुरक्षा कवज किसी प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा निम्नवत पहनाया व उतारा जाये।

पहनने का क्रम	उतारने का क्रम
1–प्च्ळ.प्दकपअपकनंस चतवजमबजपअम	1– विसंक्रमण किट से सफाई
2–ौवमे	2–ौवमे
3– सर्जिकल और व्यूटाईल रबर दस्ताना	3– व्यूटाईल रबर दस्ताना
4– मास्क एवं थैनिस्टर	4. प्च्ळ
	5.सर्जिकल दस्ताना
	6. थैनिस्टर व फेस मॉस्क

क्या न करे–

1– किसी द्रव को न छुए।

2– स्थल/पीड़ित के पास भीड़ न लगाये।

3– हवा के अनुकूल दिशा में न जाये।

4– अफवाह न फैलाये।

5– बचाव में लगे लोग अपना सूट तब तक न उतारे जब तक सुरक्षित न घोषित कर दिया जाये।

6– किसी भी संक्रमित वस्तु न छुए। इन्हे सील प्लास्टिक बैग में ही रखे।

7– जब तक कहा न जाये अपने शरण स्थल से बाहर न निकले।

8– नंगे पैर न निकले।

9– अनावश्यक टेलीफोन न करे।

विषनाशक एवं जीवनरक्षक दवाओं शोधक /विषनाशक पदार्थो/आवश्यक उपकरणों एवं आपातकालीन किट हेतु आवश्यक सामग्रियों की सूची अनुसंलग्नक–2 पर भाग–4 पर लगायी गयी है।

इस प्रकार की आपदा से निपटने के लिए ैजंदकंतक व्चतंजपवद ैलेजमउ ;व्द्ध इस प्रकार है।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्र0 सं0	अधिकारी/संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का	खोज,बचाव एवं राहत	विस्थापन क्षेत्र की

		पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास ।आवश्यक आधुनिक उपकरणो / संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।रासायनिक पदार्था के भण्डारण परिवहन पर सतर्क दृष्टि रखना तथा अभिसूचना एकत्रित करना	विसंक्रमण आदि त्वरित प्रक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	घेरेबन्दी,शरणालय / राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार सैन्य / अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत शिविरो / शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0 / रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो / पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी	पीडित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो / पीडितो

			कार्यवाही करना	/मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	विधुत विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपने विधुत केन्द्रो पर अवांछनीय व्यक्तियों के प्रवेश से रोके तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस के दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विधुत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिवरों में विधुत आपूर्ति	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुननिर्माण
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय

		/संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।		
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे कीव्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

परमाणु आपदा

यह मानव जनित आपदा है। परमाणु बम के हमले के अतिरिक्त दुर्घटना या आतंकवादी घटनाओं द्वारा रेडियोधर्मी पदार्थो के विकिरण के कारण इस प्रकार की आपदा की जा सकती है । आतंकवादी कम शक्तिशाली हथियारों का इस्तेमाल घनी आबादी वाले इलाकों,फसलों , खाद्य भण्डारों आदि पर करके अव्यवस्था एवं अराजकता फैलाने का प्रयास कर सकते है। दुर्धटनावश यह आपदा न्यूक्लियर प्लांट पर आ सकती है या रेडियोधर्मी पदार्थो के परिवहन के दौरान हो सकती है, इस देश में देश की संस्था ।जवउपब म्दमतहल त्महनसंजवतल ठवंतक ख।त्त्ठ, है जो ।जवउपब म्दमतहल ।बज 1962 के तहत मुख्य नियन्त्रक है। इसका पर्यवेक्षण एवं नियन्त्रण परिवहन,प्लाण्ट आदि पर रहता है । मुख्य खतरा इस आपदा से तब है जब यह हमले के रूप में हो।

मानव आदि काल से प्रकृति के स्रोतो से विकिरण की मात्रा लेता आ रहा है । भारत के केरल के तटीय इलाकों,चीन,ब्राजील,ईरान आदि में इससे अधिक मात्रा मे विकिरण लोगो की प्रकृति से ही मिलता रहता है। रेडिएशन का उपयोग मानव हित के विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता हैः–

1– विद्युत उत्पादन में परमाणु विखण्डन (छनबसमंत पिपवद) का प्रयोग किया जाता है।

2– कोबाल्ट–60 और ै –137 का इस्तेमाल खनन तथा गैस एवं तेल उद्योग में किया जाता है।

3–बव–60 या बे–137 का ल – स्रोत के रूप में मेडिकल उत्पादों ,मांस ,सब्जियों आदि के परिशोधन हेतु उपयोग होता है।

4– कैंसर के ईलाज हेतु ज्मसमजीमतंचल में गामा विकिरण का उपयोग किया जाता है।

परमाणु या रेडियोलॉजिकल आपदा उस स्थिति को कहते है, जब परमाणु हमले या रिसाव के कारण विकिरण अत्यधिक हो ।

परमाणु विस्फोट का प्रभाव– विस्फोट का प्रभाव परमाणु अस्त्र के प्रकार एवं विस्फोट की ऊॅचाई, हवा के रूख आदि पर निर्भर करता है। मानव–प्रकृति पर यह असर तीन प्रकार करता है।

1– विस्फोट प्रभाव– अचानक विस्फोट से बहुत अधिक उर्जा निकलती है, जिससे अत्यधिक गर्मी और आस–पास के हवा में दबाव बन जाता है। गर्म और संधनित (बवउचतमेमक) वायु फैलती है और तेजी से ऊपर उठती है, जिससे पृथ्वी पर, पानी में शक्तिशाली कम्पन पैदा होता है।इससे सम्पत्ति की व्यापक क्षति होती है तेज आवाज से कान खराब हो जाता है। इससे अत्यन्त गतिशील हवा भी चलती है जिससे चीजे उड़ने लगती है।

2– गर्मी का प्रभाव– अत्यधिक गर्मी तीव्र चमक वाला प्रकाश पैदा करती है और इससे गर्मी विकिरण होता है जिससे आग लग जाती है तथा कई कि0मी0 तक फैल जाती है। अन्य ज्वलनशील वस्तुओं के मिलते जाने से आग का तुफान सा आ सकता है।

3– विकिरण– शुरू के 01 मिनट मे प्रारम्भिक विकिरण का प्रभाव कुछ दूरी में रहता है। इसके बाद गैस या धूल कणो के साथ रेडियोधर्मी पदार्थ धरती पर गिरते है तथा कई सौ कि0मी0 तक के क्षेत्रफल को संक्रमित कर सकते है जिसका असर व्यक्ति पर आजीवन आने वाली पीढ़ियो तक पड़ सकता है ।

उक्त से निपटने के लिए विशेष मेडिकल तैयारी भी होनी चाहिएः–

1– विसंक्रमित कक्ष का निर्माण– चिन्हित अस्पताल में पर्याप्त उपकरण एवं औषधियों युक्त एक कक्ष होना चाहिए।

2– धूल रहित वायुः– ईलाज के लिए एक ऐसा वार्ड होना चाहिए जहॉ शुद्ध वायु मिल सके।

3–रेडियोएक्टिव वस्तुओं के निस्तारण की प्रथक से व्यवस्था होनी चाहिए। मानव रहित क्षेत्र में एक टैंक होना चाहिए।

4– सुसज्जित सचल दस्ते भी होने चाहिए जो राहत बचाव कार्य कर सके।

5– सुरक्षित उपकरणों से युक्त विशेषज्ञ एवं प्रशिक्षित टीमें सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहॅुचेगी। इनके पास आवश्यक उपकरण होंगे। उपकरणों/यन्त्रों की सूची अनुसंलग्नक–3 पर है।

6– पुलिस एवं फायर सर्विस के कर्मचारी भी पर्याप्त प्रशिक्षित एवं सुसज्जित होंगे।

7– जिले में रेडियोएक्टिव पदार्थो का उपचार करने हेतु प्रशिक्षित एवं सुसज्जित स्टाफ,डाक्टर, एंबुलैंस एवं अस्पताल की यूनिट तैयार करनी होंगी। आवश्यक जीवन रक्षक औषधियों के साथ ही दुष्प्रभाव कम करने एवं फैलाव रोकने तथा विसंक्रमण के लिए भी टीमे उपकरण एवं औषधियां होनी चाहिए।

8– इन कार्यो के लिए मुख्य चिकित्साधिकारी, मुख्य उत्तरदायी होंगे। प्रशिक्षण आदि के उपरान्त घटना के उपरान्त बाहरी सहायता के लिए भी उचित स्तर पर बातचीत करेंगे।

9– विकिरण मानिटर संवेदनशील स्थानों पर लगाये जा सकते है, जो नजदीकी थाने से जुड़े हो। साथ ही पुलिस वाहनों में भी यह उपकरण लगाये जा सकते है। जिले के बम निरोधी दस्ते के पास विकिरण खोजी उपकरण होना चाहिए। इनके अतिरिक्त जॉच आदि कार्य के लिए फोरेंसिक प्रयोगशाला भी होनी चाहिए जो वर्तमान में सबसे नजदीक हो।

घटना के दौरान

इस प्रकार की किसी आपत स्थिति में गठित दस्ते पूर्व सुसज्जित होकर घटना स्थल को प्रस्थान करे। ये दस्ते शिफ्टों में काम करेंगे। विभिन्न दस्ते एवं इनकी जिम्मेदारियां निम्न प्रकार होंगीः–

1– खोजी टीम– यह टीम मुख्य रूप से विकिरण स्थल एवं उसके स्तर की जॉच के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम जन हानि का आंकलन भी करेगी। जॉच के लिए नमूने लेकर उसे प्रयोगशाला भेजने के साथ ही किसी संदेह की दशा में अपने वरिष्ठ अधिकारी को सूचित करेगी। किस क्षेत्र में राहत कर्मी जा सकते है और कितना क्षेत्र प्रतिबन्धित होना है, का निर्धारण भी यही टीम करेगी।

2– विसंक्रमण टीम– यह टीम प्रभावित व्यक्तियों, उपकरणों एवं क्षेत्र के विसंक्रमण के लिए उत्तरदायी होगी। यह टीम घायलों को मेडिकल टीम को देगी। कम घायल अथवा सामान्य व्यक्तियों को मेडिकल सलाह के आधार पर जाने दिया जायेगा। विसंक्रमण के लिए इस्तेमाल पानी को टैंको में सुरक्षित रखा जाएगा तथा उसका निस्तारण पूर्व निर्धारित स्थल पर किया जायेगा। क्षेत्र को सामान्य घोषित करने से पूर्व सघन सर्वे भी यह टीम करेगी।

3– बचाव एवं विस्थापन टीम– यह टीम मुख्य रूप से लोगो के विस्थापन एवं सहायता के लिए जिम्मेदार होगी, जिन्हे विसंक्रमित स्थान पर ले जाया जायेगा। लागो को सही सूचनाएं देकर अफवाहों पर विराम लगायेगी तथा पीड़ित व्यक्तियों को अस्पताल तक पहुॅचायेगी।

4– मेडिकल टीम– यह टीम घटना स्थल पर प्राथमिक उपचार के लिए एवं गम्भीर रोगियों को चिन्हित कर अस्पताल पहुॅचाने की जिम्मेदारी होगी। विसंक्रमण टीम को मेडिकल सहयोग देगी तथा साक्ष्यों को सुरक्षित रखने में सहयोग देगी।

5– समन्वयी टीम– उक्त सभी टीमों के कार्यो में समन्वय रखने, शिफ्टवार कार्य सुनिश्चित कराने तथा सूचनाओं के सही आदान प्रदान के लिए सुरखा अधिकारी के नेतृत्व में यह टीम कार्य करेगी।

घटना के उपरान्त

1– घायलो एवं पीड़ितों को हटाने के बाद क्षेत्र एवं चल, अचल सामग्री विसंक्रमित की जायेगी। मृतको के शरीर प्लास्टिक बैग में पूर्व निर्धारित स्थानों या मोर्चरी में ले जाया जायेगा।

2–मिट्टी, वायु एवं जल में विकिरण की सम्भावनाओं के दृष्टिगत इन्हे विसंक्रमित किया जाएगा।

3– विसंक्रमण के लिए रेडियोएक्टिव सामग्री को मशीनों में इकट्ठा किया जायेगा तथा धूॅल को वैक्यूम क्लीनर से हटाया जायेगा। क्षेत्र को पानी से धोकर भी विसंक्रमित किया जायेगा।

परमाणु आपदा–प्रबन्धन हेतु चेकलिस्ट

1–बचाव एवं राहत कार्यो का चिन्हांकन।

2– विस्थापन एवं पुनर्वास की आवश्यकताएं।

3– विशेषज्ञ टीमों की व्यवस्था,शिफ्टवार सूची।

4– उपकरणों एवं संसाधनों को विसंक्रमण से बचाना।

5– लाउडस्पीकर, टार्च ,जनरेटर, प्लास्टिक बैग, एम्बुलैन्स,स्टैचर, गैस मास्क आदि का उपयोग।

6– संक्रमित क्षेत्र को पृथक करना।

7– विस्थापन, मार्ग, परिवहन आदि।
8– विसंक्रमण।
9– संचार व्यवस्था।
10– रेडियोएक्टिविटी का स्तर।
11– मानव, पशु शवों एवं संक्रमित वस्तुओं का निस्तारण। निस्तारण बैग में सील करके पूर्व निर्धारित स्थल पर ही किया जाये।
12– संक्रमित वस्तु, वस्तुएं हटायी जाये तथा लोगो को विसंक्रमित करके ही कही जाने दिया जाये।
13– घटना का विवरण संक्षेप में कलाक्रमानुसार तैयार करना।
14–निषिद्ध क्षेत्र में आने जाने वाले हर व्यक्ति का अभिलेखीय करण किया जाये। नाम, जाने/आने का समय, कारण आदि।
15– प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को प्रवेश के समय च्वबामज कवेपउमजमत दिया जाये तथा उसकी जाने एवं आने के समय रीडिंग ली जाये।

लघु ,मध्यम एवं दीर्घ अविध की कार्ययोजना

इस तरह की आपदाओं से निबटने के लिये कम समय (0–3वर्ष)में निम्न कार्य करने है।

लघु समय (0–3 वर्ष) में निम्न कार्य करने है।

1–सुरक्षा की दृष्टि से विद्यमान प्रतिबन्धो का पूर्व अनुपालन किया जाय।
2–अभिसुचना तंत्र का कुशल उपयोग।
3–खतरे ओर संवेदनशीलता के विशलेषण का तंत्र विकसित करना।
4–प्रयोगशाला एवं अन्य संसाधनो का विकास /सचल प्रयोगशालाओ का प्रयोग
5–फण्ड की उपलब्धता
6–मैडिकल टीमो का प्रशिक्षण एंव उपकरण
7–जन–जागरूकता एवं प्रशिक्षण
8–सवास्थ सुविधाओं एवं विसंक्रमण तथा विस्थापन की अत्याधुनिक व्यवस्था।

मध्यम समय (0–5 वर्ष) में निम्न कार्य करने है

इस अविध का मध्य रूप से प्रथम चरण के कार्यो की पूर्णता एवं कुशलता देखनी है

दीर्घ काल (0–8 वर्ष) में निम्न कार्य करने है

इसमे सारे कार्यो का उपयोग देखना है तथा नयी परिवर्तनो के अनुसार उसमें परिवर्तन /संशोधन करना है इस अविध तक निम्न बिन्दुओं पर कार्य करने होंगें।
1–एकीकृत व्यवस्था में राष्ट्रीय आपात योजना सरकारी एवं प्राईवेट सभी अस्पतालो पर लागू किया जायेगा।
2–सम्पूर्ण सूचना तंत्र विकसित करना,जिसमें अस्पताल,परिवहन पुलीस फायर आदि सभी आपातकालीन सेवाओ से संचार सम्बन्ध हो।
3–सभी प्रकार के खतरो को शामिल करने वाला प्रयोगशालाओ का राष्ट्रीय नेटवर्क विकसित किया जाना।

क्या करे–क्या न करें

क्या करे परमाणु हमला या दुर्घटना के पूर्व

1–संक्रमण फैलाने वाले व्यक्तियों / पदार्थो से दूर रहे।
2–आवास में एक विस्फोट बनाये या चिन्हित करें जहॉ पर पूरा परिवार रह सके।
3–यदि वेसमेन्ट न हो तों घर के सामने गढढा खोदकर बंकर बना लें।
4–घर पर नष्ट या खराब न होने वाले खाद्य एवं पेय पदार्थ सुरक्षित रखें।
5–शरणालय में मूत्रालय व शोचालय की भी व्यवस्था करें।
6–प्रर्याप्त प्रकाश व्यवस्था रखें।
7–बैट्री संचलित रेडियो रखें।
8–खिडकियों एवं शीशे के दरवाजो पर काला पेपर चिपका दे।

क्या करे परमाणु हमला या दुर्घटना के दौरान

1–4 से 5 फिट गहरे गढढे की तलहटी में गामा विकिरण से बचाव हो सकता है।
2–प्रकाश एवं गर्मी से सुरक्षा का कार्य बाग अथवा जंगल में हो सकता है।
3–यदि खुले में हो तो तत्काल जमीन पर लेट जाये तथा तब तक पडे रहे जब तक मिटटी,कंकड,लकडी के टुकडे गिरने बन्द न हो जाय।
4–ऑख व चेहरे को हाथों से ढक लें।
5–कानों को भली भांति अंगुली से बन्द कर लें।
6–यदि वाहन में है तो प्रकाश होने पर चेहरा नीचे कर वाहन से दूर प्रकाश की दिशा में जमीन पर लेट कर शरण ले।

क्या करे परमाणु हमला या दुर्घटना के बाद

1–चोट पर जलन तथा क्षति अत्याधिक घवराहट पैदा कर सकते है। अतः मानसिक दृष्टि से मजबूत एवं शान्त बने रहे क्योकि यदि दुर्घटना स्थल के पास नही है ओर विस्फोट मे बम बच गये है तो विकिरण के खतरे की आशंका कम हो जाती है ।
2– छोटी मोटी आगों को फैलने से पहले बुझा दे।

इस प्रकार की आपदा से निपटनें के लिये `जंदकंतक वचमतंजपवद `लेजमउ ";व्व्द्ध इस प्रकार हैं।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क0सं	अधिकारी / संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर / जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास ।आवश्यक आधुनिक उपकरणो / संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अभिसूचना एकत्रीकरण	खोज,बचाव एवं राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रकिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी,शरणालय / राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार

		सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलो से समन्वय	बल तैनात करना।	सैन्य/अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत शिविरो/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0 /रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो /पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	पीडित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो/पीडितो /मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित

		योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	विधुत विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अपने विधुत केन्द्रो पर अवांछनीय व्यक्तियों के प्रवेश से रोके तथा ऐसे किसी प्रयास की सूचना तत्काल पुलिस के दें।	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की विधुत कटौती तथा जिला अस्पताल एवं राहत शिवरों में विधुत आपूर्ति	क्षतिग्रस्त सम्पत्तियों का पुननिर्माण
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहॅुचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुर्नवास कार्यो में मदद करना।
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे कीव्यवस्था, टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग

				से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

जैविक आपदा प्रबन्धन

विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस प्राकृतिक रूप से फसल पशु एवं मानव को महामारी के रूप में क्षति पहूॅचाते है। युद्ध में शत्रु ओर आतंकवादी भी इस प्रकार के बैक्टिरिया वायरस आदि का प्रयोग करके आपदा जैसी स्थिति उत्पन्न कर सकते है । भौगोलिक सीमाओ से परे ये मानव से मानव में पशुओ से मानव में ओर फसलो से मानव में फैल सकते है।

एन्थ्रेक्स,छोटी चेचक,प्लेग,स्वाइन फलू, एडस कालरा आदि इसके उदहारण है। लगभग 17 देश जैविक हथियारो पर काम कर रहे है । कई छोटे बडें आतंकवादियों के पास भी जैविक हथियार होने का अनुमान है । काई भी व्यक्ति पशु–पक्षी या पेड–पौधा प्राकृतिक रूप से ये रोग फैला सकता है। यह जैविक हथियार के रूप में इस्तमाल हो सकते है। भारतीय संदर्भ में इसके खतरे के क्षेत्र चिन्हित करने में ध्यातव्य बिन्दु है।:–

1–रेगिस्तानी ,हिमालयो क्षेत्रो में सैन्य ठिकानो पर हमले की आशंका कम है किन्तु नौ सेवा बेस या ऐसा मिलिट्री/नागरिक ठिकानो जो भौगोलिक रूप से पृथक हो निशाना बनाया जा सकता है।

2–आतंकवादी ऐन्थेक्स जैसा जैविक हथियार नागरिक क्षेत्र में प्रयुक्त कर सकते है।

3–बर्ड फ्लू से पोप्ट्री उधोग को व्यापक क्षति पहुॅची साथ ही मनुष्यो को शारिरिक क्षति ओर परेशानी हुई इस प्रकार कृषि उत्पाद ओर पशु पक्षी भी निशाना बनाये जा सकते है चंतजीमदपनउ ीलेजमंतचींतनेए 50 के दशक में गेंहुं के साथ आया ओंर फसलो का बहुत क्षति पहुॅचायी।

4–शहरी क्षेत्रो में अत्याधिक जनसंख्या धनत्व इस प्रकार के रोगो की स्थिति में आतंक के साथ ही रोग के वास्तविक फैलाव में अहम है जैसे 1994 में सूरत में फैला प्लेग रोग ।

इसका असर दो प्रकार से हो सकता है एन्थ्रेक्स की श्रंखला नही बनती जबकि छोटी चेचक,प्लेग की श्रंखला बनती है।

निरोधात्मक उपाय

क्षमता,मानव,संसाधन,विकासः–प्रशिक्षण त्मतिमो बवनतैमेए नियंत्रण कक्षो की व्यवस्था तथा प्रशिक्षित व्यक्ति इन स्थानो के लिये। शिक्षण संस्थाओं में प्रदर्शनी प्रतियोगिताये होनी चाहिये सभी प्रशिक्षण छद्म प्रदर्शन/अभ्यास पर केन्द्रित होना चाहिये तथा जन सहभागिता जागरूकता एवं प्रशिक्षण के साथ ही इस बिन्दु पर भी केन्द्रित होना चाहिये कि किसी भी तरह उत्तेजना /अफवाह न फैलने पाये सावधानियॉ एवं रहन सहन मृत्यु की दशा में निस्तारण आदि का व्यापक प्रचार प्रसार ।

1–हर स्तर पर प्रयोगशालाओं का एक नेटवर्क तथा जिला स्तर पर निदान केन्द्र /प्रयोगशालाओ का केन्द्रीकृत व्यवस्था की तरह विकास किया जाना होगा।

2–विभिन्न संस्थाओ की एक केन्द्रीकृत व्यवस्था जो इस तरह की आपातिक स्थिति से निबटने में कुछ डवकमस विकिसत करें।

3–विद्यमान आपातिक संचारत्पन्न स्वास्थ तंत्र प्रेस मीडिया तथा छळव्ै का नेटवर्क बनाना तथा अर्न्तराष्ट्रीय संस्थाओ से जोडना।

4–हर स्तर पर मेडिकल प्लांनिंग चिन्हित अस्पतालों को न्चहतंकम करना ,मोबाईल टीमें विकसित करना इस बस में पर्याप्त दवायें सुसज्जित स्टॉक आदि।

5–चिन्हित क्षेत्रो में सूचना प्राप्त होने पर पानी ,भोजन ,स्वच्छता –सामग्री आदि की आपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था।

6– मनुष्यों, पशुओं एवं फसलों पर प्रभाव के आंकलन एवं उससे निपटने के वैकल्पिक उपायों का विकास/वैकल्पिक आवास, परिवहन, चारा/भोजन संग्रह।

बचाव

सर्वप्रथम बचाव की बात आती है। बचाव के विभिन्न पहलू हैः–

1– संवेदनशीलता का परीक्षण एवं खतरे का मूल्यांकनः– विद्यमान रोग जो महामारी का रूप ले सकते है या फिर से फैल सकते है या जानवरों के रोग जो मनुष्यों में हो सकते है की जानकारी होनी चाहिए। महत्वपूर्ण स्थान, स्थान पर प्रवेश में सावधानी तथा लक्षण प्रकट होने पर गहन पर्यवेक्षण आवश्यक होगा। जानबूझ कर ऐसे रोग फैलाने/युद्ध/आतंकवादी घटनाओं के मध्य प्रतिरोध/पूर्व से ही प्रत्याक्रमण द्वारा रोकथाम का प्रयास किया जा सकता है।

2– पर्यावरण सुरक्षाः– पानी के स्रोतो पर सतत निगरानी होनी जरूरी होगी। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत सफाई रोग वाहक वायरस–शव निस्तारण आदि भी महत्तवपूर्ण बिन्दु है। रोगवाहन वायरस/मक्खी,मच्छर नियन्त्रण के लिये उनके उत्पादन स्थान पर सफाई, फौगिंग आदि की जा सकती है।

3–आपदा के बाद महामारी की रोकथामः–किसी आपदा के बाद महामारी की आंशंका/संभावना अधिक रहती है।

4– एकीकृत रोग निगरानी व्यवस्थाः– वर्तमान व्यवस्था को पूरे देश में फैलाना होगा। निरन्तर आंकड़ो का आदान प्रदान एवं उनका विश्लेषण जरूरी होगा।

5– टीकाकरणः– ऐसी दवाएं एवं उनका उत्पादन करने वाली संस्थाएं चिन्हित कर उनका उत्पादन तथा टीकाकरण का कार्य करना होगा।

6– स्कूल/कालेज बन्द करना/मेला आदि पर रोक/कार्यालय/सिनेमाहाल बन्द कर काफी हद तक के रोगो के प्रसार को विलम्बित किया जा सकता है।

1– क्षमता विकासः– केन्द्र/राज्य एवं जिला स्तर पर एकीकृत निर्देशन व्यवस्था होनी चाहिए

- ग्राम से जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर तक उपयुक्त फार्मेट में सूचना आदान प्रदान व्यवस्था।
- नियन्त्रण कक्ष, पर्याप्त सूचनाओं, संसाधनो और स्टाफ के साथ।

2– प्रशिक्षण एवं शिक्षाः– सभी स्टाफ को पर्याप्त प्रशिक्षण, प्राकृतिक तथा आतंकी रोग में अन्तर करने की क्षमता आदि होनी चाहिए।

3–जनजागरूकता एवं सहभागिताः– क्या करें /क्या न करें की शिक्षा, जिसमे सफाई, खानपान आदि तथा सूचनाओं को उचित रूप से पहुॅचाने हेतु निर्दिष्ट करना तथा सरकारी संगठनों का सहयोग एवं स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जा सकता है। स्कूल /ड्रामा, प्रतियोगिता, पेन्टिग आदि द्वारा जागरूकता फैलायी जा सकती है।

4– चिकित्सा मुख्य रूप से अस्पतालों में होगी। इस कारण अस्पतालों की सुक्ष्म योजना तैयार होनी चाहिए।

आधार भूत संरचनाएं

1– प्रयोगशालाओं का नेटवर्कः– वर्तमान प्रयोगशालाओ को सशक्त करना होगा तथा जिला, राज्य एवं केन्द्र स्तर पर रोगो की पहचान आदि के लिए प्रयोगशालाओं की स्थापना भी करनी होगी। राष्ट्रीयजैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं की स्थापना समय की मॉग है।

विभिन्न स्तरों पर निम्न जरूरतों के हिसाब से प्रयोगशालाओं की जरूरत है।

1– जिला स्तर पर प्रयोगशालाएं जो रोग के कारण का पता लगा सके।

2– मेडिकल कालेज स्तर पर प्रयोगशालाएं– रोग निदान को सुनिश्चित करने एवं सन्देह की स्थिति में गाईड करने हेतु ।

स्वास्थ्य सम्बन्धी तैयारियां

ये तैयारियां स्टाफ एवं प्रथम सूचना देने वाले के टीकाकरण को ध्यान में रखते हुए निम्न पर केन्द्रित होगी।

- पूरा अस्पताल खाली कराया जा सकता है।
- न्यूनतम 50 से 60 मरीजों के ईलाज की व्यवस्था हों तथा इसके लिए स्थान, उपकरण, स्टाक आदि हो।
- एम्बुलैन्स।
- संचार साधन।
- सरकारी एवं प्राईवेट अस्पतालों के मध्य नेटवर्किग।
- मोबाइल दस्ते एवं मोबाइल अस्पताल।
- आवश्यक दवाओं/ उपकरणों का भण्डारण।
- त्वरित प्रतिक्रिया।
- मरीजों को लाना पहुॅचाना।
- खतरे से सावधान करना।

- खतरे वाले क्षेत्रों में आवश्यक सावधानी/चिकित्सा।
- मानसिक/सामाजिक देखभाल के प्रबन्ध।
- हर कार्य के परिणाम की डवदपजवतपदह और मूल्यांकन।

कृषि क्षेत्र में आपदा–प्रबन्धन

कृषि एवं खाद्य उद्योगो में प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त जानबूझ कर आतंकी गतिविधियॉ की जा सकती है क्षतिकारक कीडे,वायरस के अतिरिक्त खाद्य पदार्थो को भी जहरीला बनाया जा सकता है आतंकी दृष्टि से यह अन्य हमले खतरनाक है।

वर्ष 1943 मेंकोट्टयम (केरल) में केले के पौध में एक रोग ठंदंदं टनदबील ज्वचद्ध श्रीलंका से आया ओर धीरे धीरे असम,तमिलनाडू आदि प्रदेशो में फैल गया । प्रभावी प्रतिबंधात्मक उपाय न होने से इसका बहुत खराब असर पडा ओर कुछ क्षेत्रो से केले की फसल पूरी तरह नष्ट हो गयी।

वर्तमान तैयारी–कृषि मंत्रालय के अधीन देना में अर्न्तराष्ट्रीय हवाई एवं अडडो पर 29 च्संदज फनंनंदजपदम केन्द्र है। जो आयातीत अनाज,बीज ओर अन्य कृषि उत्पादो की जॉच करते है,किन्तु इनमें से कुछ के पास पर्याप्त संसाधन नही है।

कार्य विभाजन

हमले के दौरान विभिन्न टीमे गठित कर कार्य निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा।

1–जॉच दल इसका मुख्य कार्य खतरे की पहचान एवं उसका निर्धारण करना होगा यह दल संक्रमण/खतरे के श्रोत को न्यूट्रल करेगा साथ ही प्रयोगशाला में नमूनो की जॉच एवं परीक्षण हेतु कार्यवाही भी करेगा।

2–विसंक्रमण दल–यह दल संक्रमण /खतरे पर नियंत्रण के साथ ही व्यक्तियों/उपकरणो एवं क्षेत्र का विसंक्रमण /सफाई भी करेगा।

3–बचाव दल –यह दल क्षेत्र खाली कराने के साथ ही लोगो की समस्याओ के अनुसार रास्ता आदि बताने में सहयोग करेगा। घायलो का अस्पताल पहुॅचाना तथा मेडिकल टीम का सहयोग करना इसका कार्य होगा।

4–चिकित्सा दल–दुर्घटना स्थल पर यथा संभव चिकित्सा एवं प्राथमिक उपचार देगा तथा साक्ष्यो को सुरक्षित रखने में भी सहयोग करेगा।

5–सुरक्षा अधिकारी–सुरक्षा एवं सूचनाओ के आदान प्रदान के लिये अधिकारी होना चाहिये ,जो सभी में समन्वय एवं अनुशासन रखे अतिरिक्त संसाधनो की निम्नवत् व्यवस्था भी यह अधिकारी करेगा जैसे जनरेटर,पेयजल व्यवस्था एम्बुलेंस,वाहन,मानव श्रम।

क्या करे जैविक हमला या दुर्घटना के दौरान

1–शारिरिक स्वच्छता का ध्यान रखे। नाखून कटे हो तथा खाना खाने से पहले हाथ धोंये।

2–पानी उबालकर पिये।

3–सुरक्षित सब्जियों आदि एवं खाद्य पदार्थो का सेवन करें।

4–उपलब्ध टीकाकरण का उपयोग करे।

5–नई सब्जियों को डिटरजेंट से धोकर पकायें।

6–किसी तरह की बिमारी की सूचना आपदा प्रबन्धन नियन्त्रण कक्ष अथवा स्वास्थ विभाग को दे।
7–संक्रमित खाद्य पदार्थो वस्तुओ फसलो इत्यादि को नष्ट करने में सहयोग प्रदान करें।
8–मच्छरदानी का प्रयोग करे।

क्या न करे।

किसी प्रकार का अपशिष्ट विशेष रूप से खाद्य अपशिष्ट एकत्रित न होने दे।
1–पानी एकत्रित न होने दे।
2– संक्रमित अथवा बासी खाद्य एवं पेय पदार्थो का सेवन न करें।

जैविक आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्र्डड आपरेटिंग सिस्टम (वच)

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क्र0म	अधिकारी/संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास।आवश्यक आधुनिक उपकरणो/संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलो से समन्वय पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगो का आवागमन नियमित/प्रतिबन्ध करना।	खोज,बचाव एवं राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी,शरणालय/ राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार सैन्य/अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों

		सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का चिन्हीकरण एवं समन्वय ।रोगो पर सर्तक दृष्टि रखना।	एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	को विसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत शिविरो/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0 /रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को क्रियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो /पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को क्रियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	पीडित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो/पीडितो /मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	कृषि विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता	स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार क्षेत्र विशेष की फसलो के रोगो	रिर्पोटिंग आदि की समुचित व्यवस्था

		सुनिश्चित करना जैविक लक्षणो पर सतत दृष्टि रखना	का चिन्हीकरण एवं उपचार जिससे उन रोगो का प्रसार पशुओ एवं मनुष्यो मे न हो सके।	
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	मॉग अनुसार अतिशीघ्र वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुर्नवास कार्यो में मदद करना।
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था,टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।

बिंचजमत.5 .च्तमचंतमकदमे डमेंनतमे
अध्यायः– 5 –तैयारियों के उपाय

विभिन्न आपदाओं के समय क्या करें, क्या न करें

आगः–आग एक रसायनिक प्रक्रिया है जो त्रिभुज के आधार पर कार्य करती है ताप, ईंधन एवं वायु (ऑक्सीजन), इनमे से किसी एक के न होने पर आग नहीं जल सकती।

आग के प्रकारः–

1. प्रथम श्रेणी की आगः– सामान्य ज्वलनशील पदार्थ की आग जैसे कोयला, लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि की आग। इसे पानी डालकर बुझाया जा सकता है।
2. द्वितीय श्रेणी की आगः– ज्वलनशील तरल पदार्थों की आग जैसे पेटोल, वार्निस, मिट्टी का तेल आदि। इसे बुझाने के लिए आक्सीजन रोकना आवश्यक है।
3. तृतीय श्रेणी की आगः– ज्वलनशील गैसों की आग जैसे एल.पी.जी., सी.एन.जी. आदि। इसे बुझाने के लिए गैस अथवा पाउडर का प्रयोग किया जाता है।
4. चतुर्थ श्रेणी की आगः– ठोस पदार्थों या धातुओं की आग जैसे मैग्नीशियम, अल्यूमिनियम, लोहा आदि। इसे रासानियक क्रियाओं के द्वारा बुझाया जाता है।
5. पंचम श्रेणी की आगः– जो आग बिजली के द्वारा लगतती है, वह इस श्रेणी में आती है। इसे विद्युत आपूर्ति बन्द करके बुझाया जाता है।

आग बुझाने के सिद्धान्तः–जिस प्रकार आग लगने के लिए तीन सामग्री आवश्यक है, उसी प्रकार आग बुझाने के लिए इन्हीं तीन सामग्री में से एक को हटाकर या रोककर आग बुझाया जाता है।

1–स्टारवेशन मेथडः– इसका अर्थ है आग को भूखा मारना। आग से यदि उसका भोजन (ईंधन) हटा दिया जाए तो आग बुझाई जाएगी। इसे निम्न प्रकार से किया जा सकता है।

;पद्ध ज्वलनशील वस्तु को आग के पास से हटाकर

;पपद्ध आग को ज्वलनशील वस्तु से पास से हटाकर

;पपपद्ध जलने वाली वस्तु को छोटे–छोटे टुकड़ों में बांटकर
2–कूलिंग मेथडः– इसका अर्थ है ताप को कम करना। यदि आग का ताप कम कर दिया जाये तो आग बुझ जायेगी। इसे निम्न प्रकार से किया जा सकता है।
;पद्धजलने वाली वस्तु को पानी में डालकर
;पपद्ध जलने वाली वस्तु को ठण्डा करके
3–स्मोदरिंग मेथडः–इसका अर्थ है हवा 1⁄4आक्सीजन1⁄2 को आग से दूर करना। यदि आग का हवा से सम्पर्क काट दिया जाये तो आग स्वतः बुझ जायेगी। इसे निम्न प्रकार से किया जा सकता है।
1– आग के चारों ओर बालू, मिट्टी, कीचड़, कम्बल आदि का आवरण बनाकर
2– भवन में लगी आग के लिए सभी खिड़कियों, दरवाजे, रोशनदान आदि बंद करके जलती हुई वस्तु के चारों ओर झाग बनाकर
3– आग पर डांई पाउडर डालकर

अग्नि सुरक्षा के उपाय

01. घर में बीड़ी, सिगरेट आदि का प्रयोग न करें।
02. बच्चों की पहुंच से माचिस, स्टोव, पटाखे, तेजाब आदि दूर रखें।
03. भोजन बनाते समय सूती एवं फिट कपड़े पहनें।
04. जलते हुए लालटेन या स्टोव में मिट्टी का तेल न भरें।
05. पहने हुए कपड़ों का प्रयोग, चूल्हे से बरतन उतरने के लिए न करें।
06. भोजन बनाने के बाद चूल्हे, स्टोव व अंगीठीं को तत्काल बुझा दें।
07. गैस सिलेण्डर को सदैव खड़ा रखे ं तथा रात मे ं सोने के पूर्व रेगुलेटर अवश्य बन्द करें।
08. गैस के रबर पाइप को नियमित समय पर बदलें।
09. गैस में लीकेज का आभास होने पर सभी आग बुझा दे ं। सभी खिड़की, दरवाजे खोल दें व गैस एजेन्सी को तत्काल सूचित करें।
10. यदि कपड ों में आग लग जाएतो भागे नहीं। जमीन पर लेटकर या शरीर पर कम्बल लपेटकर आग बुझाने की कोशिश करें।
11. घर के बाहर मार्ग को खुला रखें जिससे आवागमन बाधित न हो।
12. यदि सम्भव हो तो घर में फायर एलार्म या घरेलू अग्निशमन यन्त्र लगवाएं।
13. एक ही साकेट में कई विद्युत उपकरण न लगाए ं।
14. घर की आपदा प्रबन्ध योजना बनाएं तथा समय–समय पर उसका पूर्वाभ्यास करें।
15. घर में पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रखें।
16. रसोई की छत को यदि फूस से बनाएं तो उस पर अन्दर से मिट्टी का लेप करें।
17. गाँव के तालाब या कुए ं तक फायर बिग्रेड के पहुंचने का मार्ग बनाए रखें।
18. यदि किसी आयोजन के लिए पण्डाल लगाएं तो उसके चारो ओर कम से कम 5 मीटर खुला स्थान छोड़ें।
19. पण्डाल की ऊँचाई 3 मीटर से अधिक रखें।
20. पण्डाल से बाहर निकलने के लिए 5 मीटर या उससे चौड ा रास्ता रखें।
21. पण्डाल में कुर्सियां बहुत कम मात्रा में व व्यवस्थित ढंग से लगाए ं।

22. पण्डाल के पास पानी की पर्याप्त व्यवस्था रखें।
23. अस्थाई रसोईघर को पण्डाल से 200 मीटर से दूर बनाएं।
24. विद्युत टांसफार्मर, रेलवे लाइन व खलिहान के आसपास आग न जलाएं।
25. बिजली के उपकरणों में आग लगने पर उसे पानी से बुझाने का प्रयास न करें।
26. बिना प्लग के तार बिजली के साकेट में न लगाएं।

आपात कालीन सहायता

- पुलिस 100
- अग्निशमन सहायता 101
- एम्बुलेन्स 102
- समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एम्बुलेंन्स 108
- आपदा नियन्त्रण कक्ष 1077
- टैंफिक कन्टोल 1073
- महिला हेल्प लाइन 1090

फोन पर सूचना देते समय घटना स्थल का सही पता बतायें व घटना स्थल पर पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है या नहीं जानकारी दें।

भूकम्प

जनपद बागपत में भूकम्प का कोई इतिहास नही है। भूकम्प में होने वाली क्षति का सबसे बडा भाग मकानो के टूट कर गिरने का कारण होता है । मकानो के टूटने से होने वाली सम्पत्ति की क्षति के साथ इसके मलबे में दब कर व्यक्तियों की मृत्यु भी हो जाती है। और इससे स्थिति अत्याधिक भयावह हो जाती है। इसी कारण –

भूकम्प से सम्बन्धित आपदा के बचाव हेतु भूकम्प रोधी मकान बनाना मुख्य योजना में शामिल किया गया है। इसके लिये लोगो के परिक्षण एवं जागरूकता के साथ ही पर्याप्त संख्या में दक्ष अभियंता नगर नियोजक एवं क्रियान्वयी संस्थाओ की आवश्यकता है। भारतीय मौसम विभाग (पदकपंद उमजतवसवहपबंस कमचंतजउमदज) भूगर्भ अध्ययन एवं पर्यवेक्षण की नोडल एजेन्सी बनायी गयी है तथा इनतमंन वि पदकपंद `जंदकमतक भारतीय मानक ब्यूरो को भूकम्प रोधी मकानो की विधि एवं अन्य सुरक्षा मानको हेतु नोडल बनाया गया है।

पूर्व तैयारी

बचावः–

1– कमजोर/पुराने/अनुरक्षित ढॉचो का चिन्हीकरण।
2–पुल आदि भूकम्प रोधी।
3–बिल्डिंग प्लान लागू करना ।
4–इंजीनियरो का परिक्षण /मिस्त्रियों का प्रशिक्षण।
5–तहसील/विकास खण्ड/ग्राम/विधालय स्तर पर प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास।
6–चिकित्सीय तैयारियॉ।
7–शरणालयो का चिन्हांकन।

क्या करे भूकम्प के पूर्व

1–अपने परिवार को भूकम्प के खतरो से अवगत कराये तथा बचाव के तरीके भी बताये।

2–स्थानीय पुलिस थाना,फायर स्टेशन ,अस्पताल का फोन नम्बर रखें।
3–बच्चो को बताये कि वे आपात स्थिति में स्कूल में ही रूके।
4–पूर्व सूचना की दशा में आपातकालीन किट एवं कुछ खाद्य व पेय पदार्था अपने साथ रखें।
5–अपना घर/कार्यालय भूकम्परोंधी बनाये।

क्या करे भूकम्प के दौरान

1–यदि समय हो तो घर/मकान से बाहर किसी खुली जगह में जहॉ बिजली के पोल व पेड आदि न पहुॅचे।
2–मकान में ही दरवाजा व मेज आदि के नीचे शरण लें।

क्या न करे।

1–अफवाह न फैलाये।
2–किसी व्यक्ति या समुदाय , संस्था को दोषारोपण न करें।
3–यदि यात्रा में है तो वाहन पुल या ओवरब्रिज आदि के उपर या नीचे न चले।
आपदा प्रबन्धन के लिये स्टैण्र्डड आपरेटिंग सिस्टम (वच)

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण

क0म	अधिकारी/संस्था	घटना से पूर्व	घटना के दौरान	घटना के उपरान्त
01	कलक्टर/ जिलाधिकारी	विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना प्रशिक्षण, जनसहभागिता एवं पूर्वाभ्यास के कार्यक्रमों का अनुश्रवण	सभी विभागो को क्रियाशील करते हुए आवश्यकताओं को चिन्हीकरण एवं त्वरित प्रतिक्रिया	बचाव, राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण
02	पुलिस अधीक्षक	खोज,बचाव एवं राहत दलों का पर्याप्त प्रशिक्षण,पुर्वाभ्यास।आवश्यक आधुनिक उपकरणो/संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना अभिसूचना एकत्रीकरण सैन्य/अर्द्ध सैनिक बलो से समन्वय पूर्व सूचना पर चिन्हित लोगो का आवागमन नियमित/प्रतिबन्ध करना।	खोज,बचाव एवं राहत विसंक्रमण आदि त्वरित प्रक्रिया टीमों को स्थल पर भेजना। कानून व्यवस्था,ट्रेफिक हेतु आवश्यक पुलिस बल तैनात करना।	विस्थापन क्षेत्र की घेरेबन्दी,शरणालय/ राहत केन्द्र अस्पताल आदि पर पुलिस व्यवस्था। आवयकतानुसार सैन्य/अर्ध सैन्य बलो की मॉग स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शव निस्तारण।
3	मुख्य चिकित्साधिकारी	पर्याप्त चिकित्सीय उपकरणों से युक्त राहत एवं बचाव दल का प्रशिक्षित कराना एवं उनका पुर्वाभ्यास करना चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक दवाईयों, उपकरणो एवं अन्य आवश्यक संसाधनो आदि की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्राइवेट अस्पतालों का	घटना स्थल पर त्वरित गति से राहत एवं बचाव दल का राहत किट, उपकरणों एवं अन्य आवश्यक संसाधनों आदि के साथ भेजना जिला अस्पताल में पृथक वार्ड,डाक्टर,दवाओं	प्रभावित व्यक्तियों को चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराना प्रभावित क्षेत्रों को विसंक्रमित करना। प्रशिक्षण हेतु रसायनों के नमूने एकत्र कराने में सहयोग करना राहत

		चिन्हीकरण एवं समन्वय ।रोगो पर सर्तक दृष्टि रखना।	एंबुलैन्स आदि की व्यवस्था करना।	शिविरो/शरणालयों पर चिकित्सा व्यवस्था पुलिस के सहयोग से शव निस्तारण।
4	अपर जिलाधिकारी(वि0 /रा0)	आपदा पूर्व तैयारियों का अनुश्रवण । तहसील ब्लाक एवं ग्राम स्तरीय कार्ययोजना तैयार करना जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आपातकालीन कन्ट्रोल रूम से सम्बन्धित व्यवस्था	राजस्व विभाग एवं अन्य विभाग के कर्मचारियों एवं संसाधनो को एकत्रित कर उनका उपयोग करना आपात कालीन नियंत्रण कक्ष को कियशील करना आवश्यकतानुसार आपदा स्थल पर नियंत्रण कक्ष खोलना राहत शिविरो की व्यवस्था।	बचाव राहत एवं पुनर्वास कार्यो का प्रभावी अनुश्रवण क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो /पीडितो / मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य
5	उपजिलाधिकारी	तहसील स्तरीय सभी विभागो का अनुश्रवण,जन जागरूकता प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास	प्रभावितो क्षेत्रो की सूचना देना तहसील स्तरीय विभागो को कियाशील करते हुये आवश्यकताओ का चिन्हीकरण एवं प्रभावी कार्यवाही करना	पीडित व्यक्तियों को राहत पहुॅचाना एवं सूचनाओं का आदान प्रदान करना क्षति का आंकलन तथा प्रभावितो/पीडितो /मृतको आदि की सूचीकरण रिर्पोटिंग आदि कार्य।
6	जल निगम	रासायनिक हमले से बचाव हेतु अपने जल स्रोतो एवं पेय जल योजनाओं को सुरक्षा की तैयारी एवं प्रशिक्षण	यह सुनिश्चित करना की कोई पेयजल स्रोत संक्रमित न हुआ हो संक्रमित पेय जल को विसंक्रमित करना इस के लिये मुख्य चिकित्साधिकारी का सहयोग लेना	शुद्ध पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित करना क्षतिग्रस्त पेय जल स्रोतो की मरम्मत ।
7	लोक निमार्ण विभाग	प्रर्याप्त,प्रशिक्षण पूर्वाभ्यास आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना		क्षतिग्रस्त भवनो, पुल, सड़को आदि की मरम्मत/निर्माण करना क्षति का मूल्यांकन कर आंकलन के अनुसार धन की मॉग करना।
8	परिवहन विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास	मॉग अनुसार अतिशीघ्र	

		आवश्यक आधुनिक उपकरणो /संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना ट्रान्सर्पोटरो की सूची एवं उनका फोन नम्बर आदि रखना	वाहनो की उपलब्धता सुनिश्चित करना	
9	रसद एवं आपूर्ति विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी आदि की आपूर्ति हेतु थोक व्यापारियों एवं भण्डारगृहों का चिन्हीकरण । पेट्रोल पम्पों एवं एल0पी0जी0 गोदामों पर पेट्रोल डीजल एवं एल0पी0जी0 की उपलब्धता का चिन्हीकरण।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 सुरक्षित करना।	मॉग के अनुसार आवश्यक खाद्यान्न, तेल, चीनी, पेट्रोल, डीजल एवं एल0पी0जी0 उपलब्ध कराना।
10	फायर बिग्रेड	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	घटना स्थल पर अल्प समय में अग्नि शमन एवं अन्य आवश्यक उपकरणों/संसाधनों के साथ पहुॅचकर राहत एवं बचाव कार्य करना।	पुनर्वास कार्यो में मदद करना।
11	सूचना विभाग	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	मीडिया से समन्वय	मीडिया से समन्वय सूचनाओ का आदान प्रदान
12	पशु चिकित्सा	प्रर्याप्त प्रशिक्षण,पूर्वाभ्यास। आवश्यक आधुनिक उपकरणों /संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना।	पशुओं के ईलाज सम्बन्धी समुचित व्यवस्था करना।	पशु कैम्पों पर चारे की व्यवस्था,टीकाकरण एवं सामुदायिक सहयोग से शवों का निस्तारण कराना आदि कार्य।
13	विकास प्राधिकरण एवं शहरी नगर निकाय	भूकम्परोधी मानको का दृढ अनुपालन, कमजोर ढांचो को चिन्हित कर उनके सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करना।		अपने संसाधनों से मलवा आदि की सफाई का कार्य
14	विकास विभाग			आवासहीनों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना।

अनुलग्नकः—

विभिन्न आपदाओं में क्षति/आवश्यकता मूल्यांकन हेतु प्रारूप

(क) बाढ़ की क्षति के मूल्यांकंकन का प्रारूप।

01. घायल/मृत व्यक्तियों की संख्या।
02. घायल/मृत पशुओं की संख्या।
03. पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानो की संख्या एवं अनुमानित मूल्य–
04. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानो ं की संख्या एवं अनुमानित मूल्य।
05. विद्युत को हुई क्षति।
06. सड़क, पुल को हुई क्षति।
07. मृत व्यक्तियों/पशुओं के शवों के निस्तारण की समस्या।
08. चिकित्सा सेवाओं की बहाली की समस्या।
09. विद्युत आपूर्ति कें आ रही समस्या।
10. जलापूर्ति में आ रही समस्या ।
11. महामारी की समस्या।
12. कानून व्यवस्था की समस्या।
13. परिवहन की समस्या।
14. खाद्य एवं रसद की समस्या।

(ख) सूखा की क्षति के मूल्यांकन का प्रारूप।

01. घायल/मृत व्यक्तियों की संख्या।
02. घायल/मृत पशुओं की संख्या।
03. पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानो की संख्या एवं अनुमानित मूल्य–
04. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानो ं की संख्या एवं अनुमानित मूल्य।
05. विद्युत को हुई क्षति।
06. सड़क, पुल को हुई क्षति।
07. मृत व्यक्तियों/पशुओं के शवों के निस्तारण की समस्या।
08. चिकित्सा सेवाओं की बहाली की समस्या।
09. विद्युत आपूर्ति कें आ रही समस्या।
10. जलापूर्ति में आ रही समस्या ।
11. महामारी की समस्या।
12. कानून व्यवस्था की समस्या।
13. परिवहन की समस्या।
14. खाद्य एवं रसद की समस्या।

(ग) भूकम्प की क्षति के मूल्यांकंकन का प्रारूप।

01. घायल/मृत व्यक्तियों की संख्या।
02. घायल/मृत पशुओं की संख्या।
03. पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानो की संख्या एवं अनुमानित मूल्य–
04. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानो ं की संख्या एवं अनुमानित मूल्य।
05. विद्युत को हुई क्षति।

06. सड़क, पुल को हुई क्षति।
07. मृत व्यक्तियों/पशुओं के शवों के निस्तारण की समस्या।
08. चिकित्सा सेवाओं की बहाली की समस्या।
09. विद्युत आपूर्ति कें आ रही समस्या।
10. जलापूर्ति में आ रही समस्या ।
11. महामारी की समस्या।
12. कानून व्यवस्था की समस्या।
13. परिवहन की समस्या।
14. खाद्य एवं रसद की समस्या।

(घ) अग्निकाण्ड की क्षति के मूल्यांकंकन का प्रारूप।

01. घायल/मृत व्यक्तियों की संख्या।
02. घायल/मृत पशुओं की संख्या।
03. पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त मकानो की संख्या एवं अनुमानित मूल्य–
04. आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानो ं की संख्या एवं अनुमानित मूल्य।
05. विद्युत को हुई क्षति।
06. सड़क, पुल को हुई क्षति।
07. मृत व्यक्तियों/पशुओं के शवों के निस्तारण की समस्या।
08. चिकित्सा सेवाओं की बहाली की समस्या।
09. विद्युत आपूर्ति कें आ रही समस्या।
10. जलापूर्ति में आ रही समस्या ।
11. महामारी की समस्या।
12. कानून व्यवस्था की समस्या।
13. परिवहन की समस्या।
14. खाद्य एवं रसद की समस्या।

खाद्यान्न व्यवस्थाः–

जिलापूर्ति एवं जिला खाद्य विपणन अधिकारी द्वारा दैवी आपदा की स्थिति उत्पन्न होने के समय खाद्यान्न से सम्बन्धित सभी मूलभूत सुविधाओं से सम्बन्धित वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रभावित व्यक्तियों की संख्या के आधार पर सुनिश्चित की जाएगी। आपूर्ति से सम्बन्धित सूची सम्बन्धित तहसील के राजस्व अधिकारियों द्वारा जिलापूर्ति अधिकारी को उपलब्ध करायी जाएगी। जिसे उनके द्वारा 24 घण्टे के अन्दर उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। विभाग द्वारा विशेष तौर से डीजल की उपलबधता, गेहूँ, चावल, चना, मोमबत्ती, माचिस, मिट्टी का तेल, आलू, दाल, आटा, नमक, गुड़, चना आदि के सम्बन्ध में सम्बन्धित विक्रेताओं से इस सम्बन्ध में समस्त कार्यवाही पूर्व से ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। जिससे आवश्यकतानुसार सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

मानव चिकित्साः–

सभी प्रकार की बीमारियों के सम्बन्ध में जनपद में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

पशु चिकित्साः–
पशुओं में होने वाली सभी प्रकार की बीमारियों के सम्बन्ध में जनपद में उपलब्ध संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
परिवहनः–आपदा के दौरान प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने तथा राहत सामग्री आपूर्ति किये जाने हेतु छोटे–बड़े वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाएगी।
पेयजलः– आपदा के समय पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने हेतु अधिशासी अभियन्ता, जल निगम, जल संस्थान, नगर पालिका परिपद, नगर पंचायत, जिला पंचायतराज अधिकारी, अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यालयों में उपलब्ध टैंकरों के माध्यम से मानव पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। यदि और आवश्यकता पड़े तो प्राइवेट टैंकरों के माध्यम से भी पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। प्रशासन का प्रयास रहेगा कि किसी भी दशा में पेयजल आपूर्ति प्रभावित नहीं होने दी जाएगी।

स्वैच्छिक संस्थाएंः– आपदा की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए सभी प्रकार की मूलभूत आवश्यकताओं को सुनिश्चित कराये जाने हेतु रेडक्रास सोसायटी, नेहरू युवा केन्द्र, एन.सी.सी., एन.एस.एस. एवं जनपद में कार्यरत एन.जी.ओ. से बेहतर सामांजस्य स्थापित कराकर आवश्यकतानुसार सभी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाएगी।
विद्युतः–
रोस्टर के अनुसार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाएगी। आकाशीय विद्युत एव ं भूकम्प, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की तत्काल विद्युत आपूर्ति बन्द कराने की कार्यवाही तत्समय सुनिश्चित करायी जाएगी।
विशेषः–जिला प्रशासन का प्रयास है कि यथा संभव किसी प्रकार की जनहानि, पशुहानि न होने पाये तथा किसी भी व्यक्ति की भूख के कारण अथवा भुखमरी की स्थिति मे ं जनहानि नहीं होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को पूर्व में ही निर्देशित किया जा चुका है।

ब्भ्।च्ज्म्त् .6 ब्ंचंबपजल ठनपसकपदह ंदक ज्तंपदपदह डमेंनतमे

अध्याय–6ः– क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण के उपाय

क्षमता संवर्धन एवं प्रशिक्षणकैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत शासन स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्तमास्टर टेंनरों का विवरणः–

क्र. सं.	नाम	पदनाम	स ंस्था / विभाग का नाम	जिला	मोबाइल नम्बर
1	2	3	4	5	6
01	श्री ऋषिपाल सिह	ली0फा0मेन पुलिस फायर स्टेशन बड़ौत	पुलिस फायर स्टेशन बड़ौत	बागपत	9456830412
02	श्री कुंवरपाल सिंह	एच0सी0पी0	पुलिस फायर स्टेशन बड़ौत	बागपत	7895710010
03	श्री वेदप्रकाश द्विवेदी	अपर जिला सहकारी अधिकारी	सहकारी समिति बागपत	बगपत	9557129612
04	श्री एन0एन0शर्मा	सुपरवाईजर	उ0प्र0 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड बागपत	बगपत	9412514694
05	डा0 बी0एस0शर्मा	उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	पशु चिकित्सालय बागपत	बागपत	9411208638
07	श्री आशीष कुमार रमन	सहा0अभि0नलकूप	उप खण्ड द्वितीय बड़ौत	बागपत	9454414625
08	डा0 संदीप पाल	मेडिकल आफिसर	मुख्य चिकित्साधिकारी	बागपत	7599449928

			बागपत		
09	डा0 अर्चना कुमारी	एक्स टेंशन ट्रेनिंग आफिसर	आर0आई0आर0डी0 बड़ौत	बागपत	8923218650
10	श्री देवेन्द्र सिंह नैन	क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी	क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी बागपत	बागपत	9917122856

विभिन्न आपदाओं से निपटने हेतु प्रत्येक वर्ष पुलिस विभाग द्वारा मॉक डिंल की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। इसके अलावा अग्निशमन विभाग द्वारा समय–समय पर प्रशिक्षण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। शासन स्तर से वर्ष 2014 में कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के अन्तर्गत शासन स्तर, जिले स्तर एवं ग्रामीण स्तर पर प्रशिक्षण करवाया जा चुका है।

<u>ब्-|च्ज्म्ट . त्मेचवदेम ंदक त्मसपमि उमेंनतमे–</u>

<u>अध्याय–7:– आपदा प्रतिक्रिया</u>

आपदा प्रतिक्रिया का दूसरा चरण है आपदा प्रबंधन चक्र यह तत्य, उदहारण के लिये के एक नंबर के होते है , चेतावनी/निकासी, खोज ओर बचाव, तत्काल सहायता उपलब्ध कराने क्षति का आंकलन करने के लिये जारी रखने सहायता की तत्काल बहाली के बुनियादी ढांचे आपातकालीन प्रतिक्रिया की व्याप्ति उददेश्य तत्काल सहायता प्रदान करने के लिये, जीवन जीवन को बनाये रखने के लिये स्वास्थ्य में सुधार लाने ओर प्रभावित लोगो का मनोबल का सर्मथन है ।इस तरह की सहायता ऐसी सहायता के रूप में, विशिष्ट लेकिन सीमित सहायता उपलब्ध कराने से लेकर कर सकते शरणार्थियों परिवहन अस्थायी आश्रय , ओर भोजन के साथ, शिविरों ओर अन्य सीानो में अर्द्ध स्थायी समाधान स्थापित करने के लिये यह भी क्षतिग्रस्त बुनियादी सुविधाओं के लिये प्रारंभिक मरम्मत शामिल हो सकता है। प्रतिक्रिया चरण में ध्यान अधिक स्थायी ओर टिकाऊ समाधान जब तक लोगो की बुनियादी जरूरतो को पूरा पाया जा सकता है पर है इन जरूरतो को सुशोधित करने ओर एक आपदा के लिये प्रतिक्रिया करने के लिये मुख्य जिम्मेदारी सरकार या सरकारों जिसका क्षेत्र में आपदा हुआ है के साथ है। इसके अलावा मानवीय संगठनों अक्सर आपदा प्रबंधन चक्र के इस चरण में विशेषकर उन देशो में जहॉ सरकार के संसाधनो की जरूरत के लिये पर्याप्त रूप से प्रतिक्रिया करने के अभाव में मजबूती से मौजूद है।

<u>त्मै्च्छक्म्ऐ के लिये आम उददेश्य है:–</u>

- बचत ओर मानव जीवन की रक्षा
- पीड़ा से राहत
- आपात स्थिति से युक्त –इसकी वृद्धि को सीमित करने या फेला है ओर इसके प्रभावो को कम करने
- सार्वजनिक ओर चेतावनी, सलाह ओर जानकारी के साथ व्यापार प्रदान
- स्वास्थ्य कर्मियों जवाब की सुरक्षा की रक्षा
- पर्यावरण की सुरक्षा

- दूर यथोचित साध्य की रक्षा सम्पत्ति के रूप में
- बनाए रखने या महत्त्वपूर्ण गतिविधियों बहाल
- एक उचित स्तर पर सामान्य सेवाओ को बनाये रखने
- को बढावा देने ओर ओर प्रभावित समुदायों में स्व–सहायता की सुविधा
- जॉच ओर पूछताछ (दृश्य ओर प्रभावी रिकार्ड प्रबंधन के संरक्षण द्वारा–जैसे) की सुविधा
- (माननीय सहायता, आर्थिक, बुनियादी ढांचे ओर पर्यावरण के प्रभावी सहित) समुदाय की वसूली की सुविधा
- प्रतिक्रिया ओर वसूली के प्रयास का मूलयांकन तथा
- की पहचान करने ओर कारवाई करने की पहचान सबक को लागू करने के लिये।
- आपदा घटित होने की दशा में शासन की समायान्तर्गत सूचना उपलब्ध करायी जाती है।

ब्भ्।च्ज्म्त् .8 त्मबवदेजतनबजपवद एत्मींइपसपजंजपवद ंदक त्मबवअमतल डमेंनतमे

अध्याय–8– पुननिर्माण, पुर्नवास ओर रिकवरी के उपाय

पुनर्वास, काम के बाद के हफ्तो ओर महिनो के किये गये करने के लिये संबंधित के लिये बुनियादी सेवाओ की बहाली सामान्य स्थिति में लौटने की आबादी सक्षम करने के लिये कदम उठाए गये अवधि आपात चरण के बाद के दौरान अक्सर वसूली चरण के रूप में परिभाषित किया गया है। जो दोनो पुनर्वास ओर पुर्ननिर्माण शामिल है । पुर्नवास कार्यो के लिये एक आपदा के बाद लिया बुनियादी सेवाओ को सक्षम करने के लिये संदर्भित करता है कामकाज फिर से शुरू करने के लिये पीडितों के स्व–सहायता शारीरिक क्षति की मरम्मत करने के प्रयासो को सहायता के लिये ओर सामुदायिक सुविधाओं, आर्थिक गतिविधियों को पुनजीवित करने ओर मनोवैज्ञानिक के लिये समर्थन प्रदान करते है ओर सामाजिक अच्छी तरह से जीवित बचे लोगो की जा रही है। इसे फिर से शुरू करने के लिये प्रभावित आबादी को सक्षम करने पर केंद्रित अधिक या कम सामान्य (पूर्व आपदा) जीवन के पैटर्न यह संक्रमणकालीन चरण के रूप माना जा सकता है तत्काल राहत ओर अधिक प्रमुख, लंबी अवधि के विकास के बीच पुनर्निर्माण सभी सेवाओ की पूर्ण बहाली, ओर स्तीनीय बुनियादी सुविधाओं के लिये संदर्भित करता है , क्षतिग्रस्त शारीरिक संरचनाओ के प्रतिस्थापन, अर्थव्यवस्था के पुरनोद्धार ओर बहाली सामाजिक ओर संस्कृतिक जीवन का पुनर्निमाण पूरी तरह से लंबी अवधि के विकास में एकीकृत किया जाना चाहिये योजनाओ, खाते भविष्य आपदा जोखिम ओर सम्भवनाओं को लेने के द्वारा इस तरह के जाखिम को कम करने के लिये उचित उपायो को शामिल है। क्षतिग्रस्त संरचनाओ ओर सेवाओ जरूरी नही हो सकता उनके पिछले फार्म या स्थान में बहाल किया । यह किसी भी अस्थायी के प्रतिस्थापन शामिल हो सकते है व्यवस्था आपातकालीन प्रतिक्रिया या पुनर्वास के हिस्से के रूप में स्थापित किया।

निम्नलिखित क्षेत्रो आपदा के प्रभाव को कमजोर किया जा सकता है,
पुनर्वास ओर पुनर्निमाण आदानों,

- बिल्डिंग
- भुमिकारूप व्यवस्था

- आर्थिक संपति (औपचारिक ओर औपचारिक वाणिज्यक क्षेत्रो सहित, औद्योगिक ओर कृषि गतिविधियॉ आदि)
- प्रशासनिक ओर राजनीतिक
- मनोवैज्ञानिक
- सांस्कृतिक
- सामाजिक
- पर्यावरण

  आपदा की स्थिति में आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

बेंचजमत.9 थ्पदंदबपंस त्मेवनतबमे वित पउचसमउमदजंजपवद व क्क्डच

अध्याय–9 –जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के क्रियान्वयन के लिए वित्तीय संसाधन

उ0प्र0 आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 के अध्याय 14 की धारा 33 के समरूप अध्यक्ष, जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकारण बागपत के नाम से भारतीय स्टेट बैंक शाखा बागपत में खाता संख्या–10834554286 खोला गया है, जो जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित है। जिसमें राज्य आपदा प्रबंध प्राधिकरण द्वारा प्राप्त धनराशि जमा की जायेगी और उससे कमेटी द्वारा समस्त भुगतान किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय मिटिगेशन फण्ड एवं रिस्पान्स फण्ड के संचालन हेतु अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त सभी खातों का संचालन जिलाधिकारी तथा अपर जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। आपदा प्रबंध निधि से जब तक आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के सामान्य या विशेष आदेश से निर्देशित न हो तब तक निधि की धनराशि खर्च नहीं की जा सकती है। निधि की मासिक रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी/सदस्य संयोजक द्वारा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेगी। आपदा प्रबन्ध निधि के जमा पर अर्जित ब्याज निधि का हिस्सा होगी।

आपदा राहत कोष में स्वैच्छा से धनराशि जमा कराने के संबंध में जन सहयोग से अपील

प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिये यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि जिले के अधिकारी की जन सहयोग प्राप्त हो उपजिलाधिकारी अपने तहसीलों से जन प्रतिनिधियों की समितियों का गठन सुनिश्चित करेंगे। आपदा क्षेत्रो में पीड़ितों का सहायता तथा शीघ्र दी जाये। सहायता वितरण के लिये तिथियां निर्धारित कर उसका प्रचार किया जना चाहिये। जिससे आपदा पीड़ित को पूर्ण जानकारी हो सके। तथा उसकी सूचना स्थानीय सहायता विधायकों एवं ब्लांक प्रमुखों को भी दी जाये। जिससे यदि वे चाहें तो अनुदान व सहायता वितरण के समय स्वयं उपस्थित रह सकें। दैवी आपदा के कारण हुये क्षति के सम्बंध में ऐसी तात्कालीन सहायता दी जाये जिससे प्रभावित व्यक्ति आपत्ति का सामना कर सके और अपने पैरों पर खड़ा हो सके। समुचित व्यवस्था के लिये धनराशि की आवश्यकता की पूर्ति जिला दैवी आपदा कोष से भी की जा सकती है। अतः जिले के दैवी आपदा कोष में स्वैछिक दान व रुपया जमा कराने के प्रयास किये जाये और तहसील स्तर पर समितियों का भी सहयोग प्राप्त किया जाये। आपदा

पीड़ितों को भी भोजन वस्त्र, बर्तन आदि की व्यवस्था करने के लिये समाज सेवी संस्थाओं से भी सहयोग लिया जाये। तहसील स्तर पर इस योजना नियन्त्रक एवं संचालक उपजिलाधिकारी होंगे तथा योजना की सत्यता उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। उल्लेखनीय है कि जनपद वासियों द्वारा भूकम्प, उत्तराखण्ड में बादल फटने से हुई भारी तबाही के दौरान सम्भ्रांत व्यक्तियों, राजकीय कर्मियों, अधिकारियों द्वारा मा0 मुख्यमंत्री राहत कोष में यथा संभव सहयोग दिया गया है। रेडक्रास सोसायटी द्वारा भी देश में होने वाली आपदाओं के समय यथा संभव धन एकत्र कर सहयोग की धनराशि प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री राहत कोष में उपलब्ध करायी जाती है।

बेंचजमत.10. च्तवबमकनतम ंदक उमजीवकवसवहल वित उवदपजवतपदह मअमसनंजपवदए नचकंजपवद ंदक उंपदजमदंदबम व िक्क्डच

अध्याय.10:-प्रक्रिया और निगरानी पद्धति, मूल्यांकन, अपडेशन और क्क्डच के रख-रखाव

उत्तर प्रदेश राज्य आपदा अधिनियम 2005 के अनुरूप जनपद में जिला स्तरीय आपदा प्रबन्ध के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिये गये निदे ंशानुसार जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबन्ध कमेटी निम्नानुसार गठित की जा चुकी है।

क्र0सं0	मूल पद नाम	पद
	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
	पुलिस अधीक्षक	उपाध्यक्ष
	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
	अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग	सदस्य
	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड जल निगम	सदस्य
	अग्निशमन अधिकारी	सदस्य

उ0प्र0 आपदा प्रबन्ध अधिनियम के अध्याय सोलह की धारा 04 के अनुरूप बिन्दु सं0-08 पर उल्लिखित अधिकारी का दायित्व होगा कि वह कमेटी के अध्यक्ष तथा सदस्य संयोजक के आधीन सहयोगी के रूप में अपने मूल कार्य के साथ साथ आपदा प्रबन्धन तथा खोज एवं बचाव सम्बन्धी कार्यों का समन्वय व निस्तारण करेगा। समिति की निधि से संबंधित अभिलेखों के रख-रखाव के दायित्व सदस्य संयोजक का होगा तथा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के आडिट के समय आडिट हेतु अपने अभिलेखों को प्रस्तुत करेंगा। निधि की वित्तीय प्रगति, व्यय की गयी धनराशि का बैंक से रिकन्साइल स्टेटमे ंट प्राधिकरण को प्रस्तुत करना होगा।

समिति वर्ष में एक वार्षिक बैठक करायेगी और दो सामान्य वार्षिक बैठकों के बीच 15 महीने से अधिक अन्तराल नहीं होगा चाहिए। समिति की वार्षिक सामान्य बैठक में तुलनपत्र और लेखा परीक्षक रिपोर्ट विचारार्थ समिति के कम से कम 7 सदस्यों से गणपूर्ति होगी।

जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण कार्यालय वर्तमान समय में संग्रह कार्यालय कलेक्ट्रेट बागपत में संचालित किया जायेगा। जो मुख्य राजस्व लेखाकार कलेक्ट्रेट बागपत के अधीन होगा। जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बागपत से सम्बन्धित कार्यों का सम्पादन संग्रह अनुभाग में कार्यरत कर्मचारियों द्वारा अपने पटल के साथ–साथ सौंपे गये नये कार्य विभाजन को जिम्मेदारी, ईमानदारी एवं मेहनत से निर्वहन किया जायेगा। वर्तमान समय मे राज्य सरकार द्वारा इन कार्यों के सम्पादन हेतु पृथक से किसी कर्मचारी/अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गयी है, जिसके कारण कलेक्ट्रेट मे कार्यरत् स्टाफ से ही कार्य लिया जा रहा है।

मुख्य राजस्व लेखाकार कलेक्ट्रेट बागपत :–इनके द्वारा जिला आपदा प्रबन्ध समिति की प्रत्येक त्रैमास होने वाली बैठक एवं प्रत्येक कोर टीम की बैठक मासिक आहूत की जायेगी। बैठक की तिथि अध्यक्ष/संयोजक द्वारा नियत की जायेगी। बैठक से सम्बन्धित सदस्यो को इनके द्वारा पत्राचार से आमन्त्रित किया जायेगा। तथा बैठक की कार्यवाही में प्रतिभाग किया जायेगा बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में कार्यवृत्त तैयार कराकर सम्बन्धितों को भेजा जायेगा तथा उनसे अनुपालन आख्या प्राप्त की जायेगी। विभागों को उपलब्ध कराई जाने वाली धनराशियों से सम्बन्धित पत्रावलियों का रख रखाव इनके द्वारा किया जायेगा। तथा आडिट सम्बन्धित समस्त कार्यो का सम्पादन इनके पटल द्वारा सम्पादित किया जायेगा ।

1–सहायक मुख्य राजस्व लेखाकार प्रथम कलेक्ट्रेट बागपतः– इनके द्वारा जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण बागपत से सम्बन्धित प्राप्त धनावंटन, लेखा जोखा का कार्य सम्पादित किया जायेगा। विभागीय कार्य योजनाओं का निर्माण तथा सम्पादन का समन्वय किया जायेगा। समिति की सामान्य बैठक सामान्यतः प्रत्येक वर्ष में एक बार होगी जिसे इनके द्वारा सम्पादित कराया जायेगा। आपदाओं से सम्बन्धित निपटने की तैयारी सम्बन्धी आपदा प्रबन्ध कार्य योजना बनाना तथा उपलब्ध संशाधनों का बेहतर प्रबन्धन कर बचाव कार्य करना। आपदा प्रबन्ध कार्ययोजना ग्राम स्तरीय/ब्लाक स्तरीय एवं जिला स्तरीय को समय समय पर आद्यतन करना तथा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण को प्रेषित करना। जनपद मे सामान्य व कम वर्षा की स्थिति मे समुचित अपवहन तन्त्र के अभाव, अनियंत्रित तरीके से बांध निर्माण, बाढ तथा सूखे से सम्बन्धित योजनाओं के विभिन्न विभागों से समन्वय के अभाव बाढ तथा सूखे की स्थिति बनी रहती है अतः बाढ तथा सूखे की स्थायी समाधान हेतु समग्र दृष्टिकोण को ऐकीकृत तथा दीर्घ कालीन जिला योजना तथा कार्यन्वयन हेतु समंकित प्रयास करना ।

इसके अतिरिक्त जिला आपदा प्रबन्ध समिति बागपत मे दर्शाये गये उद्देश्य के अर्न्तगत किसी भी कार्यो को सम्पादित करने हेतु अध्यक्ष/संयोजक अपने स्तर से निर्देशित करके राजकीय कार्यहित मे कार्य करा सकता है। इस पटल द्वारा बैठको मे उपस्थिति अधिकारियो की उपस्थिति तथा जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से सम्बन्धित भेजे जाने वाली सूचनाओ को फैक्स द्वारा सम्बन्धितो को उपलब्ध कराया जायेगा,पत्रो की प्राप्ति,डाक डिस्पैच करना से सम्बन्धित कार्य,जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण से सम्बन्धित पत्रावलियो की दाखिल दफतरी, तैयार करना, आपदा सम्बन्धी योजना की पुस्तिका तैयार करवाने मे सहयोग प्रदान

करना का कार्य सम्पादित किया जायेगा।सूचना के अधिकार के अर्न्तगत चाही गयी सूचनाओ से सम्बन्धित कार्य मुख्य राजस्व लेखाकार के सहयोग से किया जायेगा तथा इस पटल द्वारा जिला आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण एवं दैवी आपदाओ से सम्बन्धित सूचनाओ को राहत बेबसाइट पर फीड कराना, जिसमे जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय सूचनाये भी सम्मिलित है, उन्हें नियमित रुप से बेबसाइट पर भरवाया जायेगा। इनके द्वारा मुख्य राजस्व लेखाकार, कलक्ट्रेट बागपत की अनुपस्थिति मे अथवा अवकाश की अवधि मे उनको सौपे गये कार्यो का सम्पादन भी किया जायेगा।

बिंचजमत .11 ब्ववतकपदंजपवद डमबींदपेउ वित पउचसमउमदजंजपवद व ि क्कडच

अध्याय.11:—क्कडच कार्यान्वयन के लिए समन्वय तंत्र

आपदा प्रबन्धन से आशय निम्नांकित दृष्टि से नियोजन और निरन्तर और एकीकृत प्रक्रिया तथा उसके क्रियान्वयन से है:—

1. आपदाओं के जोखिम के न्यूनीकरण या कमी करना।
2. आपदाओं की कठोरता या परिणाम में कमी करना।
3. क्षमता निर्माण/आपातकालीन तैयारी
4. आपदाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
5. आपदा राहत और बचाव उपलब्ध कराना।
6. आपदा के पुर्नवास व पुनर्निर्माण।

राज्य सरकार तथा राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण के आपदा सम्बन्धी कार्यों के जिला स्तर पर निष्पादन हेतु उक्त कमेटी नोडल कमेटी के रूप में कार्य करेगी। शासनादेश संख्या—1553/1—11—06—52(जी)/2006, दिनांक—18 जुलाई, 2006 में उल्लिखित कमेटी के कार्यों एवं उद्देश्यों की पूर्ति का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

जनपद में सामान्य व कम वर्षा की स्थिति में उत्पन्न होने वाली बाढ तथा सूखे से सम्बन्धित समस्याओं के निवारणार्थ चल रही योजनाओं में विभिन्न विभागों में समन्वय के अभाव में उत्पन्न विसंगतियों के स्थायी समाधान हेतु समग्र दृष्टिकोण की एकीकृत तथा दीर्घकालिक जिला योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन का समेकित प्रयास किये जाने का दायित्व मुख्य विकास अधिकारी को सौंपा जाता है।

जनपद में बाढ तथा सूखे की संभावना उत्पन्न होने पर अर्ली वार्निंग इन्डीकेटर तैयार कराये जाने का कार्य अधिशासी अभियंता सिंचाई द्वारा तत्परता के साथ सुनिश्चित किया जाएगा।

नगरों में स्थित बहुमंजिली इमारतों, सार्वजनिक सभाओं के पांडालों, घने एवं संकीर्ण आबादी तथा बाजारों में होने वाले अग्निकाण्डों को चिन्हित कर सुरक्षा प्रबन्ध व ऐसी किसी दुर्घटना के समय खोज एवं बचाव का कार्य कराये जाने का दायित्व अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्वहन किया जाएगा।

जोखिम के समय संचार, परिवहन, स्वास्थ्य, विद्युत तथा पेयजल सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराये जाने का कार्य जिला प्रबन्धक (दूर संचार), सहायक क्षेत्रीय परिहवन अधिकारी/सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (रोडवेज), मुख्य चिकित्साधिकारी, अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/जल निगम/जल संस्थान) द्वारा अर्न्तसमन्वय स्थापित कर कन्टिजेन्ट प्लान बनाकर सुनिश्चित किया जाये। खाद्य पदार्थों की उपलब्धता जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा सुनिश्चित की जाएगी।

जनपद में खोज एवं बचाव सम्बन्धी संसाधनों की सूची आपातकाल में प्रयोग किये जाने हेतु समस्त तहसीलदारों द्वारा अद्यतन स्थिति में तैयार खी जाएगी। आपदा की प्रकृति एवं गंभीरता के अनुरूप स्थायी शरण स्थल तथा उनमे अपेक्षित आवश्यक प्रबन्ध समस्त उप जिलाधिकारियों द्वारा व्यवस्थित रखे जायेंगे।

आपदा काल में जीवन तथा सम्पत्ति संबंधी जोखिम जैसे विषम परिस्थितियों में फंसे व्यक्तियों को बाहर निकाल कर त्वरित राहत प्रदान किये जाने, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देकर स्वास्थ्य केन्द्र पहुंचाने, मृत व्यक्तियों के शवों का उचित निस्तारण इत्यादि की व्यवस्थाएं पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित करायी जाएगी। इस कार्य में जिला कमाण्डेन्ट (होमगार्ड्स) सहयोग प्रदान करेंगे।

आपदा प्रभावित क्षेत्रों में भय अथवा अफवाह की दशा में जनता को सही जानकारी उपलब्ध कराये जाने, अफवाहों का खण्डन प्रकाशित कराये जाने तथा अफवाह फैलाये जाने वालों के विरुद्ध त्वरित प्रभावी कार्यवाही किये जाने का कार्य पुलिस विभाग द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा और इस कार्य में सहायक निदेशक सूचना आपदा पूर्ण सहयोग देंगे। आपदा में मृत पशुओं के शवाहों का निस्तारण एवं सफाई व्यवस्था का कार्य स्थानीय निकायों द्वारा कराया जायेगा।

आपदा के प्रकारों और उनके सम्भावित प्रभावों का पूर्वानुमान किये जाने, जोखिम में आने वाले समुदायों तथा सम्पत्तियों को चिन्हित करने, जोखिम के प्रभावों को कम करने/राहत कार्यों की कार्ययोजना तथा क्रियान्वयन/सम्पादन का कार्य उपजिलाधिकारियों द्वारा समन्वय बनाकर किया जायगा। अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बागपत को इस कार्य हेतु नोडल अधिकारी नामित किया जाता है।

पुलिस, नागरिक सुरक्षा, होमगार्ड, अग्निशमन विभाग द्वारा अन्तर्समन्वय स्थापित कर स्थानीय प्रशासन, गैर सरकारी संगठनों तथा निजी क्षेत्र के सहयोग से जन समुदाय को बाढ, आग, भूक्मप एवं विषैली गैस के रिसाव जैसी आपदा से बचाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा तथा विद्यालयों में मॉक ड्रिल के माध्यम से जागरुकता उत्पन्न की जाएगी।

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध कमेटी के सदस्यों द्वारा जनपद के आपदा से पूर्व व आपदा प्रबन्ध गतिविधियों के निर्वहन हेतु स्थानीय सरकारी निकायों से समन्वय बनाये रखना नितान्त आवश्यक होगा। साथ ही साथ पुनर्निमाण एवं पुर्नवास हेतु किये जाने वाले कार्यों की प्रगति एवं परिणामों के अनुश्रवण में पूर्ण सहयोग दिया जायेगा। विभिन्न विभागों द्वारा निर्मित आपदा प्रबन्धकीय कार्य योजनाओं तथा दिशा–निर्देशों का जनपद स्तर पर अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा और कमेटी की बैठकों में प्रगति की समीक्षा करायी जाएगी।

कमेटी के अध्यक्ष के रूप में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ और कृत्य

उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्ध अधिनियम–2005 के अध्याय नौ की धारा 23–24 में जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कृत्यों को उपबंधित किया गया है। अधिनियम के अध्याय दस की धारा 25 तथा 26 में आपदा प्रबन्ध के प्रयोजन के लिए स्थानीय प्राधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट के पर्यवेक्षण के अधीन, सम्पादित किये जाने वाले कृत्यों का उपबन्ध किया गया है। अधिनियम के अध्याय 11 की धारा 27 की उपधरा 1 तथा 2 के अनुरूप पुलिस बल, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा व अग्निशमन सेवाओं का पर्यवेक्षण करना, अधिनियम के अध्याय 12 की धारा 28, 29 व 30 में समुदायोंद्व निजी क्षेत्र के उद्यमों और अन्य अभिकरणों या व्यक्तियों के कर्तव्यों में जिलाधिकारी के पर्यवेक्षणीय, शक्तियों का निगमन किया गया है, अधिनियम के अध्याय 13 की धारा 32 की उपधारा 1, 2, 4 व 5 में किसी क्षेत्र को आपदाउन्मुख क्षेत्र या आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने हेतु मण्डलायुक्त तथा जिलाधिकारियों की भूमिका का उल्लेख किया गया है। उक्त समस्त का अनुपालन सुनिश्चित करना पूर्णतया जिला मजिस्ट्रेट के उत्तरदायित्व के अन्तर्गत सन्निहित लें।

बेंचजमत 12ै.जंदकमतक व्मतंजपदह च्तवबमकनतमे ैवचे ंदक बीमबासपेज

अध्याय.12ः—मानक संचालन प्रक्रिया और जॉच सूचीः—

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा म्उमतहमदबल ैनचचवतज थ्नदबजपवद ;म्ैण्थ्द्ध से सम्बन्धित विस्तृत दिशा—निर्देश वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। उक्त वेबसाइट के सम्बन्ध में समस्त सम्बन्धितों को पूर्व से ही अवगत कराया जा चुका है तथा उसकी एक हार्ड कॉपी प्रिन्ट कराकर अभिलेखों में सुरक्षित की गई है। म्ैण्थ् के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग के ैजंदकंतक व्मतंजपदह च्तवबमकनतमे ;ैण्व्ण्च्द्ध से सम्बन्धित विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये हैं जिसका आवश्यकतानुसार सम्बन्धित विभागों से समन्वय स्थापित कराकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है। जनपद स्तर पर प्रभावित दैवी आपदाओं से सम्बन्धित मानक संचालन प्रक्रिया के अन्तर्गत सौंपे गये दायित्वों एवं कर्त्तव्यों का निर्वहन किये जाने हेतु सम्बन्धित विभागों को आपदा से निर्गत सभी पुस्तिकाओं में अवगत कराया जाता है तथा उनसे बेहतर सामामंजस्य स्थापित कराकर आपदाओं से निपटने एवं राहत, बचाव का कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

आपदा प्रबन्धन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया

ैजंदकंतक व्मतंजपदह च्तवबमकनतमें;ैण्व्ण्च्द्ध

क्र0सं0	विभाग का नाम	बाढ. के पूर्व किये जाने वाले कार्य (15 जून तक)	बाढ. के समय किये जाने वाले काय	बाढ के बाद किये जाने वाले कार्य
	राजस्व	बाढ चौकियों पर कर्मचारी की तैनाती एवं तैनाती कर्मचारियों की सूची का प्रेषण।	सम्भावित क्षेत्रों में पूव ि चेतावन	प्रभावित व्यक्तियों को नियमानुसार देय अहैतुक सहायता गृह अनुदान अनुग्रह सहायता का
		2.प्राईवेट नांवों तथा मल्लाहों की व्यवस्था। विवरण।	2. पीड़ित को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना।	बाढ़ / जल भराव से फसलों को हानि निजी सम्पत्ति की हानि एवं पशु हानि का

				आकलन।
		3.सरकारी नांवों की मरम्मत।	3. निराश्रित एवं असहाय व्यक्तियों के आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था।	3. बाढ़ से क्षति का विवरण सदर कार्यालय भेजना।
		.तहसील स्तरीय बाढ़ सहायता परामर्श दात्री समिति की बैठक।	4.सम्बन्धित विभाग के सहायोग से दवाओ चारे पेयजल एवं जल निकासी की व्यवस्था।	4. माल गुजारी में निलम्बन/ छूट प्रस्ताव।
		5.सहायता हेतु धन की मांग।	5. अस्थाई शरणार्थी शिविरों की व्यवस्था।	5. राहत हेतु आवश्यक प्रस्तावों का प्रेषण
		6.जीवन उपयोगी आवश्यक वस्तुओं की व्यवस्था/आरक्षण।		6. आवश्यकता होने पर अतिरिक्त धनांवटन की मांग।
		7.निराश्रित एव असहाय व्यक्तियों की सूची तैयारी करेगा।		7. आपदा तकावी का विवरण।
		8.लघु एवं सीमान्त कृषकों की सूची की तैयारी		
2	पुलिस विभाग	1.बाढ़ सुरक्षा कार्य हेतु जीवन रक्षा उपकरण लाइफ वेल्ट सैफ्टवाल्ब को सही हालत में सुनिश्चित रखना।	1.बाढ़ आने पर आवश्यकतानुसार पी0ए0सी0/सेना/ वायुसेवा एवं हेलीकाप्टर की व्यवस्था।	1.बाढ़ प्रभावित व्याक्तियों की फिर से बसाने में सहायता।
		2. जालो इत्यादि की व्यवस्था एवं राहत कार्यो से सम्बन्धित स्टाफ की सूची का प्रेषण।	2. बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का कार्य।	
		3. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जन/धन की सुरक्षा।		

		4. आवश्यकतानुसार होमगार्ड की व्यवस्था।		
		5. बाढ़ राहत कार्यों में राजस्व अधिकारियो की सहायता।		
		6. जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा सौंपे गये कार्यो का निष्पादन।		
3	स्वास्थ्य/ चिकित्सा विभाग	1. कुओं मे कीटनाशक दवाआ का डालना।	1.बाढ़ जनसंख्या की सुरक्षा महामारी	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक सर्वेक्षण एवं बीमारियों का उपचार।
		2. जीवन रक्षक दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था।	बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में विसंक्रमण कराना।	2.मलेरिया एवं हैजा का रोकथाम हेतु दवा का छिडकाव।
		3. किसी भी प्रकार के संक्रमकरोगों/महामारी की रोकथाम हेतु तैयारी।	बाढ़ चौकियों में चिकित्सा की समुचित व्यवस्था।	
4	मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी	1. रोक निरोधक कार्यवाहियों की पूर्व व्यवस्था करना।	1.जीवनोपयोगी वस्तुये बाढ़ प्रभावित अधिकारियों की मदद करना तथा निरन्तर आपूर्ति।	1–बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम हेतु पशुचिकित्सा एवं टीकों की व्यवस्था। 2–बाढ़ के दौरान शिविरों में भूसे/ चारे की व्यवस्था।
5	जिलापूर्ति अधिकारी	1.तहसील मुख्यालयों/ विकासखण्डों एवं बाढ़ चौकियों की जीवन उपयोगी आवश्यकताओं तथा	1.जीवनोपयोगी वस्तुये/ बाढ प्रभावित अधिकारियों की मद्द करना तथा निरन्तर आपूर्ति।	1–बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक भ्रमण तथा आवश्यक वस्तुओ की नियमित

		मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल गुड़, लाई, चना, मोमबत्ती, नमक, माचिस आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित कराना।		आपूर्ति करना।
6	सिंचाई विभाग बागपत।	1. नालों की सफाई एवं नहरो बाधों व तटबंधो की मरम्मत।	1. बांधों एवं तटबंधों की 24 घण्टे निगरानी रखना।	
		2. पर्याप्त मात्रा में पम्पिंग सेट की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।	2– बाढ़ के पानी से घिरी हुई आबादी से पम्पिंग सेटो द्वारा पानी की निकासी कराना।	
		3. डीजल के भण्डार का आरक्षण कराना।	3. राजस्व एवं पुलिस विभाग के बाराहत कार्यो हेतु सहयोग प्रदान करना।	
		4. बांधो/तटबंधो की निगरानी हेतु स्टाफ की नियुक्ति तथा सूची सदर कार्यालय को उपलब्ध कराना।	4. क्षतिग्रस्त बांधों/तटबंधों की वैकल्पिक व्यवस्था।	
		5. बांधो/तटबंधों/पुलियों की मरम्मत हेतु खाली बोरियों/रेत/मोरम की व्यवस्था कराना।		
7	लोक निर्माण विभाग, बागपत	1. क्षतिग्रस्त सड़कों /पुलियों की मरम्मत कराना।	1–बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त मार्ग की तत्काल आवामगन प्रारम्भ कराने की व्यवस्था करना।	1–बाढ़ से क्षतिग्रस्त मार्ग मार्ग/पुलों/पुलियों की मरम्मत करना है।
		2. निचले स्थानों में भराव कराकर सड़को को ऊंचा करार	2. किसी पुल अथवा कलवर्ट के क्षतिग्रस्त होने पर वैकल्पिक व्यवस्था अथवा वैकल्पिक ब्रिज की	

			व्यवस्था कराना।	
		3. विगत वर्षों के क्षतिग्रस्त मार्गों पुलियों की मरम्मत कराना।	3—बाढ़ के समय प्रत्येक 2 घण्टे में निदियों के जल स्तर की सूचना जिलाधिकारी निवास कलेक्ट्रेट कन्ट्रोल/ तहसील सदर को उपलब्ध कराना।	
		4. कमजोर तटबन्धों की पिचिंग हेतु बोरियों/ बोल्डरों इत्यादि की व्यवस्था करना।		
		5. महत्वपूर्ण मार्गो में पड़ने वाली बड़ी नदियों के पुलों की निगरानी हेतु स्टाफ की नियुक्त करना।		
8	केन्द्रीय पुर्वानुमान केन्द्र बागपत	1. जिले की बड़ी नदियो ं यमुना एवं हथनी कुड बैराज से पानी छोड़े जाने अथवा अतिवृष्टि से जल स्तर ब	1. नदियों में बाढ का जलस्तर न्यूनतम पार जाने पर प्रत्येक दो घण्टे अन्तराल पर जलस्तर की सूचना एवं पूर्वानुमान उपलब्ध कराया जाना।	
9	विद्युत विभाग	1. क्षतिग्रस्त बिजली के खम्भों एवं लाइन की मरम्मत कराना तथा यमुना एवं हिन्डन नदी के पुलों पर प्रकाश व्यवस्था कराना।	1— बाढ़ के समय नियमित विद्युत आपूर्ति विद्युत आपूर्ति बनाये रखना।	1—बाढ़ में क्षतिग्रस्त बिजली के खम्भों एवं लाइन को युद्धस्तर पर मरम्मत कराना।
		2— सम्भावित बाढ़ स्थलों पर प्रकाश की समुचित व्यवस्था कराना।	2—बाढ़ शरणार्थी स्थलों में समुचित आपूर्ति को तत्काल चालू कराना है।	

		3. मुख्यालय की स्ट्रीट लाइट के सही कार्य करने हेतु समुचित व्यवस्था कराना।	3—बाढ़ के दौरान क्षतिग्रस्त विद्युत आपूर्ति को तत्काल चालू कराना।	
10	जल निगम/जल संस्थान, बागपत	1. जलापूर्ति सुनिश्चित करने हेंतु पेयजल नलकूपों/जलापूर्ति लाइनों की मरम्मत कराकर सही दशा में रखना।	1— बाढ़ की स्थिति मे ं पेयजल आपूर्ति नियंत्रित रखना।	
		2. ओवर हेड टैंको की सफाई प्रबंध करना।	2. पेयजल के नमूने लेकर उसका परीक्षण कराना। जिला प्रशासन को सहयोग देना।	2. कार्य आंकलन कर प्रस्ताव शासन को प्रशणार्थ प्रस्तुत करना।
		3. नगर के महत्वपूर्ण स्थानों की सुरक्षा हेतु स्टाफ की नियुक्ति करना।	3— बाढ़ से घिरे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाये जाने की व्यवस्था करना।	
		4. पम्पिंग सेट/नांवों की व्यवस्था करना।	4. असहाय एवं पीड़ित व्यक्तियों को भोजन की व्यवस्था करना।	
		5. नगर में बाढ़ चेतावनी की समुचित सूचना उपलब्ध कराना तथा पूर्व व्यवस्था करना।	5. अस्थाइ बाढ़ शरण स्थलों में प्रकाश की वैकल्पिक व्यवस्था करना।	
			6— बाढ़ पीड़ित जनता को जीविकोपार्जन की वस्तुएं सही मूल्य पर उपलब्ध कराना।	
			7. स्वयं सेवी संस्थाओं एवं संगठनों को सहयोग प्राप्त कराना।	
11	जिला विद्यालय निरीक्षक/उपविद्यालय निरीक्षक/बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला पंचायत राज अधिकारी, बागपत	1— बाढ़ के समय जिन भवनों स्थानों एवं पंचायत घरों में पीड़ितों को ठहराया जाता है, उनकी सही हालत सुनिश्चित कराना।	1— बाढ़ के दौरान राजस्व/पुलिस अधिकारियों को सहयोग करना।	1. क्षतिग्रस्त स्थलों/पंचायत घरों की मरम्मत कराना
		2. यदि शरणास्थलों में कोई संशोधन हुआ है		

		तो उसकी सूचना सम्बन्धित उपजिलाधिकारी /प्रभारी अधिकारी, दैवी आपदा को देना।		

जिला प्रशासन की चैक लिस्ट

क्र0 सं0	विषय	हॉ/नही	हॉ/नही
01	क्या आपदा प्रभावित क्षेत्र का आंकलन कर लिया गया है	हॉ	
02	कितनी आबादी /ग्राम खतरे में आ सकते है, क्या उन्हे चिन्हित कर लिया गया है ध	हॉ	
03	चिन्हित आबादी हेतु क्या आपदा प्रबन्ध योजना बना ली गयी है ध	हॉ	
04	क्या उक्त कार्ययोजना की जनता को जानकारी है ध	हॉ	
05	क्या प्रभावित होने वाले क्षेत्रो का अनुरक्षण सम्बन्धित विभाग से मानसून से पूर्व कर लिया है ध	हॉ	
06	क्या आपदा समय अत्याधिक जल प्रवाह/जल दवाब के कारण बन्धे/तटबन्द के कमजोर होने की स्थिति में सिंचाई विभाग द्वारा क्या उसको ठीक करने हेतु आवश्यक रणनाति बना ली गयी है तथा क्या इस निमित्त संसाधनो की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है।	हॉ	
07	क्या मानसून आने से पूर्व नगरीय क्षेत्रो मे नाला नाली की सफाई कर ली गयी है ध क्या जल भराव आदि की दशा में जल निकासी हेतु आवश्यक पम्प आदि की व्यवस्था कर ली गयी है ध	हॉ	
08	क्या राहत शिविरो का चिन्हीकरण कर लिया गया है एवं जनता को इसके बारे में बता दिया गया है ध	हॉ	
09	क्या राहत शिविरो को चलाये जाने की दशा में समस्त आवश्यक संसाधन की त्वरित उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु व्यापक कार्ययोजना बना ली गयी है ध क्या जिला प्रशासन इसके तत्काल कार्यान्वयन में सक्षम हो ध	हॉ	
10	क्या राहत शिविर हेतु औषधि टीकाकरण आदि की व्यवस्था कर ली गयी है ध	हॉ	
11	क्या जलमग्न क्षेत्रो में मोबाईल चिकित्सीय दल तथा खोज एवं बचाव दल के संचरण की व्यवस्था (नांव आदि) तथा दलो का गठन कर लिया गया है ध तथा क्या मोटे तौर पर दलो को क्षेत्र आवंटित कर दिये गये है ध	हॉ	

12	क्या बाढ बचाव हेतु नांवो की व्यवस्था कर ली गयी हैघ	हॉ	
13	क्या मल्लाहों की सूची तैयार कर ली गयी है तथा उनकी सेवाये लेने हेतु मल्लाहो का जानकारी दे दी गयी है घ	हॉ	
14	क्या नाव की कम उपलब्धता की दशा में आसपास के जनपदो के जिलाधिकारियों के समन्वय से अतिरिक्त नावो की उपलब्धता सुनिश्चित किये जाने हेतु आवश्यक रणनाति तैयार कर ली गयी है घ	हॉ	
15	क्या जनपद स्तर पर बाढ के दौरान तथा बाढ के उपरान्त फैलने वाली बीमारी/महामारी के रोकथाम हेतु प्रचुर मात्रा में टीके/औषधियों/प्राथमिक चिकित्सा दल की व्यवस्था कर ली गयी घ	हॉ	
16	बाढ के दौरान प्रयुक्त होने वाले भोज्य पदार्थो, खोज एवं बचाव सम्बन्धी उपकरणो, राहत शिविर सम्बन्ध व्यवस्थाओ में लगने वाले सामान जिनकी दरे राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नियत नही है उनके प्रक्योरमेन्ट हेतु क्या पूर्व से दरे नियत करने सम्बन्धी कार्यवाही कर ली गयी है घ	हॉ	
17	क्या बाढ के कारण दूषित पेयजल स्रोतो के विसंक्रमण की कार्यवाही हेतु आवश्यक रणनीति तय कर ली गयी है घ	हॉ	
18	क्या आवश्यकता पडने पर वैकल्पिक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु रणनीति बना ली गयी है घ	हॉ	
19	क्या बाढ राहत कार्यो के लिये जनपद स्तर पर प्रत्येक विभाग ने अपना नोडल अधिकारी नामित कर लिया है, उसका नाम, पता व दूरभाष नम्बर आदि जनपदीय आपदा नियन्त्रण कक्ष में उपलब्ध हैघ	हॉ	
20	क्या आपदा सहायता सम्बन्ध टोल फ्री नम्बर 1077 आपदा नियन्त्रण कक्ष में स्थापित है घ	हॉ	
21	क्या प्रत्येक तहसील व जनपद मुख्यालय पर रेनगेज द्वारा वर्ष का मापांकन हो रहा है एवं इसकी सूचना मौसम विभाग को नियत समय पर दी जा रही है घ	हॉ	
22	क्या वर्षा की सूचना की राजस्व विभाग की वेबसाईट पर प्रविष्टि की जा रही है घ	हॉ	
23	क्या बाढ सम्बन्धी पूर्व चेतावनी की प्रभावित क्षेत्र में व्यापक प्रसार हेतु सभी आवश्यक व्यवस्थाए कर ली गयी हैघ	हॉ	
24	क्या जनपद के इमरजेन्सी सपोर्ट फक्शेसन को तैयार कर लिया गया हैघ	हॉ	
25	जन प्रतिनिधियों तथा शेक्षिक संस्थाओ को राहत कार्य में सम्मलित किये जाने सम्बन्धी क्या कार्य दल बना लिया गया है घ	हॉ	
26	क्या बाढ प्रभावित क्षेत्रो से पशुओ के संचरण, पशु शिवर चारे, औषधि, टीकाकरण की व्यवस्था कर ली गयी है ?	हॉ	
27	जल मग्न ग्राम के निवासी जो किसी भी दशा में घर छोडने को तैयार नही है क्या उनके लिये राहत की व्यवस्था सम्बन्धी योजना बना ली गयी है घ	हॉ	

28	क्या राहत वितरण की पारदर्शी व्यवस्था हेतु जनप्रतिनिधि, मीडिया को सम्मलित कर लिया गया है ६	हॉ	
29	क्या बाढ के दौरान हुई क्षति/राहत का ब्यौरा, प्रतिदिन आपदा नियंत्रण कक्ष को भेजा जा रहा है ६	हॉ	
30	क्या राहत का ब्यौरा प्रिन्ट एवं दृश्य मीडिया को भी उपलब्ध कराया जा रहा है । ताकि भ्रामक समाचार यथा सम्भव प्रकाशित न हो सके	हॉ	

|ददमगनतमरू.

1ए क्पेजतपबज च्तवपिसम दृ भ्पेजवतल वि चिंज क्पेंजमतेरू

जनपद में आपदा का इतिहास

आपदा इतिहास एवं सम्भावना

जनपद बागपत में बाढ,सूखा,अग्निकाण्ड, ऑधी तूफान, ओलावृष्टि शीत लहरी जैसी परम्परागत दैवी आपदाये आती रही है।

1–**जनपद बागपत में बाढ़ की स्थिति–** बागपत जिला यमुना नदी के बायें किनारे पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से लगभग 35 किमी. की दूरी पर स्थित है। बागपत की अधिकांश आबादी यमुना नदी के बायें किनारे एवं दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बीच बसी हुई है।

यमुना नदी के ताजेवाला हैड से पानी चलकर जिला शामली के बाद जिला बागपत की सीमा में प्रवेश करता है। पिछले कुछ वर्षों के इतिहास को देखा जाये तो सबसे बड़ी बाढ़ वर्ष 1978 में आयी थी जिसमें दिनांक 3–9–1978 में ताजेवाला हैड से 7,09,239 क्यूसेक्स पानी पास हुआ था जो कि दिनांक 5–9–1978 में बागपत जिले से पास हुआ था जिसने जिला बागपत में बड़ी तबाही मचाई थी। इस बाढ़ में लगभग 5000 हैक्टेयर जमीन एवं बड़ी संख्या में आम जन जीवन अस्त व्यस्त हुआ था।

सिंचाई विभाग द्वारा 1978 की बाढ़ के बाद ग्राम मवीकलां से एक बांध यमुना नदी के बायें किनारे पर अलीपुर बांध 18.166 किमी. लम्बाई में बनाया गया जो बागपत के समीप दिल्ली–सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग–57 से प्रारम्भ जनपद बागपत एवं गाजियाबाद की सीमा में सटी 5600 हैक्टेयर जमीन के साथ–साथ लगभग 2300 आवासीय एवं 1100 व्यवसायिक यूनिट को सुरक्षा प्रदान कर रहा है एवं 1978 से अभी तक आई सभी बाढ़ों में पूर्ण सुरक्षित रहा है।

वर्ष 1978 के बाद 1980 में 2,75,137 क्यूसेक्स, 1983 में 2,70,474 क्यूसेक्स, 1985 में 3,05,350 क्यूसेक्स पानी जिला बागपत से पास हुआ। इसके बाद 1988 में एक बार फिर जिला बागपत को बड़ी बाढ़ का सामना करना पड़ा, दिनांक 27–9–88 में ताजेवाला हैड से 5,75,522 क्यूसेक्स पानी छोड़ा गया जोकि दिनांक 29–9–88 में जिला बागपत से पास हुआ जिससे बड़ी मात्रा में हानि जिला बागपत को सहनी पड़ी।

1989 में 3,49,261 क्यूसेक्स एवं 1995 में 5,36,331 क्यूसेक्स पानी आया, 1996 में 2,77,803 क्यूसेक्स, 1997 में 3,98,849 क्यूसेक्स, 1998 में 2,54,428 क्यूसेक्स, 1999 में 2,55,163 क्यूसेक्स, 2000 में 2,78,991 क्यूसेक्स, 2001 में 2,57,481 क्यूसेक्स, 2002 में 3,11,174 क्यूसेक्स पानी जिला बागपत में पास हुआ।

उपरोक्त बाढ़ से हुई क्षति एवं कटाव को रोकने के लिए सिंचाई विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार बाढ़ सुरक्षा कार्य प्रभावित ग्रामों में कराये गये जिससे कम से कम कटाव हो सके।

इसके बाद वर्ष 2008 में 4,09,876 क्यूसेक्स, 2009 में 4,20,454 क्यूसेक्स के बाद 2010 में उस समय की अधिकतम बाढ़ के दौरान दिनांक 23–9–2010 में ताजेवाला हैड से 7,44,076 क्यूसेक्स पानी पास हुआ जो कि दिनांक 25–9–2010 को जिला बागपत से पास हुआ।

वर्ष 2011 में भी 6,41,472 क्यूसेक्स एवं गत वर्ष जिला बागपत के इतिहास की सबसे बड़ी बाढ़ 8,06,464 क्यूसेक्स पानी 18 जून 2013 को जिला बागपत से पास हुआ जिससे ग्राम सिसाना,

ग्राम खण्डवारी, ग्राम राजपुर खामपुर, ग्राम सुल्तानपुर हटाना, ग्राम खेड़ी प्रधान, ग्राम जागौस, ग्राम कोताना, ग्राम ककौर कलां, ग्राम ककौर खुर्द, ग्राम बदरखॉ, ग्राम छपरौली, ग्राम नैथला, ग्राम सबगा, ग्राम टाण्डा एवं बागपत टाउन में जिला बागपत की भूमि का यमुना नदी द्वारा कटाव किया गया।

2–सूखा अनावृष्टि के कारण वर्ष 2004 व 2005 में जनपद सूखाग्रस्त घोषित हुआ एवं अवर्षण के कारण वर्ष 2014 एवं 2015 में जनपद सूखाग्रस्त घोषित किया गया। सूखे के कारण अब तक ऐसी स्थिति नही आयी है , जिसमें किसी गॉव की आबादी या पशुओ को दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ा हो अथवा टैंकर से जलापूर्ति करनी पडी हो। भुखमरी की स्थिति भी अब तक पैदा नही हुयी है।

3–अग्निकाण्ड

अग्निकाण्ड का जनपद बागपत का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है, क्योकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनो की पहचान एवं मानसिक तैयारी , खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायो की जानकारी से इस प्रकार के खतरो से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

4–ओलावृष्टि एवं शीतलहरी

ओलावृष्टि एवं शीतलहरी से यदा कदा धन एवं जन की हानि होती रही है। ऑधी तूफान से भी जन धन की हानि हुई है किन्तु ओलावृष्टि,शीतलहरी, ऑधी तूफान से किसी बडी घटना का इतिहास इस जनपद का नही है।

5–भूकम्प एवं साईक्लोन

भूकम्प एवं साईक्लोन का जनपद बागपत का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है, क्योकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनो की पहचान एवं मानसिक तैयारी , खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायो की जानकारी से इस प्रकार के खतरो से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

6–मानव जनित आपदाओं की आशंका

जनपद बागपत का कोई इतिहास मानव जनित आपदाओं के सन्दर्भ में नही रहा है। वर्तमान कार्ययोजना में इसे शामिल किया गया है , क्योकि किसी आपात स्थिति से निपटने हेतु संसाधनो की पहचान एवं मानसिक तैयारी , खतरे की जानकारी एवं बचाव के उपायो की जानकारी से इस प्रकार के खतरो से कुशलता पूर्वक निपटा जा सकता है।

आपदा के कारण जनहानियों की सूचना राहत की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्तींजण्नचण्दपबण्पदध पर फीड की जाती है। जनहानि एवं पशुहानि होने पर उसकी सूचना 24 घण्टे के अन्दर शासन को उपलब्ध करायी जाती है।

प्रापर्टी का नुकसानः— आपदाओं के कारण जिन प्रकरणों में राजस्व परिसम्पत्तियों की क्षति होती है उनसे सम्बन्धित आंकलन प्रस्ताव शासन को समुचित कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने हेतु समयान्तर्गत उपलब्ध कराने का प्राविधान है।

आर्थिक घाटाः— जनपद बागपत वर्ष 2014—15 एवं 2015—16 में सूखे से प्रभावित रहा है। आपदाओं के कारण फसलों की क्षति का आंकलन कराया जाता है। विगत 05—06 वर्षों से लगातार किसी न किसी दैवी आपदा के कारण फसलों की क्षति/नुकसान बराबर हो रहा है। भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक तथा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये धनावण्टन के सापेक्ष, दिये गये दिशा—निर्देशों के क्रम में अनुमन्य कराये जाने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है।

संचार व्यवस्था/सी0यू0जी0 नम्बरः— जनपद के समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों के मोबाइल नम्बर तथा राजस्व अधिकारियों के सी0यू0जी0 नम्बर सभी सम्बन्धितों के पास उपलब्ध हैं। जिससे आपस में सामंजस्य स्थापित कर आपदाओं की स्थित में राहत, बचाव के कार्य तथा राहत सहायता के कार्य सुनिश्चित कराये जाते हैं। सरकारी सी0यू0जी0 नम्बर से सम्बन्धित सूची राहत की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्तींजण्नचण्दपबण्पदध पर फीड है तथा समय—समय पर अपडेशन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जाती है। सभी राजस्व अधिकारियों एवं जिला स्तरीय अधिकारियों को यह निर्देशित किया जा चुका है कि कार्यालय के लैण्ड लाइन नम्बर प्रत्येक दशा में क्रियाशील बनाये रखें तथा अपने मोबाइल नम्बर को 24 घण्टे क्रियाशील बनाये रखें जिससे सूचनाओं के आदान—प्रदान में किसी प्रकार का विलम्ब न होने पाये।

प्क्त्छरू.

इंडिया डिजास्टर रिसोर्स नेटवर्क ;प्क्त्छद्ध की वेबसाइट ीजजचरूध्ध्पकतदण्हवअण्पद गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा डेवलप किया गया वेब आधारित प्लेटफार्म है, जिसमें जनपद के विभिन्न विभागों के पास उपलब्ध राहत एवं खोज–बचाव से सम्बन्धित संसाधनों के निरन्तर अपलोड/अपडेट किया जाना है, जिससे जनपद में उपलब्ध संसाधनों का बेहतर ढंग से उपयोग किया जा सकता है। उक्त वेबसाइट पर जनपद हमीरपुर की अद्यावधिक सूचना फीड करायी जा चुकी है तथा समय–समय पर अपडेशन की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायी जाती है।

खोज एवं बचाव के उपकरण

जनपद बागपत की प्रत्येक तहसील के 120 अतिसंवेदनशील ग्राम पंचायतों हेतु शासन से प्राप्त धनावण्टन के सापेक्ष 09 उपकरणों से सम्बन्धित सेट प्रत्येक तहसील में सुरक्षित हैं। जिसका आवश्यकतानुसार उपयोग राज्य अधिकारियों द्वारा कराया जाता है। उक्त धनावण्टन 13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध कराया गया था।

क्र0सं0	उपकरण का नाम	तहसील बागपत में उपकरणों की संख्या	तहसील बडौत में उपकरणों की संख्या	तहसील खेकडा में उपकरणों की संख्या
1	2	3	4	5
01	सर्च लाईट	19	26	13
02	लाइफ जैकेट	19	26	13
03	लाइफ व्वाय	19	26	13
04	मेगाफोन	40	60	20
05	फोल्डेबुल स्ट्रेचर	40	60	20
06	फर्स्ट एड किट	40	60	20
07	सेफ्टी हेलमेट	40	60	20
08	फायर एक्सटिनग्यूसर	40	60	20
09	जरी केन (वाटर	300	200	100

	कन्टेनर)			

जनपद के समस्त विभागों के अधिकारियों की दूरभाष की नम्बरः—

राजस्व विभाग			
क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पद नाम	दूरभाष संख्या
01	श्री ह्रदय शंकर तिवारी	जिलाधिकारी बागपत	9454417562
02	श्री डी0पी0 सिंह	अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)बागपत	9454417633
03	श्री मनोज कुमार सिंह	उपजिलाधिकारी बागपत	9454416713
04	श्रीमती दीपाली कौशिक	उपजिलाधिकारी बडौत	9454416714
05	श्री आदित्य प्रजापति	उपजिलाधिकारी खेकडा	9454416715
06	श्री राम प्रसाद	प्रभारी अधिकारी कलक्ट्रेट बागपत	9454419033
07	श्री अशोक कुमार	तहसीलदार बागपत	9454416716
08	श्री राजबहादुर	तहसीलदार बडौत	9454416717
09	श्री वेद प्रकाश चौहान	तहसीलदार खेकडा	9454416718
10	श्रीमती नीलम श्रीवास्तव	नायब तहसीलदार खेकडा	9971636965
11	श्री देवेन्द्र मिश्रा	नायब तहसीलदार बागपत	9454416721
12	श्री नसीम अहमद	नायब तहसीलदार खेकडा	9454416719
13	श्री विरेन्द्र सिंह	वरिष्ठ कोषाधिकारी बागपत	8765923716
14	श्री भास्कर पाण्डेय	जिला सूचना विज्ञान अधिकारी	9358806368
15	श्री कृष्ण पाल सिंह	जिला सूचना अधिकारी	09453005427
16	श्री राजकुमार	रजिस्ट्रार कानूनगों बागपत	9412820044
17	श्री राजकुमार	रजिस्ट्रार कानूनगों खेकडा	9760164030
18	श्री अशोक कुमार	रजिस्ट्रार कानूनगो बडौत	9720347654
विकास विभाग			
19	श्री जे0पी0रस्तोगी	मुख्य विकास अधिकारी बागपत	9454465043
20	श्री हुबलाल	जिला विकास अधिकारी बागपत	9452449951
21	श्री कृपाल सिंह	खण्ड विकास अधिकारी बागपत	9457674176
22	श्री एम0एल0पटेल	खण्ड विकास अधिकारी पिलाना	9415053104
23	श्री अमित कुमार	खण्ड विकास अधिकारी खेकडा	8130254713
24	श्री प्रेमचन्द	खण्ड विकास अधिकारी बडौत	7599447549
25	श्री हनुमान प्रसाद मिश्रा	खण्ड विकास अधिकारी बिनौली	9453152003
26	श्री पवन कुमार विश्वकर्मा	खण्ड विकास अधिकारी छपरौली	9456827190

27	श्री मोहन लाल पटेल	परियोजना निदेशक ग्रा0वि0अभिकरण	9415053104
28	श्री महिपाल सिंह	सहायक अभियन्ता ग्र0वि0अभिकरण	9412126465
29	श्री उपेन्द्र राज	जिला पंचायत राज अधिकारी बागपत	9450296319
30	श्री राजपाल सिंह	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी बागपत	9412701388
31	श्री संजय कुमार गौतम	अधिशासी अभियन्ता जल निगम बागपत	9473942599
		पुलिस विभाग	
32	श्रीमती पूनम	पुलिस अधीक्षक	9454400258
33	श्री अजीजुल हक	अपर पुलिस अधीक्षक बागपत	9454401030
34	श्री राजवीर सिंह	पुलिस क्षेत्राधिकारी बागपत	9454401562
35	श्री कर्मवीर सिंह	पुलिस क्षेत्राधिकारी बडौत	9454401560
36	श्री श्वेताभ पाण्डेय	पुलिस क्षेत्राधिकारी खेकडा	9454401561
37	श्री अजेय कुमार शर्मा	पुलिस क्षेत्राधिकारी रमाला	9454405258
38		प्रतिसार निरीक्षक	9454402347
39	श्री मुकेश कुमार	प्रभारी निरीक्षक कोतवाली बागपत	9454402959
40		थानाध्यक्ष सिंधवली अहीर	9454402958
41		थानाध्यक्ष बिनौली	9454402962
42		प्रभारी निरीक्षक थाना बडौत	9454402961
43		थानाध्यक्ष रमाला	9454402967
44		थानाध्यक्ष दोघट	9454402965
45		थानाध्यक्ष छपरौली	9454402964
46		थानाध्यक्ष खेकडा	9454402966
47		थानाध्यक्ष बालैनी	9454402960
48		थानाध्यक्ष चॉदीनगर	9454402963
49		प्रभारी निरीक्षक एल0आई0यू0 बागपत	9454402052
50		जिला कन्ट्रोल रूम पुलिस लाईन	9454417383
51		कमाण्डेण्ट होमगार्ड बागपत	9456269594
52		कम्पनी कमाण्डेन्ट बागपत	9456269594
		स्वास्थ्य विभाग	
53	डा0 रविन्द्र कुमार मिश्रा	मुख्य चिकित्साधिकारी बागपत	9628962615
54	डा0 आर0बी0सुमन	उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी बागपत	9410033225
55	डा0 अतुल बंसल	प्रा0 चिकित्सा अधीक्षक बिनौली	7300730159
56	डा0 रामेश्वर दयाल	अपर मुख्य चिकित्साधिकारी	9837244339
57	डा0 अरविन्द मलिक	चिकित्सा अधीक्षक, खेकड़ा	7300730157
58	डा0 एम0एस0 उपाध्याय	चिकित्सा अधीक्षक, बड़ौत	9837163937
59	डा0 नीरज त्यागी	चिकित्सा अधीक्षक, बागपत	9760011648
60	डा0 जितेन्द्र वर्मा	चिकित्सा अधीक्षक, छपरौली	8899443880
61	डा0 यशवीर सिंह	प्रभारी चिकित्साधिकारी, डौला	9759232792

62	श्री राजकुमार	सहा0 मलेरिया अधिकारी	9412167199
		खाद्य एवं आपूर्ति विभाग	
63	श्री चमन शर्मा	जिला पूर्ति अधिकारी	9410482444
		वन विभाग	
64	श्री मनीष मित्तल	जिला वन अधिकारी बागपत	9415074292
		अग्नि शमन	
65	श्री आर0एस0 सैनी	अग्नि शमन अधिकारी	9454418752
		कृषि विभाग	
66	श्री धुरेन्द्र सिंह	उपनिदेशक कृषि	9412489993
		शिक्षा विभाग	
67	श्री जे0पी0मिश्रा	जिला विद्यालय निरीक्षक	9454457268
68	श्री एम0पी0वर्मा	जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी	9453004077
		परिवहन	
69	श्री राम प्रकाश	उप सम्भागीय परिवहन अधिकारी	8005441223
		ड्रेनेज खण्ड प्रथम	
70	श्री के0पी0सिंह	अधिशासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड शामली	9411111500
		सिंचाई विभाग	
71	श्री मनोज साहू	अधिशासी अभियन्ता लो0डि0 इर्स्टन कैनाल	9452726565
72	श्री डी0के0 त्यागी	सहायक अभियन्ता चतुर्थ लो0डि0 इर्स्टन कैनाल	9412820880
		विद्युत विभाग	
73	श्री विनोद कुमार पाण्डेय	अधीक्षण अभियन्ता वि0वि0मण्डल	9412749205
74	श्री देश राज सिंह सोनी	अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड बागपत	9412749242
75	श्री अजय कुमार	अधि0अभि0वि0वि0खण्ड बड़ौत प्रथम	9412749232
76	श्री राकेश कुमार	अधि0अभि0 वि0वि0खण्ड बड़ौत द्वितीय	9412783580
		लोक निर्माण विभाग	
77	श्री रघुनाथ दास	अधि0अभि0 लो0नि0वि0 बागपत	9810915022
78	श्री संजय कुमार गौतम	अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड बागपत	9412484293

एल0पी0जी0 एजेन्सी

क्र0सं0	पम्प का नाम व पता	कम्पनी का नाम	प्रोपराइटर का नाम	पम्प का लैण्डलाईन व मो0नं0
01	मै0 जौली फिलिंग स्टेशन, गौरीपुर मोड़, बागपत	आई0बी0पी0	श्री देवेन्द्र कुमार जैन	0121–2221837
03	मै0 भजनलाल ईश्वर दयाल बागपत	एच0पी0सी0	श्री रोहताश कुमार श्री जगमोहन	9412803512
04	मै0 गुप्ता सर्विस स्टेशन बागपत	बी0पी0सी0	श्री श्यामलाल श्री राजेश कुमार श्री अनिल कुमार	9412803512
05	मै0 रमाला सर्विस स्टेशन रमाला	बी0पी0सी	श्री साहब सिंह तोमर	9897767169
06	मै0 श्रीनिवास रधुवीर सिंह, बड़ौत	बी0पी0सी0	श्री सुनिल कुमार जैन/श्रीमति सरिता जैन	9837048154
07	मै0 बिनौली फिलिंग स्टेशन बड़ौत	आई0ओ0सी0	श्री विपुल कुमार जैन	9997162920
08	मैसर्स सुखानन्द राकेश कुमार एन्टरप्राइजेज किशनपुर बराल	बी0पी0सी0	श्री राकेश कुमार पुत्र सुखानन्द	9410613846
09	मै0 चौधरी फिलिंग स्टेशन, पुसार	आई0बी0पी0	श्री योगेन्द्र सिंह सोलंकी	9412551895
10	मै0 होशियारी देवी फिलिंग स्टेशन दाहा	एस्सार	श्री राजवीर सिंह	9412206578
11	मै0 शिव सर्विस स्टेशन, सिंघावली अहीर	एस्सार	श्री रविन्द्र सिंह श्री लोकेन्द्र सिंह	
	मै0 उज्जवल	एस्सार	श्रीमति शालनी पत्नी श्री	

	आयॅल क0 ग्राम जलालपुर		सुरेन्द्र	
12	मै0 राजेन्द्र फिलिंग स्टेशन, पिलाना	बी0पी0सी	श्रीमति उषा देवी पत्नि श्री राजेन्द्र सिंह	9411986759
13	मै0 राणा फिलिंग स्टेशन, दाहा	आई0ओ0सी0	श्रीमति कमलेश राणा	
14	मै0 हरिहर फिलिंग स्टेशन अ0म0टटीरी	बी0पी0सी0	श्रीमति वीरमति पत्नी श्री हरिहर वर्मा	412890400
15	मै0 महताब किसान सेवा केन्द्र ख्वाजा नंगला	आई0ओ0सी0	श्रीमति गीतादेवी पत्नी श्रीकान्त	
16	मै0 प्राक्षेय सर्विसेज	आई0ओ0सी0	श्री ओमवीर सिंह	9368801800
17	मै0 शिव शम्भू किसान सेवा केन्द्र पाबला बेगमाबाद	आई0ओ0सी0	श्रीमति जय श्री पत्नी श्री सुनिल कसाना	
18	मै0 एम0के0आर0हाइवे फिलिंग स्टेशन डूंडाहैड़ा	आई0ओ0सी0	श्री संजीव कुमार	9319854166
19	हमारा पम्प गुराना उज्ज्वल सराय रोड गुराना	एच0पी0सी0	श्री धीरज उज्जवल	9719244066
20	श्री ओंकार फिलिंग स्टेशन बिनौली रोड बड़ौत	आई0ओ0सी0	श्रीमति रेणु शर्मा पत्नी श्री दिनेश दत्त शर्मा	
21	मै0 ओम फिलिंग स्टेशन दिल्ली सहारनपुर रोड बावली	आई0ओ0सी0	श्रीमति सीमा तोमर पत्नी श्री ओमपाल तोमर	

एल0पी0जी0

क्र0सं0	एल0पी0जी0 एजेन्सी का नाम	कम्पनी का नाम	पता	मोबाईल संख्या
01	बागपत गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	बागपत	9412205825
02	आर्यमान इन्डेन गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	बडौत	9411826215
03	बडौत गैस सर्विस	आई0ओ0सी0	बडौत	9837009028
04	अनिल इन्डेन गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	बडौत	9837176193
05	प्रियंका गैस एजेन्सी	एच0पी0सी0	बडौत	9997086507

06	अमर इन्डेन गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	अमीनगर सराय	9891698395
07	हिन्दुस्तान गैस एजेन्सी	एच0पी0सी0	छपरौली	01234–231015
08	शहीद इकबाल गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	दोघट	9719750252
09	खेकड़ा गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	खेकड़ा	9412707370
10	मै0 पुष्पेन्द्र भारत ग्रामीण गैस एजेन्सी	वी0पी0सी	मीतली	
11	विक्रात गैस एजेन्सी	एच0पी0सी0	बिनौली	9412206578
12	कुर्डी गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	कुर्डी	9453247247
13	किरठल गैस एजेन्सी	आई0ओ0सी0	किरठल	9690800310
14	जय बाबा इण्डेन गैस सर्विस खेकडा	आई0ओ0सी0	खेकडा	2232238
15	रटौल इण्डेन ग्रामीण वितरक	आई0ओ0सी0	रटौल	8527005776
16	हरनारायण इण्डेन ग्रामीण वितरक	आई0ओ0सी0	निरपुडा	9058386451
17	भाव्या इण्डेन ग्रामीण वितरक	आई0ओ0सी0	बसी	8979180790
18	कृष्णा इण्डेन गैस एजेन्सी बागपत	आई0ओ0सी0	बगपत	

मिट्टी का तेल

क्र0सं0	कम्पनी का नाम	थोक विकेता का नाम	पता	मोबाईल संख्या
01	एच0पी0सी0एल0	मै0 भजनलाल ईश्वरदयाल	बड़ौत रोड बागपत	94121803512
02	वी0पी0सी0एल0	मै0 भारत आयल ट्रेंडिग कम्पनी	मेरठ रोड बागपत	9837780725
03	आई0ओ0सी0एल0	मै0 गोयल ब्रदर्स	सहारनपुर रोड बड़ौत	9837062108
04	आई0ओ0सी0एल0	मै0 मामचन्द आयल कम्पनी	दिल्ली रोड खेकड़ा	9412206578